मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16

मंत्री	–	श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्यमंत्री		श्री लाल सिंह आर्य
प्रमुख सचिव	–	श्री मलय श्रीवास्तव
आयुक्त–सह–सचिव	–	श्री विवेक अग्रवाल
वित्तीय सलाहकार	–	डॉ. मंजु शर्मा
उप सचिव	–	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव
उप सचिव	–	श्री आशीष सक्सेना
उप सचिव	–	श्री प्रमोद गुप्ता
उप सचिव	–	श्री सी.के. साधव
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री संदीप यादव
आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल	–	श्री नितेश व्यास
कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	–	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल	–	श्री मलय श्रीवास्तव

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का वर्ष 2015–16 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2015–16
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	
8.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	
11.	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	
12.	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन	
13.	परिशिष्ट	

विभागीय संरचना

1 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है:–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन एक वित्तीय सलाहकार, चार उप सचिव तथा चार अवर सचिव पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(5) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।
(7) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल।
(8) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप–कर अधिनियम, 1977
(15) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(16) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(17) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(18) मध्यप्रदेश नगर तथा परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(19) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(20) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(21) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(22) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतिया, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) JNNURM, UIDSSMT, IHSDP, NULM, अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) शहरी स्वच्छता मिशन

(16) म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन

(17) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन

(18) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन

(19) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(20) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(21) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(22) शहरी अधोसंरचना

(23) शहरी गरीबों के लिये आवास

(24) शहरी पेयजल

(25) आग की रोकथाम

(26) शहरी सुधार कार्यक्रम

(27) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(28) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(29) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(30) नगर विकास योजना तैयार करना

(31) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

(32) राज्य पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्मक योजना, रक्षोपायों, संरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय

(33) नगर तथा ग्राम निवेश

(34) वास्तुकला

(35) सभी प्रकार के प्रदूषण एवं उनका निवारण

(36) नगरीय विकास

(36) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय

(38) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।

(39) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन

(40) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 379 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**निकाय की श्रेणी**	**संख्या**
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	98
3	नगर परिषद	265
	योग	379

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

–––––––

भाग—दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 916672.06 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2015—16 में जनवरी, 2016 तक कुल रूपये 580647.43 लाख का व्यय किया गया है।

2. माह जनवरी, 2016 तक उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट—तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट—तीन (दो)** पर है।

3. बजट में आयोजना मद के अंतगत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजना संचालित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है। राज्य आयोजना के प्रमुख योजनाओं में सिंहस्थ 2016, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, सर्वे एवं मेट्रो रेल की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु बजट रखा गया है।

4. राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

5. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति /यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

————————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून 2015 में ''स्मार्ट सिटी मिशन'' की घोषणा की गई। मिशन अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए सात शहरों का निर्धारण किया गया। इस मिशन के लिए शहरों का चयन निर्धारित प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के माध्यम से दो चरणों में पूर्ण किये जाने का प्रावधान है।

1.2 प्रथम चरण में राज्य द्वारा संभावित शहरो के मध्य निर्धारित मापदण्डो के अनुसार प्रतिस्पर्धा कराकर प्राप्तांक के आधार पर 7 शहरो का चयन किया जाना था। उक्त प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन किया गया।

1.3 द्वितीय चरण में प्रदेश द्वारा स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ''नगर चुनौती'' में भाग लेने के लिए स्वयं का ''स्मार्ट सिटी प्रस्ताव'' तैयार भारत सरकार को प्रेषित किये गये। उक्त चरण में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के तीन शहरों यथा भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर को स्मार्ट सिटी योजना क अंतर्गत चयनित किया गया है। मध्यप्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका स्मार्ट सिटी हेतु प्रथम 20 शहरों में से 3 शहरों का चयन हुआ हैं।

1.4 भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार मिशन का क्रियान्वयन सिटी स्तर पर सृजित स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आगामी पांच वर्ष हेतु प्रत्येक चयनित स्मार्ट सिटी को प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा उतनी ही राशि राज्य शासन/स्थानीय निकाय द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।

———

2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरो में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) का शुभारंभ किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिये अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं । आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल–मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयाजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे–ऊर्जा उत्पादन, सोलार सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके) ।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 हरित स्थान एवं शिशु अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

2.9.4 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.11 अमृत मिशन के अंतर्गत मिशन अवधि (2015–16 से 2019–20) के लिये स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि रू करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	जल प्रदाय	सीवरेज	स्टाम वाटर ड्रेन	लोक परिवहन	अन्य एवं हरित क्षेत्र	कुल
1	इन्दौर	765.50	761.34	10.00	51.50	40.00	1,628.34
2	भोपाल	401.37	924.63	10.00	50.00	25.00	1,411.00
3	जबलपुर	219.00	600.00	0.00	30.00	21.22	870.22
4	ग्वालियर	365.30	432.75	0.00	55.00	21.32	874.37
5	उज्जैन	132.00	332.50	10.00	17.50	10.00	502.00
6	देवास	25.15	97.00	20.00	13.00	12.50	167.65
7	मुरैना	135.00	65.00	0.00	10.00	3.00	213.00
8	सतना	40.00	148.00	20.00	12.00	10.00	230.00
9	सागर	0.00	216.00	0.00	14.00	4.50	234.50
10	रतलाम	0.00	90.00	25.00	10.00	3.00	128.00
11	रीवा	30.00	163.00	10.00	12.00	7.50	222.50
12	कटनी	19.00	98.00	0.00	15.00	3.00	135.00
13	सिंगरौली	37.50	122.25	0.00	10.00	4.25	174.00
14	छिन्दवाड़ा	90.80	00.00	2.00	8.50	2.50	**103.80**
15	बुरान्हपुर	90.28	00.00	8.36	8.50	2.47	**109.61**
16	खण्डवा	50.00	41.50	0.00	8.50	2.50	**102.50**
17	भिन्ड	94.00	00.00	0.00	6.00	2.00	**102.00**
18	गुना	25.00	66.50	0.00	6.00	2.50	**100.00**
19	शिवपुरी	15.00	26.75	8.65	6.00	8.00	**64.40**

क्र.	निकाय का नाम	जल प्रदाय	सीवरेज	स्टाम वाटर ड्रेन	लोक परिवहन	अन्य एवं हरित क्षेत्र	कुल
20	विदिशा	00.00	72.00	0.00	8.00	2.00	**82.00**
21	छतरपुर	46.50	27.00	0.00	0.00	1.75	**75.25**
22	मंदसौर	82.88	0.00	0.00	0.00	2.13	**85.01**
23	खरगौन	80.00	0.00	0.00	0.00	1.50	**81.50**
24	नीमच	15.00	48.00	0.00	0.00	2.00	**65.00**
25	पीथमपुर	83.00	0.00	0.00	0.00	2.00	**85.00**
26	दमोह	0.00	75.00	25.00	0.00	2.50	**102.50**
27	होशंगाबाद	29.50	0.00	31.00	0.00	1.90	**62.40**
28	सिहोर	10.00	43.50	0.00	0.00	1.50	**55.00**
29	बैतूल	3.50	53.00	0.00	0.00	1.50	**58.00**
30	सिवनी	0.00	48.00	0.00	0.00	1.50	**49.50**
31	दतिया	17.75	31.25	0.00	0.00	1.00	**50.00**
32	नागदा	8.60	45.30	0.00	0.00	1.10	**55.00**
	कुल:	**2,911.63**	**4,628.27**	**180.01**	**351.50**	**207.64**	**8,279.05**

2.12 सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2.12.1 मिशन अवधि के दौरान सूचीबद्ध सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक होगा, जिसका विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है।

2.12.2 नगर सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण किये जाने पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के केन्द्रांश की कुल राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन निधि के रूप में दिया जायेगा।

---

3. प्रधानमंत्री आवास योजना

3.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ दिनांक 25.06.2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

3.2 योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी हैः–

- "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment).
- क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy).
- भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership).
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Subsidy for beneficiary-led individual house construction).

3.3 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त चारों में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है।

3.4 योजना अंतर्गत निम्नलिखित आय वर्ग क लोगों को लाभ दिया जाना हैः–

- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये राशि रू. 3.00 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग के लिये राशि रू. 3.00 लाख से अधिक राशि रू. 6.00 लाख तक।

3.5 योजना अंतर्गत निम्नानुसार हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दिया जाना है।

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	"In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के हितग्राहियों को 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रु. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG)
3	Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिए : **राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई**	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

3.6 प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 74 नगरों को सम्मिलित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

कमांक	निकाय का नाम	कमांक	निकाय का नाम	कमांक	निकाय का नाम	कमांक	निकाय का नाम
1	भोपाल	20	गुना	39	अलीराजपुर	58	मनावर
2	इंदौर	21	शिवपुरी	40	झाबुआ	59	डबरा
3	जबलपुर	22	छतरपुर	41	बड़वानी	60	सेंधवा
4	ग्वालियर	23	दमोह	42	रायसेन	61	आष्टा
5	उज्जैन	24	मंदसौर	43	हरदा	62	मैहर
6	रतलाम	25	खरगौन	44	पन्ना	63	सिहोरा
7	देवास	26	पीथमपुर	45	टीकमगढ़	64	राजगढ़
8	रीवा	27	होशंगाबाद	46	नरसिंहपुर	65	खुरई
9	सतना	28	इटारसी	47	मण्डला	66	पथरिया
10	सागर	29	सीहोर	48	बालाघाट	67	बुदनी
11	कटनी	30	बैतूल	49	डिण्डोरी	68	रेहटी
12	बुरहानुपर	31	सिवनी	50	सीधी	69	शाहगंज
13	सिंगरौली	32	दतिया	51	उमरिया	70	नसरूल्लागंज
14	खण्डवा	33	नागदा	52	शहडोल	71	खजुराहो
15	मुरैना	34	श्योपुर	53	अनुपपुर	72	चंदला
16	छिन्दवाड़ा	35	अशोकनगर	54	सारणी	73	सोनकच्छ
17	नीमच	36	शाजापुर	55	बीना	74	रामपुर बघेलन
18	विदिशा	37	आगर	56	बैरसिया		
19	भिण्ड	38	धार	57	गंजबसौदा		

3.7 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 शहरों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, कटनी, रतलाम, सिंगरौली, रीवा, सतना, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, होशंगाबाद, विदिशा, डिण्डोरी, दमोह राजगढ़, खुरई, चंदला, पथरिया, रामपुर बघेलान, हरदा एवं बुदनी के हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन एवं डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके है।

3.8 योजनांतर्गत प्रदेश के 17 शहरों क्रमशः जबलपुर, कटनी, रतलाम, सिंगरौली, सागर, रीवा, सतना, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, दमोह, डिण्डोरी, राजगढ़, खुरई, पथरिया, रामपुर बघेलान एवं चंदला के परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है ।

3.9 योजनांतर्गत भारत सरकार से राशि रू. 115.00 करोड़ प्राप्त हो चुकी है, जिसमें राज्यांश राशि रू. 107.00 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल राशि रू. 222.00 करोड़ आवंटित किया जा चुका है तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2016 तक स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

———

4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

4.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. खुले में शौच से मुक्त करना
2. हाथ से मैला उठाने वाले की प्रथा समाप्त करना
3. शहरी ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन
4. स्वच्छता प्रयासों के संबंध में व्यवहारिक बदलाव लाना
5. स्वच्छता हेतु लोग को जागरूक करना एवं लोक स्वास्थ्य से जोडना
6. नगरीय निकायों को क्षमतावर्धन बनाना
7. कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (संचालन और संधारण) में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

4.2 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014–19 तक की कार्य योजना निम्नानुसार हैं :–

राशि रु. करोड़ में

समस्त घटकों में प्रावधान अनुदान	वर्ष 2014–2019 तक कार्ययोजना	
	कुल योजना अनुमानित	केन्द्रांश
कुल	5209.14	1428.10

निर्धारित लक्ष्य		
क्र.	**विवरण**	**वर्ष 2014–2019 तक अनुमानित भौतिक लक्ष्य**
1	व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	11,22,254
2	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	1200
3	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	500
4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	378
5	क्षमतावर्धन	378
6	जन–जागरूकता एवं सूचना, शिक्षा–संप्रेषण	378

4.3 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण :–

4.3.1 परिभाषा :–व्यक्तिगत शौचालय से आशय ऐसे शौचालय जो एक परिवार के सदस्यों के उपयोग को उनके आवास सीमा में निर्मित किये जाये, व्यक्तिगत शौचालयों के रूप में नामांकित किये जायेगे।

4.3.2. वित्तीय प्रावधान :– योजना की इकाई लागत के लिये निम्नलिखित वित्तीय प्रावधान होंगे :–

राशि रु. में

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600/–	4000/–	6880/–	1360/–	1360/–

क्र	निकायों की संख्या	व्यक्तिगत शौचालय	
		कुल स्वीकृत	कुल निर्मित फरवरी माह तक

1	2	3	4
कुल	378	401975	145463

4.4 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण :–

4.4.1 परिभाषा :– सामुदायिक शौचालय से आशय ऐसे शौचालय से है, जिन्हे गंदी बस्ती क्षेत्रों, अल्प आय वर्गो को लक्षित कर तैयार किया गया है एवं उसके उपयोगकर्ता अधिकतम गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासी हों, सामुदायिक शौचालय के रूप से नामांकित किये जायेगें। नगरीय निकायों को प्रस्ताव के साथ इस हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

4.4.2 वित्तीय प्रावधान :– सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) अधिकतम रु. 26,000.00 केन्द्रांश का प्रावधान हैं। इस आधार पर अधिकतम प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) लागत निम्नानुसार होगीः–

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	26000/-	32500/-	6500/-
2	नगर पालिका परिषद	26000/-	32500/-	6500/-
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	26000/-	29250/-	9750/-
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	26000/-	26000/-	13000/-

4.4.3 उपरोक्तानुसार प्रति सीट राशि से अधिक व्यय की स्थिति में वित्तीय भार निकाय द्वारा वहन किया जायगा। शौचालयों के निर्माण, मरम्मत, संचालन एवं संधारण क कार्य हेतु निकाय स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। इस हेतु अशासकीय स्वयं सेवी संगठनों, स्थानोय रहवासियों की समिति या निकाय किसी के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में शौचालयों का संधारण एवं स्वच्छता की स्थिति को बनाये रखने का दायित्व नगरीय निकाय का होगा।

4.5 सार्वजनिक शौचालय :–

4.5.1 परिभाषा :–सार्वजनिक शौचालय से आशय ऐसे शौचालय जो भ्रमणशील जन सामान्य को लक्षित कर उनके उपयोग हेतु निर्मित किये जाये, सार्वजनिक शौचायलों के रूप में नामांकित किये जायेगे। जैसे– बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बाजार–हाट, पमुख चौराहे एवं सार्वजनिक स्थल।

4.5.2 वित्तीय प्रावधान :–''नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माणजन निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया जायेगा।'' निजी जन भागीदार को विज्ञापन के अधिकार देकर प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। इस हेतु प्रारूप आर.एफ.पो. संचालनालय द्वारा प्रेषित की जायेगी। जिसके आधार पर चयन कर निकाय सार्वजनिक शौचालयों को निर्माण करवा सकेगी।

4.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–

4.6.1 निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु निजी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर लेण्डफिल साईट एवं प्रसंस्करण इकाई का गठन करने हेतु राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार आगामी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना निजी जन भागादारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से बनाई जायेगी। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रावधानित भारत सरकार से 20 प्रतिशत व्ही.जी.एफ. का लाभ लिया जा सकेगा।

4.6.2 राज्य शासन की तरफ से इस हेतु 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्ही.जी.एफ. दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 30 पतिशत तक आसान ऋण 5 प्रतिशत ब्याज पर देने का प्रावधान राज्य के मद से किया जाएगा। राज्य द्वारा देय अनुदान अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा तथा

फिजिबिलिटी स्टडी के आधार पर निजी जन भागीदार का अंशदान बढ़ाये जाने पर राज्य द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण में कमी को जा सकेगी। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन में राज्य की भागीदारी की व्ही.जी.एफ. एवं ऋण मिलाकर 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

4.6.3 इस हेतु राज्य के समस्त नगरीय निकायों के लिये निजी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर लेण्डफिल साईट एवं प्रसंस्करण इकाई का गठन हेतु फिजीबिलिटी स्टडी एवं ड्राफ्ट डी.पी.आर. हेतु राज्य स्तर से कार्यवाही की जायेगी। जिसके आधार पर निकाय इस दिशा में कार्यवाही कर सकेगे।

4.6.4 निजी जन भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर लेण्डफिल साईट एवं प्रसंस्करण इकाई का गठन के पूर्व निकाय घर–घर कचरा एकत्र करने की प्रकिया को प्रभावी रूप से लागू करेंगे।

4.6.5 संचालनालय स्तर से राज्य के 378 नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में बांटा गया है। जिसमें निजी जन भागीदारी के माध्मय से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना कियान्वित की जा रही है। जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

- निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र निवेश लागत को कम करना।
- राज्य स्तर पर बहुसंख्यक निकाय कम आबादी होने के कारण पृथक–पृथक लैण्डफिल साईट बनाने की अपेक्षा समेकित लैण्डफिल साईट तैयार करना उपयुक्त है।
- निजी जन भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्रों को आकर्षित करना।
- जन सामान्य को अच्छी गुणवत्ता की सेवायें प्रदान करना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम–2000 का अनुपालन किया जाना।

4.6.6 उपरोक्तानुसार कार्यवाही में नगर निगम कटनी एवं उसके आसपास के 4 नगरीय निकायों तथा नगर निगम सागर एवं उसके आसपास के 10 निकायों को समेकित कर निजी जन भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना कियान्वित की जा रही है। शेष 22 क्लस्टर की फिजिबिलिटी स्टडी कार्य प्रचलित है।

4.7 सेप्टेज प्रबंधन :–

4.7.1 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम–2013 राज्य में लागू है। अतः इस हेतु मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के पूर्व प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। एम.एस. एक्ट–2013 के प्रावधानों के अनुसार सेप्टिक टैंक सफाई के उपकरण तथा सुरक्षा उपकरण हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा। साथ–ही सेप्टेज के अंतिम निष्पादन हेतु कार्ययोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

वित्तीय प्रावधान

क्र.	निकाय	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	90%	10%
2	नगर पालिका परिषद	90%	10%
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	85%	15%
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	80%	20%

4.7.2 **सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तथा प्रचार–प्रसार** :–स्वच्छ भारत मिशन के विहित प्रावधानों के अनुसार जन सामान्य के स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रावधान किये गये है। इस हेतु भी निकायों को राशि प्रदान की जायेगी।

4.8 मिशन की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) समस्त नगरीय निकायों में अभियान के रूप में संचालित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य में संचालित

विभिन्न गतिविधियों में प्रथम/द्वितीय स्तर पर रहा है। मिशन की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	स्वीकृत इकाई	निर्मित इकाई
1	व्यक्तिगत शौचालय	401975	145463
2	सामुदायिक शौचालय (सीट)	13810	6910
3	100 प्रतिशत कचरा उठाने वाले वार्डो की संख्या	3602	6999 (कुल वार्डो की संख्या)

––––

5 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

5.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

5.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जनसंख्या	शहर का नाम
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3.	03 लाख से 05 लाख	सागर
4.	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर एवं डबरा
5.	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, धार एवं आगर

5.3 मिशन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :-

5.3.1 सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास : इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है, इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व-सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10-20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10-20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया गया है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व-सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।

5.3.2 कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार : इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोडा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियॉ संचालित की जाएंगी :-

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
- प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 15,000.00 व्यय का प्रावधान है।

5.3.3 स्वरोजगार कार्यक्रम : **इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।**

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत किया जाएगा। महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3–7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं हे। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टास्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

5.4.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण : इस घटक के अंतर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 6 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 2–4 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

5.5.5 शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता : इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1–2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभांवित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी तथा प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति अधिकतम रूपये 750/– का व्यय किया जा सकेगा।

5.6.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना : इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी, अस्पताल आदि के समीप निर्मित किए जाएंगे। आश्रय भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा।

––––

6 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)

6.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के 65 बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

6.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 20 प्रतिशत एवं निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है। उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांश, राज्यांश, निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है।

6.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है। इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है।

6.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

6.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा के लिए सबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता म समिति का गठन भी किया गया है।

6.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं:–

क्रमांक	**शहर**	**परियोजना राशि (करोड़ रू. में)**
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

6.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक चयनित चार शहरों के लिए रूपये 3346.38 करोड़ की लागत की 52 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार है:–

क्रमांक	**शहर का नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**लागत (राशि करोड़ रू.में)**
1	इंदौर	13	907.97
2	भोपाल	25	1648.77
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	5	181.74
योग		**52**	**3346.38**

6.8 विभाग के वर्ष 2015–16 के बजट में मिशन मद में रूपये 99.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है। मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है। सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

6.10 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

7 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

7.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गई है। योजना का उद्दश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है।

7.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनाए स्वीकृत की जाती हैं।

7.3 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2012 तक रूपये 376.28 करोड़ लागत की 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 22,998 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें 11594 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 5400 आवास हितग्राहियों को आवंटित भी किये जा चुके है।

7.4 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

8 राजीव ऋण योजना (RRY)

8.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2013 में आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को नवीन आवास निर्माण एवं वर्तमान आवासीय इकाईयों के संधारण/विस्तारण हेतु राजीव ऋण योजना लागू की गई है।

8.2 यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू है।

8.3 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को 5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

8.4 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) की अधिकतम आय रूपये 1.00 लाख एवं निम्न आय वर्ग (LIG) की अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार होना चाहिये।

8.5 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये अधिकतम ऋण रूपये 8.00 लाख (रूपये 5.00 लाख रियायती ब्याज दर पर) दिये जाने का प्रावधान है।

9 छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)

9.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्दश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है।

9.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्दोय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

9.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

9.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

9.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रूपये 2849.36 करोड़ लागत की 114 नगरों की 179 (पेयजल, सड़क, सीवेज, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन) परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 46 परियोजनाओं (39 जलप्रदाय, 6 सड़क एवं 1 सीवेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

9.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है।

––––

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 52094 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवत्ति, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आईटीआई एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रूपये 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। वर्तमान तक 51221 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को रोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 23868 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

4. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे कश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तक 6330 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रसूती सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

5. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 20,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है।

6. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

राज्य शासन द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 2.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान

के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के अतिरिक्त समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत 15 प्रतिशत मर्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के अंतर की राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान है।

7. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

7.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है।योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

7.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 135 नगरीय निकायों को कुल रूपये 1889.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक रूपये 68.00 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का विवरण **परिशिष्ट–नौ** पर है।

8. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

8.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

8.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

8.3 योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश की कुल 277 नगरोय निकायों को रूपये 1,429.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें रूपये 1,000.00 करोड़ हडको से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

8.4 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 264 नगरीय निकायों को रूपये 1306.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं रूपये 307.76 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया है तथा हड़को द्वारा रूपये 319.64 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। योजना के अंतर्गत 200 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 32 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

9. एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

9.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्नपरियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत् राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

9.2 एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 11 नगरीय निकायों को कुल राशि रूपये 157.45 करोड़ स्वीकृति की गई तथा इन निकायों को कुल राशि रूपये 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 06 नगरीय निकायों क्रमशः अलीराजपुर, महेश्वर, सेंधवा, दतिया, मण्डलेश्वर एवं लटेरी की जल प्रदाय परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	(लागत रू. लाख में)
1	नगरपालिका परिषद, सेंधवा	जल प्रदाय	2141.74
2	नगर परिषद् डीकेन	जल प्रदाय	558.20
3	नगर परिषद् पृथ्वीपर	जल प्रदाय	1450.44
4	नगरपालिका परिषद, दतिया	जल प्रदाय	2225.90
5	नगर परिषद् लटेरी	जल प्रदाय	1052.04
6	नगर परिषद् महेश्वर	जल प्रदाय	1187.00
7	नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर	जल प्रदाय	1337.00
8	नगरपालिका परिषद, सीहोर	जल प्रदाय	700.00
9	नगर परिषद् गरोठ	जल प्रदाय	1507.00
10	नगर परिषद् सैलाना	जल प्रदाय	486.00
11	नगर परिषद् ब्यौहारी	जल प्रदाय	3100.00
	योग		15745.32

———

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP)

1.1 मध्यप्रदेश शासन एवं ब्रिटिश सरकार के Department for International Development (DFID) के सहयोग से मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP) प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में प्रारंभ किया गया था, परियोजना की अवधि जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक थी।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल रूपये 220 करोड़ (27.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से रूपये 160 करोड़ (20 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की वित्तीय सहायता तथा रूपये 60 करोड़ (7.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की तकनीकी सहायता प्राप्त हुई।

1.3 वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से मध्यप्रदेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की सीड केपिटल के लिये रूपये 62.50 करोड़ (8 मिलियन पौण्ड) की राशि प्राप्त हुई।

2. उपलब्धियाँ

2.1 ईआरपी आधारित ई–नगर पालिका परियोजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों में प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद, बुदनी एवं बैरसिया में उक्त पद्धति पॉयलेट के रूप में प्रारंभ की जा रही है तथा अन्य समस्त नगरीय निकायों में द्वितीय चरण में उक्त पद्धति लागू की जायेगी। ई–नगर पालिका पद्धति अंतर्गत नगरीय निकायों के सभी मुख्य मॉड्यूलों का कम्प्यूटराईजेशन किया जायेगा।

2.2 ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) परियोजना के ई–गवर्नेन्स घटक के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया गया।

2.3 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 62 नगरीय निकायों को स्वच्छता संबंधित उपकरणों एवं वाहनों (कम्पेक्टर, छोटा कचरा वाहन) के क्रय हेतु 24.23 करोड़ रूपये दिये गये।

2.4 महिलाओं पर होने वाली हिंसा में कमी लाने व साक्ष्य निर्धारण हेतु चार शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में एक्शन रिसर्च की गई। पुरूष के नजरिये में बदलाव हेतु युवा दलों का गठन एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2.5 उर्जा दक्षता योजना अंतर्गत चुनिंदा शहरों को उर्जा दक्ष बनाने के लिये योजना तैयार की गई। स्ट्रीट लाईटिंग एवं वाटर पंपिंग के उर्जा दक्षता ऑडिट किये गये। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया तथा सौर उर्जा के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

2.6 शहरी निर्धन समुदाय को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, सागर, रतलाम नगर निगमों को पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिये राशि उपलब्ध करायी जाकर संबंधित कार्य पूर्ण किये गये हैं।

3. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

3.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 128 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 128 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं है, जिसमें प्रथम ट्रांच में 50 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय ट्रांच में शेष 78 जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी, 4 नगरों क्रमशः मैहर, खजुराहो, राजनगर एवं सांची में मल जल निस्तारण योजनाएं प्रस्तावित है।

3.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 4920.00 करोड़ अर्थात् 820 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत सरकार की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अनुदान तथा 50 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण

उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य का अनुदान तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

3.4 विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

3.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। प्रथम ट्रांच के प्रस्ताव का अनुमोदन अगस्त, 2014 में किया जाकर एडीबी को भेजा गया एवं इस परियोजना में डीपीआर तैयार हो रहे हैं। द्वितीय ट्रांच के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं।

3.6 परियोजना के अंतर्गत प्रथम ट्रांच में सम्मिलित नगरीय निकायों की सूची निम्नानुसार है–

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम
1	सांची	26	पानखेड़ी (कालापीपल)
2	बैतूल बाजार	27	सुसनेर
3	आमला	28	कुकड़ेश्वर
4	भैंसदेही	29	अठाना
5	सारणी	30	नयागांव
6	सोहागपुर	31	सरवनिया महाराज
7	बनखेड़ी	32	माकडोन
8	मउगंज	33	चंदिया
9	अमरपाटन	34	अकोदा
10	मैहर	35	आलमपुर
11	न्यू रामनगर	36	फूंफकलां
12	खजुराहो	37	दबोह
13	राजनगर	38	गोरमी
14	मकरोनिया	39	लहार
15	सागर	40	मेहगांव
16	जैतहरी	41	मिहोना
17	खांड	42	श्योपुरकलां
18	पिछोर	43	विजयपुर
19	आंतरी	44	झुंडपुरा
20	बदरवास	45	जौरा
21	करेरा	46	ईसागढ़
22	पिछोर	47	शढौरा
23	बैराढ़	48	आरोन
24	नगरी	49	राधोगढ़
25	पोलायकलां	50	बिलौआ

4. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

4.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं जलप्रदाय योजनाओं से छूटे हुये नगरों में जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

4.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 18 नगरों में मल जल निस्तारण तथा 7 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है।

4.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 11 नगर क्रमशः अमरकंटक, डिण्डौरी, भेड़ाघाट, शाहगंज, बुदनी, नसरूल्लागंज, नेमावर, ओंकारेश्वर, मण्डलेश्वर, महेश्वर, धरमपुरी तथा 7 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः मंदसौर, शाजापुर, कटनी, चित्रकूट, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

4.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, मुरैना, खरगोन, सेवढ़ा, बड़ामलहरा, आलोट एवं पटेरा में प्रस्तावित है।

4.5 परियोजना की कुल लागत रू. 996.00 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत सरकार की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र का अनुदान तथा 50 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

4.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

4.7 परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 03 जलप्रदाय योजनाएं क्रमशः बुरहानपुर, खरगौन एवं सेवढ़ा तथा सीवरेज की 05 योजनाएं क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं मंदसौर की डीपीआर पूर्ण की गई है तथा शेष कार्यों की डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

4.8 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

5. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम

5.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये सीवरेज परियोजनाओं के लिए केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

5.2 योजना के अंतर्गत 7 नगरों में मल जल निस्तारण प्रस्तावित है, जिसमें नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 6 नगर क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी, सेंधवा एवं सनावद तथा बेतवा नदी के किनारे स्थित 1 नगर – विदिशा सम्मिलित है।

5.3 परियोजना की कुल लागत रू. 500.50 करोड़ (71.50 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित वे नगर जो भारत शासन की अमृत योजना में सम्मिलित है, को 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का अनुदान एवं 50 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा तथा अन्य नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

5.4 योजनाओं के लिए फीजिबिलिटी स्टडी की कार्रवाई प्रगति पर है।

5.5 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा को गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1)	जनरल बेसिक ग्रांट	–	(वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)
(2)	परफॉरमेंस ग्रांट	–	(वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक)

1.2 वित्तोय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्रांट की राशि रूपये 24839.50 लाख प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

2 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने म कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेतर मदों जैसे सडक मरम्मत, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 20 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान एवं 10 प्रतिशत अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं का पूर्ण करने के लिये अनुदान दिया जाता है।

2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये है।

2.4 वर्ष 2015–16 में माह फरवरी तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 12547.74 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तोय संस्थानों/बाजार स पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तोय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी का गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

3.6 उपरोक्तानुसार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को **मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड** का गठन किया गया है।

4 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

4.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

4.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

4.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त संचालक नियुक्त किया गया है।

4.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

4.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से रूपये 6416.00 करोड़ की पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

4.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

4.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

5 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों मे मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी है :–

- माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।
- मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी हेतु प्रबंध संचालक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।
- उभय शहरों में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के वित्त पोषण हेतु जायका द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदाय की जा चुकी है, औपचारिक सहमति प्राप्त किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है।
- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जायका से ऋण प्राप्त किए जाने के संबंध में Dept Sustainability Clearance Certificate जारी किया जा चुका है।

5.2 उभय शहरों में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी ह। ड्राफ्ट डी.पी.आर. अनुसार भोपाल में मेट्रो परियोजना हेतु लगभग 95.03 कि.मी. एवं इंदौर में लगभग 104.25 कि.मी. का नेटवर्क प्रस्तावित है। भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रूपये 22504.25 करोड़ एवं इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रूपये 26762.21 करोड़ है। इस प्रकार उभय शहरों में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की कुल लागत लगभग राशि रूपये लगभग 49266.46 करोड़ है।

5.3 राज्य शासन द्वारा उभय शहरों में मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन चरणवार किया जाएगा।

5.4 भोपाल के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :—

कॉरिडोर नंबर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
कॉरिडोर नं. 2	करोंद चौराहा—भोपाल टॉकिज—रेल्वे स्टेशन—भारत टॉकिज—पुल बोगदा—सुभाष नगर अंडर पास—डी.बी. मॉल—बोर्ड ऑफिस चौराहा—हबीबगंज नाका—अल्कापुरी बस स्टेंड—एम्स	14.99	4411.18
कॉरिडोर नं. 5	डिपो चौराहा—जवाहर चौक—रोशनपुरा चौराहा—मिंटो हॉल—लिली टॉकिज—जिंसी चौराहा—पुल बोगदा—प्रभात चौराहा—अप्सरा टॉकिज—गोविंदपुरा इन्ड्रस्ट्रीयल एरिया—रत्नागिरी तिराहा	12.88	2551.74
	कुल	**27.87**	**6962.92**

5.5 परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण निम्नवत् होगा :—

परियोजना की लगभग कुल लागत (करोड़ में)	जायका फंडिंग			भारत सरकार (20%)
	एमपीएमआरसीएल (60%)	राज्य (20%)	कुल	
6962.92	4177.80	1392.58	5570.34	1392.58

5.6 प्रथम चरण 2016—17 से प्रारंभ होकर वर्ष 2021—22 तक पूर्ण होगा।

5.7 इंदौर के लिए प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है :—

कॉरिडोर नंबर	कॉरिडोर का विवरण	लगभग लम्बाई (किमी)	लगभग लागत (करोड़ में)
कॉरिडोर नं. 3	ननोद—सुपर कॉरिडोर—भंवरसाला चौराहा—एम.आर टेन फलाईओवर—विजय नगर चौराहा—रेडिसन चौराहा—बंगाली चौराहा—पलासिया चौराहा—राजवाड़ा—बड़ा गणपति—कलानी नगर—एयरपोर्ट—ननोद	31.53	**7522.63**
	कुल	**31.53**	**7522.63**

5.8 परियोजना के प्रथम चरण का वित्त पोषण निम्नवत् होगा :—

परियोजना की लगभग कुल लागत (करोड़ में)	जायका फंडिंग			भारत सरकार (20%)
	एमपीएमआरसीएल (60%)	राज्य (20%)	कुल	
7522.63	4513.69	1504.52	6018.10	1504.52

5.9 प्रथम चरण 2016—17 से प्रारंभ होकर वर्ष 2021—22 तक पूर्ण होगा।

6 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

6.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहरों में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उभय शहरों हेतु DPR तैयार किया जा चुका है। उभय शहरों में मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन चरणवार किया जायेगा। भोपाल में प्रथम चरण में लगभग 28 कि.मी. नेटवर्क एवं इन्दौर में लगभग 32 कि.मी. नेटवर्क क्रियान्वित की जायेगी।

भोपाल में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की लागत लगभग 7 हजार करोड़ एवं इन्दौर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की लागत लगभग 9 हजार करोड़ होगी।

6.2 प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहरों की भॉति, जबलपुर के लिये भी Mass Rapid Transit System (Metro) परियोजना हेतु प्री–फीजिबिलिटी कराये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग स्तर पर प्री–फीजिबिलिटी कराये जाने हेतु एजेंसी चयन का कार्य प्रचलित है।

9.3 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन को शहर स्तरीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु शहर स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथोरिटी (C-UMTA) के गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

6.4 प्रदेश के शहरो में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) गठित किया जा चुका हैं। शहरों में Dedicated Urban Transport Fund (DUTF) गठन प्रस्तावित है।

6.5 प्रदेश के 04 मिशन शहरो में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के मिशन शहरों:– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन के साथ–साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों :– ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, भिंड, गुना, शिवपुरी एवं विदिशा में सिटी बस सेवा प्रस्तावित है।

6.6 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई।

6.7 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग, लोक परिवहन नियोजन एवं विज्ञापन प्रबंधन में समन्वय किये जाने हेतु शहरों के लिये विज्ञापन नियम एवं विज्ञापन कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

6.8 प्रदेश के चार प्रमुख शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के लिये Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार किया गया। उक्त चार प्रमुख शहरों के अतिरिक्त प्रदेश के 21 अन्य बड़े शहरों के लिये CMP तैयार करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। विभाग स्तर पर CMP तैयार किये जान की कार्यवाही की जा रही है।

6.9 प्रदेश के शहरों में सुव्यवस्थित नगर नियोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु Transit Oriented Development (TOD) नीति तैयार की जा रही है।

6.10 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5 अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 10 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

6.11 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बक द्वारा Global Environment Facility (GEF) अंतर्गत इन्दौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतु राशि रूपये लगभग 57 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6.12 प्रदेश के शहरों में Stack पार्किंग पॉयलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव विचाराधिन है।

6.13 शहरी लोक परिवहन व्यवस्था हेतु Automatic Fare Revision (AFR) Policy का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पॉलिसी के माध्यम से शहरी लोक परिवहन के टिकिट की दरों को ईंधन के मूल्य, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि इत्यादि घटकों से जोड़ा गया है। इससे शहरी लोक परिवहन की वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य शासन को Viability Gap Funding (VGF) हेतु राशि निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

6.14 विभाग द्वारा Passenger Fault System (PFS), Automatic Fare Revision (AFR) Policy, शहरों में DUTF गठन एवं शहरी परिवहन हेतु अन्य आवश्यक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे शहरी लोक परिवहन की संवहनीयता में वृद्धि होगी।

6.15 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System (BRTS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है,

जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है।

7 सिंहस्थ, 2016

7.1 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया गया था, जिसका पुनर्गठन दिनांक 25.01.2014 को किया गया है। सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है।

7.2 समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत राशि रूपये 2510.82 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए है। संबंधित विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.12.2015 तक (विगत वित्तीय वर्षों सहित) राशि रूपये 1432.89 करोड़ मुक्त किए जा चुके है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। सिंहस्थ के अंतर्गत विभागवार स्वीकृत कार्यों का विवरण **परिशिष्ट–दस** पर है।

8 मध्यप्रदेश प्रापर्टी टक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

9 आश्रय स्थल (रैनबसेरा)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये 100 रैनबसेरा के निर्माण कर संचालन किया जा रहा है। रैनबसेरों में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग रहने की व्यवस्था है। रैनबसेरों मे आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसेः– बिस्तर, प्रकाश, पानी, शौचालय, टेलीविजन, सामाचार पत्र, लाकर, सर्दी में कंबल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 31 NULM शहरों में आश्रय स्थल निर्माणाधीन है तथा आश्रय स्थलों का संचालन एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

10 शहरी सुधार कार्यक्रम

10.1 प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' तैयार की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

क्र.	घटक	प्रगति
1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	56 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 97 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 225 नगरीय निकायों हेतु निविदाएं बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
2.	नगरीय निकायों में ई–प्रशासन स्थापित करना।	इस हेतु राज्य स्तर पर ''ई–नगरपालिका'' साफ्टवेयर तैयार किए जाने हेतु एजेंसी की नियुक्ति की जा चुकी है। अप्रैल 2016 से 7 नगरीय निकायों तथा शेष नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से अप्रैल, 2017 तक लागू किया जाना है।
3.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायर तथा	वर्तमान में 17 निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 125 निकायों में कार्य प्रगति पर है। 227

	वसूली में वृद्धि किया जाना।	नगरीय निकायों हेतु निविदा बुलाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
4.	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं का प्रावधान।	इस हेतु नगरीय निकायों के बजट में 25 प्रतिशत की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
5.	प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधार।	1. नगर निगमों तथा नगर पालिका/ /परिषदों के लिये आदर्श कार्मिक संरचना लागू की गयी है। 2. नगरीय निकायों के लिए नवीन राज्य स्तरीय ''म.प्र.नगरीय वित्त सेवा'' गठित की गयी है। 3. पूर्व से प्रचलित म.प्र. नगरीय प्रशासनिक, यांत्रिकी तथा स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया गया है। 4. संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है।

11 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्दश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार वित्तोय वर्ष 2015–16 में गत वर्ष के राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जायेगे

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों का पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन सचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लियेसंचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14,908 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे ह, जिस पर रूपये 13.61 करोड़ प्रतिमाह वित्तोय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1689 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें पेंशन/परिवार पेंशन एवं उपदान के रूप में प्रथम भुगतान पर कुल रूपये 45.46 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 133.00 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। पेंशन वितरण की उक्त प्रक्रिया को और अधिक लाभदायक एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के Central Pension Proccessing Center के माध्यम से पेंशन वितरण करने हेतु भारतीय स्टेट बक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन का वितरण प्रारंभ किया जा चुका है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों /अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों /नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent RetirementAccount Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 599 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 2961 कर्मचरियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैंउनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. स्थानीय निकाय परिवार कल्याणनिधि योजना, 1987

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए पूर्व में माह अक्टूबर, 1987 से "परिवार कल्याण योजना" लागू की गई है, जिसका संचालन संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं जन सेवकों द्वारा क्रमशः रूपये 160.00, 120.00, 100.00, 60.00 एवं 30.00 मासिक अभिदान दिया जाता है।

3.2 योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000.00 और 30,000.00 का भुगतान किया जाता है तथा सेवानिवृत्ति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है।

3.3 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है।

4. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

4.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2003 के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014 माह अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

4.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार हैः–

अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,50,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

4.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य /वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

4.4 वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपरोक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल 1019 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 4.16 करोड़ का भुगतान किया गया है।

5. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

5.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्दश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

5.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 1,00,000.00 सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

5.3 वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कुल 71 प्रकरणों म कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 35.75 लाख का भुगतान किया गया है।

––––

भाग–चार
अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्पूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान का गठन किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजाभोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप ग्राम भौरी में प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा भी संस्थान के वित्तीय सहयोग के लिए रूपये 60.00 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। संस्थान के सभी कार्य शासी–परिषद् के मार्गदर्शन में संपन्न होते हैं तथा दैनंदिनी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय कार्यकारी परिषद् द्वारा लिया जाता है। शासी–परिषद् एवं कार्य परिषद् में केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले विषय विशेषज्ञ, उद्यमी, सामुदायिक संगठनों एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

1.3 संस्थान द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सेवकों, नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं नगरीय विकास से सरोकार रखने वाले प्रतिनिधियों क व्यवस्थित उन्मुखोकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। प्रशिक्षित करने तथा उनमें नगरोय प्रबंधन एवं अभिशासन का समसामयिक ज्ञान एवं कौशल

1.4 विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग के अनुसार संस्थान तथा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में कुल 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों के कुल 2565 लोक सेवक सम्मिलित हुए। इस प्रकार प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 47 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया है।

1.5 संस्थान एवं प्रशिक्षण शाखा द्वारा विगत वर्षों की भांति वर्ष 2016–17 के लिए भी प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया गया है। प्रशिक्षण पंचाग के अनुसार इस वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य रूप से नगरीय विकास एवं प्रबंधन के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाने का लक्ष्य है। इन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 32 विषयों पर लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्राथमिकता के आधार पर एवं लोक सेवकों को सम्मिलित करते हुए लगभग 3500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा संचालनालय, संभागीय कार्यालय और नगरीय निकायों के कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया गया है।मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्थाकी गई है। इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगरपालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराय गये हैं।

2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.3 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों /कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

2.4 **नगर पालिक निगम, भोपाल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम एवं समस्त कार्यप्रणाली कम्प्यूटरीकृत की गई है। उक्त प्रणाली लागू होने से नागरिक अपने करों एवं उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान ऑन लाईन कर रहे हैं। भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बड़े नगरों में भी लागू करने की योजना है।

2.5 **E-Nagar Palika** म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों में ERP आधारित E-Nagar Palika एप्लीकेशन्स का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

2.6 **अर्बन सेक्टर मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (USMIS)** के अंतर्गत संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं नगर निगमों को सूचनाओं तथा जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परस्पर जोड़ा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को संचालनालय से जोड़ने हेतु डाटाबेस तैयार किया गया है।

2.7 USMIS के अंतर्गत वर्तमान में नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, यूआईडीएसएसएमटी तथा पेंशन प्रकोष्ठ को ऑनलाईन कर दिया गया है।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वय का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रसिग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्दश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनो की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

5. नगरीय निकायों के निर्वाचन

5.1 वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 19 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराए गए।

6. स्थानांतरण एवं पदोन्नति

6.1 वित्तीय वर्ष के दौरान संचालनालय क अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 570 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गय।

6.2 वित्तीय वर्ष के दौरान संचालनालय के अंतर्गत निम्नलिखित संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गईः–

क्र.	पूर्व पद का नाम	पदोन्नति पद का नाम	संख्या
1.	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	01
2.	उप संचालक	संयुक्त संचालक	01
3	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "कक"	अपर संचालक	01
4.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'क'	संयुक्त संचालक	12
5.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'ख'	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'क'	14
6.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'ग'	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'ख'	14
7.	निकाय कर्मचारी से	मुख्य नगरपालिका अधिकारी 'ग'	30
8.	उपयंत्री	सहायक यंत्री	43
9.	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	05
10.	स्वास्थ्य निरीक्षक	स्वास्थ्य अधिकारी	11

7. विधि विषयक कार्य

7.1 मध्यप्रदश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86 सहपठित धारा 355 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नवीन मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 बनाए गए, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 12.03.2015 को किया गया।

7.2 मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 में राज्य शासन द्वारा पदोन्नति, सेवा का नाम एवं गोपनीय प्रतिवेदनों आदि के सबंध में विभिन्न नवीन प्रावधानों के संबंध में संशोधन किए गए, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10.04.2015 को किया गया।

7.3 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अधिकारी तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 में राज्य शासन द्वारा अनुसूची–एक में वृहद संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15.07.2015 को किया गया।

8. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग

8.1 प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्दश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्य हैं।

8.2 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा 03 वर्ष अथवा मनोनयन वापस लेने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाता है। आयोग के कार्यालय के प्रशासकीय अमले की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

8.3 आयोग द्वारा प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिये सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना बनाने एवं शिकायतों आदि की जांच करने के कार्य किये जा रहे हैं।

8.4 उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने व उक्त संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने का कार्य भी किया जा रहा है।

नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है । विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना होता है, एवं एक नियमित अंतराल पर उनका नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है । जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संचालनालय के संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय– होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय– बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड छतरपुर, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स.क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे/प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02

17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर/केडआपरेटर/फोटोग्राफर/मॉडलर/सहा.मॉडलर/कलाकार/नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यूटर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	दफ्तरी	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
39.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 संविदा पर 09	21
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29
42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 संविदा सेवा पर–41	98
43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये ।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायेः–

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है । जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण		
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकासप्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व :

2.1 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः–

2.2 प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना – मध्य प्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन(रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार कर प्रकाशन हेतु तैयार है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. के साथ कार्य करने हेतु एम.ओ.यू. किया जा रहा है ।

2.3 नगर विकास योजना तैयार करना – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 96 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं,जिसमें से 75 विकास योजनायें अंगीकृत की गई हैं, तथा पुनरीक्षित विकास योजनाएं 32 प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें से 19 अंगीकृत होकर प्रभावशील हैं। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय / पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक / हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय /

						हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय/ औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09-08-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05-12-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
29	खरगौन	16-03-2002	05-12-2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25-03-2002	16-12-2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21-01-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29-09-2002	12-05-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21-01-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29-03-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05-05-2003	10-10-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04-09-2003	28-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28-02-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23-06-2004	28-01-2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06-07-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20-08-2004	20-05-2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
42	अमरकंटक	30-10-2004	20-05-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10-12-2004	30-08-2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22-03-2005	12-09-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
45	होशंगाबाद	27-04-2005	03-02-2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29-6-2005	26-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06-09-2005	12-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18-11-2005	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक

49.	राजगढ़	16.01.2006	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31-05-2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03-08-2002	18-05-2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25-09-2006	17-9-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15-02-2007	17-9-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30-06-2007	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30-08-2007	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05-01-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21-01-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28-3-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27-03-2006	8-10-2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29-07-2006	8-10-2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62.	सिवनी	14-08-2007	8-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31-03-2006	19-6-2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05-09-2008	27-06-2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29-07-2006	30.03.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22.7.2008	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12-01-2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
68.	डबरा	07-07-2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12-10-2009	4.03.2011	नगरपालिका	2021	तहसील/ पवित्र नगरी
70.	पचमढ़ी	11-08-1998	पुनर्प्रकाशन किया जाना है.	साडा	2011	पर्यटक
71.	आष्टा	30-08-2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
72.	नरसिंहगढ़	29-09-2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	मंडीदीप	04-06-2009	पुनर्प्रकाशन किया जाना है.	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
74.	डिंडोरी	31-07-2009	—	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
75.	खुरई	22.10.2009	—	नगरपालिका	2021	तहसील
76.	नौगाव	11-02-2010	—	नगरपालिका	2021	तहसील
77.	गरोठ	10-08-2011	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
78.	पिपरिया	11-08-2011	1.8.2014	नगरपालिका	2021	तहसील
79.	भेडाघाट	15-09-2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
80.	मढई	5-10-2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
81.	नागदा	10-10-2011	—	नगरपालिका	2021	औद्योगिक
82.	सेंधवा	22-10-2011	16.3.2015	नगरपालिका	2021	तहसील
83.	ब्यावरा	22-12-2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील
84.	सौंसर	23-12-2011	—	नगरपालिका	2021	तहसील

85.	सलकनपुर	23-12-2011	—	ग्राम पंचायत	2021	पवित्र नगर
86.	चाकघाट	08-02-2012	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
87.	आमला	22-03-2012	—	नगरपालिका	2021	तहसील
88.	कुक्षी	30-03-2012	—	नगर परिषद	2031	तहसील
89.	रामपुर बाघेलान	30-03-2012	26.8.2015	नगर परिषद	2021	तहसील
90.	आलोट	30-03-2012	—	नगर पंचायत	2031	तहसील
91.	बांधवगढ	17-09-2012	—	नगर पंचायत	2031	पर्यटन स्थल
92.	गोहद	08-03-2013	19.09.2013	नगर पालिका	2031	तहसील
93.	गंजबासौदा	10-05-2013	20.6.2014	नगर पालिका	2031	तहसील
94.	मण्डीदीप	24-05-2013	—	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
95.	शुजालपुर	22.2.2014	27.2.2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
96	आगर	28-1-2015				

2.4 पुनरीक्षित विकास योजना — इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है । इसके अंतर्गत 32 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 19 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है —

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	कियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	भोपाल	29-08-2009	पुनः प्रकाशन किया जाना हैं।	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय, राजधानी
13.	रतलाम	22-10-2009	14-6-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
14.	ग्वालियर	12-08-2011	12-9-2014	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
15.	शिवपुरी	18-11-2011	-	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय/

						पर्यटक
16.	बीना	2-12-2011	-	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
17.	विदिशा	25-01-2012	-	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
18.	खंडवा	05-09-2012	-	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
19.	देवास	09-10-2012	-	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
20.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
21	दमोह	15-03-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-6-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
23	शहडोल	28-01-2014	31-3-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
24.	नीमच	7-2-2014		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
25	सिंगरौली	21-2-2014	27-3-2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
26	सागर	28-202014		नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
27	गुना	28-2-2014		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
28	मैहर	28-2-2014	16-3-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
29	सीहोर	28-6-2014		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30	इटारसी	5-3-2015		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
31	चित्रकूट	31-3-2015		नगर परिषद	2031	धार्मिक नगर
32	हरदा	27-8-2015		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व :–

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण।

3.4 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण ।

4. अन्य दायित्व –

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है । नेशनल अर्बन इन्फार्मेशन सिस्टम, योजना के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्यरत है ।

4.1 <u>विशेषतायें</u>

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं ।

4.2 <u>बेबसाईट प्रदर्शन</u>

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in & www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है । इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्यय नियम, 1975 आदि भी शामिल

किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है ।

4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

क्रमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1.	निवेश क्षेत्र का गठन	158
2.	भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत	101
3.	विकास योजना प्रकाशित / प्रभावशील	96 / 75
4.	जिला मुख्यालय नगरो की विकास योजना प्रकाशित	51 / 51
5.	पुनरीक्षित विकास योजना प्रकाशित / प्रभावशील	32 / 19
6.	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 प्रभावशील	145
7.	नगर विकास प्राधिकरण	10
8.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	05

4.4 विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत

नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 96 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 75 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2013–14	975.00	771.52
2014–15	1285.02	1106.28
2015–16	2416.1	706.8 (31 दिसम्बर 2015 तक)

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना :

क्र	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2013–14	14नगरो की वि0यो.	6 नगरो के प्रारूप प्रकाशित	320.00	194.58
		2014–15	12 नगर	10 नगरों की विकास योजना तैयार	350.00	296.06
		2015–16 8 कार्या. / 8 नगर (31 दिसम्बर 2015 तक)	6 नगर	2 नगरों की विकास योजना तैयार 4 नगरों की योजना प्रगति पर	394.08	126.06

2.	प्रादेशिक योजना	2013–14	2 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन कार्य अंतिम चरण में ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन	85.00	79.33
		2014–15	1 रीजन	नर्मदा ताप्ति रीजन	90.00	7.43
		2015–16 (31 दिसम्बर 2015 तक)	1 रीजन	भोपाल केपीटल रीजन 1:50000 पर तैयार	100.00	23.56
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	2013–14	4 कार्या. / 4 नगर	4 कार्यालय	265.00	229.19
		2014–15	8 कार्या. / 8 नगर 4 कार्या. जी.आई.एस में उन्नयन.	8 कार्या. / 8 नगर 4 कार्या. जी.आई.एस में उन्नयन.	270.00	228.79
		2015–16 (31 दिसम्बर 2015 तक)	8 कार्या. / 8 नगर	8 कार्या. / 8 नगर	296.99	126.68
4	विकास प्राधिकरण को अनुदान	2013–14	7 नगर	7 नगर	305.00	305.00
		2014–15	7 नगर	7 नगर	574.00	574.00
		2015–16 (31 दिसम्बर 2015 तक)	7नगर	7 नगर	574.009	430.50

टीपः– सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। म0प्र0 विकास प्राधिकरण संघ द्वारा 4 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की गई हैं। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शुल्क जमा कराया जा रहा है एवं सभी अनुमतियॉ ऑन लाईन जमा करने के साफ्टवेयर विकसित किये गये है ।

1.1 वित्तीय वर्ष 2015–2016(दिसम्बर 2015 तक) की उपलब्धियॉ :

भौतिक उपलब्धियॉ

(अ) प्रारुप विकास योजना प्रकाशित 1.हरदा,
(2 नगर)

(ब) प्रारूप विकास योजना प्रगति पर 1.पीथमपुर, 2. चन्देरी , 3.पाण्ढूर्ना
(5 नगर) 4.माण्डव, 5. हनुवंतिया

(स) अनुमोदित विकास योजनाऐं 1. रामपुर बघेलान,
(1 नगर)

भाग – चार

1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति :

एक वर्ष 2015 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 167 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये तथा 98 प्रकरणो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। 14 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिसमें 7 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया ।

2 1.1 प्रशासकीय गतिविधियॉ –

(अ) विगत एक वर्ष की अवधि में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में 2 अधिकारियों तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में 4 कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी के 21 कर्मचारियो को पदोन्नत किया गया हैं। चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 01 कर्मचारी को पदोन्नति की गई हैं। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी के 26 एवं चतुर्थ श्रेणी के 27 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया गया है ।

(ब) विशेष अभियान में 4 कर्मचारियों की नियुक्ति एवं 1 कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ।

(स) कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 435 पद भरे हुए है जिसमें 78 महिलायें कार्यरत हैं ।

1.2. विधायी से संबंधित कार्यकलाप :–

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक पारित किया गया।

1.3 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमो में संशोधन

1. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 12 के उपनियम (2) में संशोधन ।
2. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(40)–क में संशोधन
3. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम–6 उपनियम 2 में संशोधन
4. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 9 में संशोधन
5. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 में संशोधन
6. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियम 4 में संशोधन
7. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26 के पश्चात 26(7) में संशोधन
8. म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 28 में संशोधन

भाग – पांच

1. प्रकाशन :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है ।

भाग – छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं । कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 74 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

भाग – सात

सारांश :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 158 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 101 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है । 96 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 75 विकास योजनाएं अंगीकृत है, जिसमें प्रदेश की लगभग 74 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 32 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 19 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है ।

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

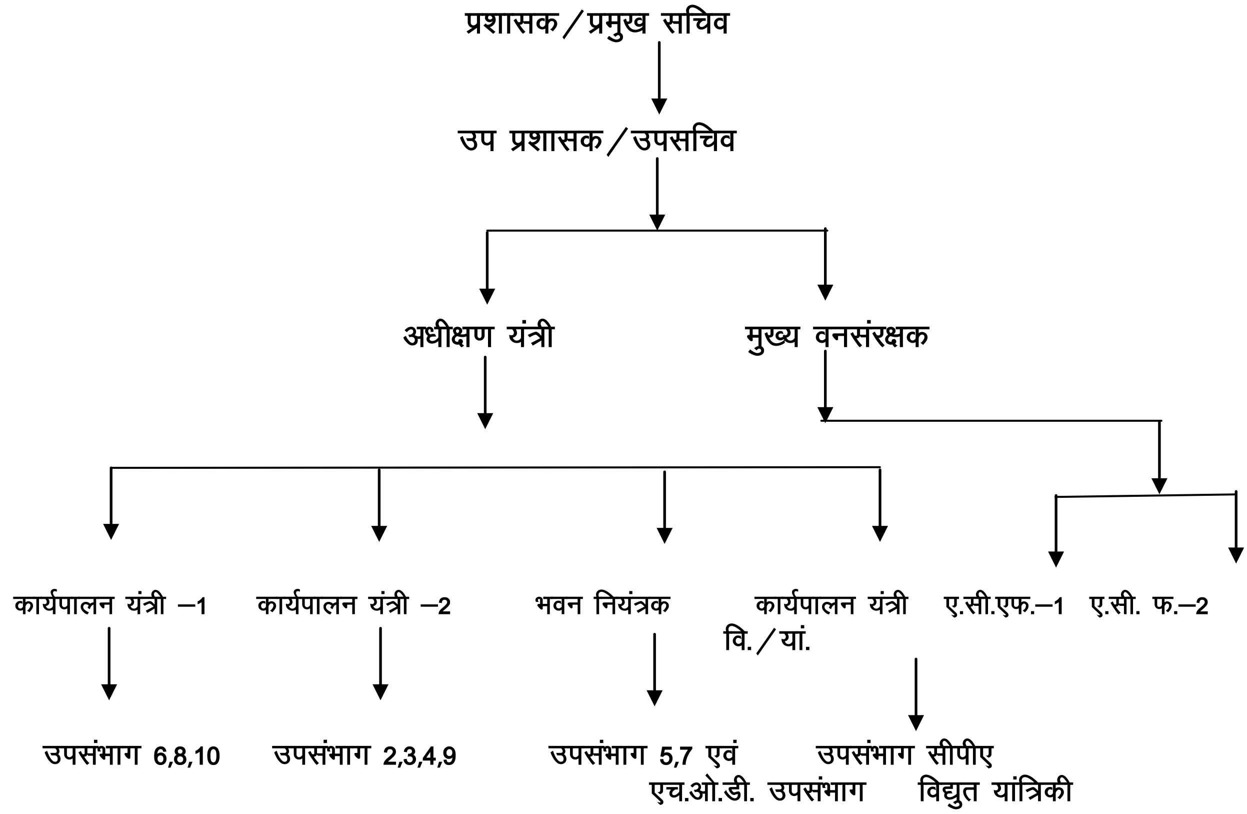

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया। वर्तमान में यह विभाग नगरीय विकास एवं पर्यावरण के अधीन कार्यरत है।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10–11 गुना बढ चुका है, और क्षेत्रफल / विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत / मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन / कार्यालयों / आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे है:–

1– मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, चार कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधिनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2– वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवंछिनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

भाग – 2

बजट प्रावधान –लक्षय व्यय (योजनावार)

क्र	योजना का नाम	2013–2014		2014–2015		2015–2016	
		प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय12/2015 तक
1	भूमि डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	51.00	50.94	30.00	00.00	73.73	73.73
3	0284 अरिहायसी भवन	530.00	537.13	400.00	216.91	289.40	269.01
4	1555 विधानसभा तथा विधायक विश्राम गृह	1.00	0.26	0.00	0.00	2000.00	120.26
5	3763 रिहायसी भवन	53.50	66.43	150.00	150.00	364.60	111.97
6	4339 सड़क एवं पुल	3200.00	3177.55	3350.00	1891.11	3030.60	637.53
7	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	800.00	784.92	900.00	519.73	900.00	530.02
8	5872–वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	915.00	892.63	150.00	0.00	750.00	350.00
9	2217–1021क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण (अनुरक्षण कार्य)	630.00	588.71	565.00	353.70	600.00	565.37
10	3414 मशीन एवं उपकरण	16.00	11.44	12.00	9.45	0.01	0.01
11	3889–वनमण्डल का स्थापना व्यय	180.00	180.00	210.00	167.67	230.00	194.83
12	7213 मंत्रालय का विस्तार कार्य	200.00	199.98	750.00	175.31	15000.00	5581.98
13	6793 लोकायुक्त कार्यालय भवन	450.00	499.98	650.00	503.05	35.40	30.84
14	7366 न्यू ट्रांजिस्ट हॉस्टल भवन का निर्माण	00.00	00.00	0.01	00.00	0.01	0.01
15	7365 प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयनीकरण एवं विस्तार कार्य (सिविल) सेवाऐं	00.00	00.00	0.01	00.00	0.01	0.01
16	न्यायलयीन प्रकरण में राशि जमा कराने बाबत (भारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र	योजना का नाम	2013–2014		2014–2015		2015–2016	
		प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय12/2015 तक
17	2059–6720–32 कार्यालय भवनों का लघु निर्माण कार्य	282.00	283.01	64.01	63.52	90.00	58.05
18	2059–6720–33 कार्यालय भवन का अनुरक्षण कार्य	1000.00	992.41	1490.26	1446.18	1750.00	1100.04
19	2059–5465–33 सतपुड़ा विन्ध्याचल भवनों का रखरखाव	350.00	349.89	323.14	283.75	475.00	360.55
20	गैस राहत चिकित्सालयों का लघु निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2059–5465–33 गैस राहत चिकित्सालयों का अनुरक्षण कार्य	200.00	164.77	157.25	157.24	180.00	81.25
22	2216–6218–32 सरकारी रिहायसी भवनों का लघु निर्माण कार्य	100.00	99.36	7.75	8.74	10.00	9.75
23	2216–6218–33 सरकारी रिहायसी भवनों का अनुरक्षण कार्य	150.00	149.24	167.71	167.69	129.00	102.18
24	2216–5486–33 गैस चिकित्सालयों का आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	40.00	20.01	12.38	12.38	36.00	3.56
25	2216–6989–32 विधायक विश्राम गृहों का लघु निर्माण कार्य	30.00	27.91	0.00	0.00	20.66	0.00
26	2216–6989–33 विधायक विश्राम गृहों का अनुरक्षण कार्य	445.00	336.86	268.79	276.43	550.00	376.76
27	3054–7320–33 राजधानी में सड़कों का अनुरक्षण कार्य	1300.00	1296.01	1830.00	1830.56	1440.00	1036.13
28	विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निमार्ण कार्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00
29	21–2059–01–053–9061–51–5999–शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शो का एकीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	500.00	381.00	0.00	0.00	0.01	0.00
30	2059–9083–33 शौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण (अनुरक्षण)	-	-	8.62	8.61	60.00	9.00

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

वर्ष 2015–16

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल हेतु वर्ष 2015–16 के लिये रुपये 23233.53 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया जिसके अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित है।

1. होशंगाबाद रोड से (श्री गणेश नगर के पास) आशाराम नगर कटारा हिल्स से वायपास को जोड़ने वाली 60 मीटर चौडी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
2. लहारपुर से संत आशाराम नगर तक प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.50 कि.मी.)
3. कलियासोत नहर के समानांतर मास्टर प्लान सड़क एवं कोलार रोड़ एन.एच.–12 को जोडने वालें मार्ग के बीच, को–आर्डीनेशन मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 2.00 कि.मी.)
4. साकेत नगर से अमरावद खुर्द होते हुए बायपास रोड़ को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 6.00 कि.मी.)।
5. एम्स रोड़ से भवानी धाम जैन मंदिर होते हुए पंचवटी मार्केट तक मास्टर प्लान सड़क तक चौड़ीकरण का कार्य ।
6. 9–ए, साकेत नगर से बाग सेवनिया के बीच बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पीछे बाऊन्ड्रीवॉल के समानांतर जाने वाले मास्टर प्लान मार्ग का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कार्य। (2लेन से 4लेन) कार्य।
7. अवंतीबाई चौराहे से एम.ए.सी.टी. कॉलेज तक मार्ग चौड़ीकरण में बाधक 11 के.वी. लाइन, पोल डी.पी.स्ट्रक्चर एवं एल.टी.लाईन शिफ्टिंग का कार्य।

8. हबीबगंज नाका डी.आर.एम. ऑफिस से साकेत नगर मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य।
9. साकेत नगर पिपलिया पेंदे खां के समीप एम्स मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
10. मास्टर प्लान कोलार जक्शन से नेहरू नगर मार्ग पर स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण कार्य।
11. भदभदा ब्रिज जक्शन से सैर सपाटा होते हुए वन–बिहार गेट तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य ।
12. बाग मुंगलिया से जाटखेडी तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि.मी.)। द्वितीय चरण चौडाई 2 लेन का कार्य।
13. माता मंदिर क्षेत्र में **36** नग **'एफ'** टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य।
14. शौर्य स्मारक के द्वितीय चरण का कार्य । केफेटेरिया एवं शौर्य स्तंभ का निर्माण।
15. पर्यावरण परिसर स्थित झील संरक्षक प्राधिकरण (एल.सी.ए.)में कान्फेन्स हॉल,लेक्चर हॉल, ऑडीटोरियम किचन, स्टोर फरारी, इत्यादि निर्माण कार्य ।
16. मंत्रालय भवन के पृथक प्रखण्ड का निर्माण कार्य।
17. विंध्याचल भवन स्थित लॉ डिपार्टमेंट के कार्यालय का उन्नयनीकरण कार्य।

प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1	मछली घर से पी.एच.क्यू. तक सडक चौड़ीकरण, उन्नयनीकरण एवं तालाब के किनारे का विकास का कार्य।
2	ऋषिपुरम फेस–1 से विवेकानंद विद्यापीठ रोड तक मास्टर प्लान सडक का निर्माण कार्य
3	छत्रसाल नगर (सम्राट कालोनी) से भवानी धाम तक मास्टर प्लान सडक का निर्माण
4	छत्रसाल नगर (फेस–1) से जुबली गेट अयोध्या वायपास तक सडक का निर्माण कार्य।
5	कोलार क्षेत्र में दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स के बीच कोलार रोड के समान्तर मार्ग का निर्माण करने बाबत्।
6	कोलार रोड स्थित अमरनाथ कालोनी गेट से जागरण कालेज जंक्शन 24 मीटर मास्टर प्लान में प्रथम चरण में 12 मीटर चौडी 2 लेन सडक का निर्माण
7	बैरागढ मेन रोड काली मंदिर से अय्यपा मंदिर सी.टी.ओ. वाया रेल्वे क्रासिंग में रोड का निर्माण कार्य।
8	शक्ति नगर से कस्तूरबा हॉस्पिटल की पूर्व दिशा से होते हुये करियर कॉलेज को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य
9	नेरला शंकरी अयोघ्या बायपास से अरहेडी तक मास्टर प्लान सडक का निर्माण।
10	कलियासोत मुख्य नहर से माईनर केनाल (ग्राम सलैया के निकट) तक चरण दो के अंतर्गत (सेन्ट्रल वर्ज के दायी तरफ) मार्ग का मजबूतीकरण का कार्य।
11	नेहरू नगर चौराहा से शाहपुरा कोलार रोड़ को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण का कार्य
12	कोलार मार्ग से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम, जे.के. हास्पिटल होते हुये दानिश कुंज चार बत्ती चौराहे को जोड़ने वाने मार्ग का चौड़ीकरण कार्य
13	हबीबगंज अंडर ब्रिज से दानापानी ढाबे तक सडक का चौडीकरण एवं उन्नयनीयकरण।
14	जे.के. रोड से बी.एच.ई.एल जुबली गेट एवं सोनागिरी चौराहे को जोड़ने वाली मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण
15	सनखेड़ी कोलार रोड़ भोपाल में शमशान घाट के पहुंच मार्ग मे बड़े नाले पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य
16	बावडिया कलॉ रेल्वे क्रासिंग से बावड़िया कलॉ रोहित नगर होते हुए एक्स्टाल कालेज तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण (फेस–1 डबल लेन)
17	होशंगाबाद रोड पर शनि, हनुमान मन्दिर के समीप से जाटखेड़ी तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण
18	कोलार रोड़ से एन.एच. 12 को जोड़ने वाली मार्ग का निर्माण (जे.के. हॉस्पिटल से कलियासोत नदी तक मार्ग एवं नदी पर उच्च्य स्तरीय पुल सहित निर्माण कार्य)
19	जे.के. रोड़ से बी.एच.ई.एल गेट नं. 1 एवं भरत नगर रोड़ चौराहे इन्द्रपुरी को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सडक का निर्माण

20	बी.एच.ई.एल. क्षेत्र स्थित निजामुद्दीन कालोनी से जे.के. रोड़ तक नव निर्मित मार्ग के सेन्ट्रल वर्ज में स्ट्रीट लाइट एवं डी.पी. स्ट्रक्चर/स्थापना कार्य
21	मास्टर प्लान रोड़ बी.एच.ई.एल. जुबली गेट से जे.के. रोड़ (बायपास) तक नवनिर्मित मार्ग सेन्ट्रल वर्ज में स्ट्रीट लाईट एवं डी.पी. स्ट्रक्चर/स्थापना कार्य
22	अवंती बाई चौराहा (माता मंदिर) से एम.ए.सी.टी. तक मार्ग पर स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण का कार्य
23	मंत्रालय वल्लभ भवन के पहुँच मार्ग एवं पार्किंग क्षेत्र में एल.ई.डी. विद्युत फिटिंग प्रदाय/स्थापना कार्य
24	विन्ध्याचल भवन में अग्नि सुरक्षा का कार्य
25	सतपुड़ा भवन में अग्नि सुरक्षा का कार्य
26	मंत्रालय वल्लभ भवन में अग्नि सुरक्षा का कार्य
27	17 अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भवन में पार्किग में पोल लगाना, एम.एस. ग्रिल, खिड़कियॉं, बालकनीस, एल्यूमिनियम ग्रिल का कार्य, गेस्ट रूम नं. 4 का कार्य एवं भूतल स्थित शौचालय का नवीनीकरण एवं अन्य कार्य
28	17 अरेरा हिल्स भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भवन में सभाकक्ष का नवीनीकरण कार्य
29	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भवन में छतों पर वाटर प्रूफिंग का कार्य
30	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भवन में एक नग लिफ्ट प्रदाय कर स्थापना कार्य
31	विभागाध्यक्ष सतपुड़ा/विंध्याचल भवन में दो–दो नग (कुल 4 नग) नवीन लिफ्ट प्रदाय/स्थापना कार्य
32	विंध्याचल भवन के तृतीय स्थित राज्य योजना आयोग के कार्यालय में कान्फ्रेंस सिस्टम, साउण्ड सिस्टम केवल पाईप एवं एलाईडएसेसरीज प्रदाय/स्थापना कार्य
33	मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित कान्फ्रेंस हॉल क्रमांक 506 हेतु एडिशनल साउण्ड सिस्टम, केवल पाईप एवं एलाईड एसेसरीज प्रदाय/स्थापना कार्य
34	सतपुड़ा/विंध्याचल वल्लभ भवन में विभिन्न स्थानों जैसे लिफ्ट के पास सीढ़ियों एवं प्रवेश द्वार पर केमरा सर्विलांस सिस्टम स्क्रीन केबल एवं एलाईड एसेसरीज प्रदाय /स्थापना कार्य
35	मंत्रालय वल्लभ भवन स्थित माननीय मुख्यमंत्री कक्ष, मीटिंग हॉल, आगुन्तक कक्ष, पी.ए. रूम कक्ष क्रमांक 506 एवं 417 (केबिनेट हॉल) आनलाईन यूपीए प्रदाय/स्थापना कार्य
36	शौर्य स्मारक भोपाल में विभिन्न ज़ोन एवं एम्पी थियेटर में साउण्ड री–इन्फोर्समेन्ट सिस्टम एवं ऑटोमेशन सिस्टम लगाने का कार्य
37	शौर्य स्मारक भोपाल में विभिन्न ज़ोनों में एल.ई.डी लाईट डिमिंग कन्ट्रोल एवं ऑटोमेशन सिस्टम लगाने का कार्य
38	शौर्य स्मारक भोपाल में कैफकेटेरिया ब्लॉक का निर्माण कार्य
39	मंत्रालय वल्लभ भवन में प्रवेश द्वार क्र.3 के समीप एक नग नवीन लिफ्ट का प्रदाय /स्थापना कार्य
40	स्वर्ण जयंती पार्क का उन्नयन कार्य
41	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में विकास कार्य
42	चिनार पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयनीकरण के कार्य
43	माता मंदिर चौराहे से अवंति बाई चौराहे तक रिवेरा टॉउन के सामने खुले मैदान का विकास कार्य।
44	सिंगार चौली नगर वन क्षेत्र का विकास कार्य
45	जवाहर बाल उद्यान में नाले का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य
46	ई–1, ई–2 पार्क में सौन्दर्यीकरण, उन्नयनीकरण एवं बाउण्ड्रीवॉल का कार्य
47	एम्स नगर वन साकेत नगर का फेन्सिंग कार्य
48	कोलार रोड़ स्थित फॉच्यून एन्कलेव के समीप पार्क का विकास कार्य
49	प्रगति नगर, भोपाल में खुले स्थान का विकास कार्य
50	अशोका गार्डन में नर्मदा रिवर मॉडल के समीप पार्क का विकास कार्य
51	कोलार मार्ग से गुल मोहर को जोड़ने वाली मार्ग से कोलार मार्ग से एन एच 12 को जोड़ने वाली मार्ग को जोड़ने वाली को–ओर्डिनेशन मार्ग का निर्माण

52 कोलार तिराहे से गुलमोहर तक मास्टर प्लान मार्ग निर्माण

53 कलियासोत नहर के समानान्तर मास्टर प्लान सड़क एवं स्वर्ण जयंती पार्क के बीच बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य ।

54 9 बी साकेत नगर से अलकापुरी हाउसिंग सोसायटी भेल के पश्चिम दिशा होते हुए शक्ति नगर को जोड़ने वाली मास्टर प्लान सड़क का निर्माण

55 होशंगाबाद रोड (गणेश मंदिर के समीप से) संत आशाराम नगर होते हुये कटारा हिल्स तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण.

56 मंत्रालय भवन में मान. मुख्यमंत्री कक्ष, वेटिंग रूम, कॉन्फ्रेन्स रूम, पेन्ट्री तथा अन्य कक्षों के रिनोवेशन कार्य

57 कोलार रोड स्थित गार्डन में स्वीमिंग पूल एवं हेल्थ क्लब का निर्माण कार्य।

58 होशंगाबाद रोड़ से एन.एच.12 के निकट 60 मी. चौडी रोड जंक्शन से जे.एन. यू. आर. एम. कालोनी
जंक्शन (निरूपम रायल पाम जंक्शन होते हुए 18 मी. चौडी मास्टर प्लान को–आर्डीनेशन सड़क का निर्माण कार्य) (लम्बाई 1 कि.मी. चैाडाई 18 मीटर)।

59 अयोध्या फेस–5 से म्युजिकल गार्डन हथाईखेडा डेम तक मार्ग चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य ।

60 कोलार रोड़ जंक्शन विशाल मेघा मार्ट से अमरनाथ कॉलोनी होते हुए जागरण कॉलेज कलियासोत बैराज तक 24 मीटर चौड़े को आर्डीनेशन मास्टर प्लान सड़क निर्माण (लम्बाई 3.15 कि0मी0 चौड़ाई 24 मीटर) 1. प्रथम चरणके अन्तर्गत मात्र दो लेन सड़क का निर्माण अमरनाथ कालोनी से जागरण
कालेज जंक्शन तक (2.40 कि0मी0)।

61 शाहपुरा तालाब के डाउन स्ट्रीट पर पाथवे पर फाउन्टेन एवं लैण्ड स्केपिंग एवं विकास कार्य।

62 ग्राम सिंगार चोली से भानपुरा तक सड़क मे प्रथम चरण में ग्राम सिंगार चौली से बैरसिया रोड़ तक 2 लेन का निर्माण कार्य ।

63 गोन्दिपुरा से खेजड़ा बरामद तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य ।

64 भदभदा विश्रामघाट में विकास कार्य।

65 संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) से सी.टी.ओ. के बीच रेल्वे फाटक के ऊपर फ्लाई ओवर का निर्माण।

66 अयोध्या नगर एफ सेक्टर से अरहेडी गाँव तक रोड का निर्माण कार्य।

67 कलियासोत छोटी नहर (शाहपुरा पुलिस थाने की ओर) से रोहित नगर फेस–1 तिराहा (सलैया थाने) बावड़ियाकला में 80 मीटर चौड़ी को–आर्डिनेशन सड़क का निर्माण कार्य।

68 स्वर्ण जयंती पार्क का उन्नयन कार्य व स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य।

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक

स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक

द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक

ई. अन्य योजनाऐं

मध्यप्रदेश, राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, शौर्य स्मारक का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8) , लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. विभागीय पदोन्नति :–

शासन के आदेश के परिपालन में वर्ष 2015–16 में विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

2. **नियुक्ति :–** – निरंक

3. **विभागीय जांच :–** – निरंक

4. न्यायालयीन प्रकरण :–

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब–दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पॉच

अभिनव योजना

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में जो महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिये गये है, उनमें मंत्रालय का विस्तार कार्य, लोकायुक्त भवन का विस्तार कार्य निर्धारित समय–सीमा से पूर्व गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण किया गया है। नवीन एम.एल.ए. रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य के साथ–साथ 36 नग एफ टाईप क्वाटर्स का निर्माण कार्य तथा महत्वपूर्ण मास्टर प्लान रोडो का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य कोलार रोड में स्वर्ण जयंती पार्क का विकास एवं उन्नयन तथा मेन रोड़ क्रमांक–3 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क उन्नयन कार्य आदि राजधानी परियोजना प्रशासन के अभिनव योजनायें है। इसके अलावा भोपाल शहर के अतिमहत्वपूर्ण मास्टर प्लान मार्गो का निर्माण कर यातायात हेतु उपलब्ध कराया है। भोपाल शहर को सुन्दर एवं पर्यावरण की दृष्टि से संपन्न बनाने हेतु ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया है।

भाग – छः–

निरंक

भाग – सात

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/ विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निक्षेप कार्य के अंतर्गत अन्य विभागों के कार्यालय भवन एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, शौर्य स्मारक का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन, लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, राष्ट्रीय फेशन टेक्नॉलोजी संस्थान का निर्माण कार्य, बेनजीर कॉलेज के

नवीन भवन का निर्माण, हज हाऊस का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/ चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा हैं एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, इस वर्ष 15 कि.मी. मास्टर प्लान सड़क का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे भविष्य में राजधानी वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग
(राज्य नगर नियोजन संस्थान)

भाग–एक

विभागीय संरचनाः –

अध्यक्ष	–	श्री लाल सिंह आर्य, मंत्रीजी,नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
महानिदेशक	–	श्री मलय श्रीवास्तव,प्रमुख सचिव,नगरीय विकासएवंपर्यावरण विभाग
कार्यपालन संचालक	–	श्री संदीप यादव, संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश

अधीनस्थ कार्यालयः – निरंक

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण : निरंक

सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 विकास प्राधिकरण – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 05– विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा एवं महेश्वर मण्डलेश्वर सदस्य संस्थायें हैं तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

उद्देश्य एवं लक्ष्य :–

1. मध्यप्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।
2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित क्रियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता
3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।
4. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन का परीक्षण ।
5. डाटा बेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।
6. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण ।
7. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण ।

8. क्रमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन ।
9. इन– हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।
10. हाल ही में सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देंश्य से न्यूजलेटर जारी करना।
11. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।
12. तत्कालीन मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना
13. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए,का निष्पादन करना।
14. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

साधारण सभा :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 35 सदस्य शामिल है।

कार्यकारिणी समिति :–

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग है। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2015–16 में कार्यकारिणी समिति की 02 बैठके आयोजित की गई।

विभाग से संबंधित जानकारी :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, जिसका पूर्व नाम म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है । वर्ष 2013 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के साधारण सभा द्वारा संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में व्यापक संशोधन किए गए तथा संस्था का नाम परिवर्तित कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग किया गया। संस्था के नये नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग का पंजीयन 1 मई, 2013 को म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं/नगरीय निकायों संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने तथा तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जाती है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं :–

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया था। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है। वर्ष 2005 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना में समाहित कर इस संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया गया। वर्ष 2009 तक योजना इस संस्थान में रही। वर्ष 2010 में योजना संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को हस्तांतरित की गई।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग, भोपाल को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है जिसके प्रथम चरण में 04 नगरों का जी.आई.एस एप्लीकेशन का कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एव अंकेक्षण :–

वर्ष 2014–2015 के प्रस्तावित आय रू. 786.52 लाख तथा व्यय रू. 776.40 लाख अनुमानित था, जिसके विरूद्ध वास्तविक आयरू. 592.97 लाख व व्यय रू. 574.21 लाख रहा। वर्ष 2015–16 के आय व्यय क्रमशः रू. 686.65 लाख व रू. 686.08 लाख अनुमानित है। वर्ष 2016–17 के वार्षिक बजट तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के वर्ष 2014–15 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है। संस्थान द्वारा लेखा/अंकेक्षण कार्यो हेतु पेनल ऑफ चाटर्ड अकाउंटेन्ट तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार निजी सलाहकार (चाटर्ड अकाउडटेंट) की सेवायें ली जाती है।

संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

स्वीकृत सेट अप :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 56 गैर तकनीकी संवर्ग के है। संस्थान में 01 सलाहकार, 02 कर्मचारी संविदा सेवा में कार्यरत है तथा शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है। 05 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा 07 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है। रिक्त पदों पर पदोन्नति अथवा पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु शासन के नियमानुसार विभागीय पदोन्नत समिति की बैठके नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है।

भाग–तीन

अ एवं ब राज्य योजनाऐं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा इन योजनाओं मे से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना एवं सूचना प्राद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है ।

(1) छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आईडीएसएमटी) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाऐं जिनकी स्वीकृति लागत रू. 14370.49 लाख है, का कियान्वयन किया जा रहा है ।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः– (1) चंबल संभाग–3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग–6 नगर, (3) उज्जैन संभाग–16 नगर, (4) इंदौर संभाग–9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग–2 नगर, (6) सागर संभाग–15 नगर, (7) रीवा संभाग–18 नगर, (8) जबलपुर संभाग–12 नगर, (9) भोपाल संभाग–16 नगर

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 8614.81 लाख (केन्द्राश रू. 4501.19 लाख+राज्यांश 4133.62 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में कोई राशि प्रावधानित नहीं की गई है। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 94 नगरों हेतु कुल सूचित व्यय रू. 8484.52 लाख है, जो कि 98.48 प्रतिशत है । वर्ष 2005 मे आईडीएसएमटी योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना में समाहित की गई है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक, बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, ऑफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है। योजनानतर्गत विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 94.59 प्रतिशत थी जो गत एक वर्ष में बढ़कर लगभग 98.82 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

वर्ष 2015–16 में आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत बेकुण्ठपुर, तराना, सिरोंज तथा नागौद नगरों की लगभग रू. 97.00 लाख आईडीएसएमटी योजना घटकों का वास्तुविदीय कार्य तथा रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत आगर, मूंदी, रामपुर–बाघेलान, शाजापुर, मैहर तथा जीरापुर नगरों की लगभग रू. 90.00 लाख योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया। वर्ष 2015–16 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड की कुल 8 नगरों के 15 योजना घटकों की रू. 839.00 लाख की योजनायें तैयार कर संस्थाओं को प्रेषित की गई।

5 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल केन्द्रांश रू. 94.643 लाख तथा राज्यांश रू. 60.269 लाख कुल रू. 154.912 लाख के केन्द्र सरकार को भेजे गये एवं 3 नगरों के उपयोगिता प्रमाण पत्र रू. 130.99 लाख के तैयार किये गये।

(2) <u>सूचना प्राद्योगिकी</u> :–

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को नोडल एजेन्सी घोषित किये जाने के फलस्वरूप संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सूचना प्राद्योगिकी के अंतर्गत प्रथम चरण मे 04 नगरों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

1. इंदौर, 2. ग्वालियर, 3. भोपाल, 4. जबलपुर

संचालनालय द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 में कुल राशि **रू. 9.34 लाख** अभी तक उपलब्ध कराया गया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की web based Application का कार्य मैसर्स वायमटेक प्रा.लि. को दिया गया है । उनके द्वारा एस आर एस प्रस्तुत किया गया है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर को विकसित कर कियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन (भू–उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा) लिया जाना प्रारंभ किया गया। (अल्पास साफ्टवेयर के द्वारा)।
- एम.पी.डी.सी. डाटा सेंटर में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वर स्थापित कर प्रारंभ किया गया।
- भोपाल में हुजूर तहसील तथा इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर के निवेश क्षेत्र का डिजिटल खसरा मेप (मोजाइक तथा जियोरिफरेंस कर) तैयार कराया गया।
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों के जिला कार्यालय में वर्ष 1990 से मार्च, 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग का कार्य पूर्ण कर संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है
- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगरों के डिजिटल भू–उपयोग मेप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालय (नगर तथा ग्राम निवेश) में जारी विकास अनुज्ञाओं को जियोरिफरेंस कर डिजिटल भू–उपयोग मेप में सुपर इम्पोज कराया जा रहा है।
- नगर तथा ग्राम निवेश के 2 मेप थ्री डी साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर 1 सर्वर में तथा जिला कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है।
- संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आर्क जी.आई.एस. साफ्टवेयर को अपग्रेड कराकर संचालनालय में स्थापित किया गया।

(स) <u>विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं:–</u> निरंक

(द) <u>विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं / परियोजनाऐं:–</u> निरंक

(ई) <u>अन्य योजनाऐं / राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–</u>

1. स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा कई नगरीय निकायों की स्व वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही है ।
2. वर्ष 2013–14 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, 29 नगरों द्वारा योजना तैयार करने के प्रस्ताव संस्थान को प्राप्त हुये है।
3. योजनांतर्गत 14 नगरों के विभिन्न घटकों का कार्य 10 निजी वास्तुविदों को दिया गया है योजना तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी / कार्यवाही की जा रही है।
4. वर्ष 2014–15 में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन, खजुराहों, नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज एवं आष्टा नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है। इस हेतु संचालनालय द्वारा वर्ष 2015–16 में रू. 7.50 लाख संस्थान को उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकुट एवं खजुराहो का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है तथा खरगोन व झाबुआ नगरों के Inception रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
5. राजधानी परियोजना प्रशासन डिवीजन क्रमांक–1, विधानसभा कंट्रोलर तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के वास्तुविदीय कार्यो के संपादन हेतु अनुबंध किये जा चुके हैं। यह कार्य संस्थान के पेनल ऑफ कंसलटेंट में शामिल निजी सलाहकारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। अभी तक लगभग रू. 22.00 लाख के शुल्क कार्य संपन्न किये जा चुके हैं।
6. ग्वालियर चम्बल एग्रो रिजल प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
7. राज्य शासन द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्यकलापों / आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :–

   I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करना। वर्ष 2015–16 में संस्थान द्वारा 09 विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किये गये। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नवगठित विकास प्राधिकरणों को कार्य संचालन के लिये संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राशि **रू. 430.50 लाख** सहायता अनुदान स्वीकृत कराया गया।

   II विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अंतर्गत भोपाल विकास प्राधिकरण की अफोर्डेवल योजना का परीक्षण किया गया कुछ संस्थाओं की योजनाओं

का परीक्षण किया जा रहा है। कटनी विकास प्राधिकरण की 8.5 हेक्टेयर योजना हेतु अभिन्यास तैयार किया गया। कई नवगठित विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

III A नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण की योजनाओं का परीक्षण करना। 31 जनवरी, 2016 तक कुल 119 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 108 प्रकरणों का विधि अनुसार परीक्षण कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये गए तथा 11 प्रकरण विचाराधीन है।

III B राज्य शासन द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरणों के परीक्षण का कार्य इस संस्थान को सौपा गया है। 31 जनवरी, 2016 तक संस्थान में कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या 49 थी जिनमें से 20 प्रकरणों को पूर्ण किया गया तथा 29 प्रकरण विचाराधीन है।

IV विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/ राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत ई.आई.ए. कंसलटेंट के इम्पेनलमेंट का पेनल बनाया गया है। अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 6 योजनाओं तथा राजधानी परियोजना की योजनाओं हेतु सलाहकारों को नियुक्त कर LoA जारी किये गये हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण की नवीबाग अर्फोडेबल हाउसिंग योजना को SEAC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यू एम.एल.ए. रेस्ट हाउस की योजना की रिपोर्ट SEIAA में जमा की गई, नवीन वन भवन की रिपोर्ट SEIAA में ऑनलाईन जमा की गई। साथ ही गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 450 बिस्तरों का अस्पताल, उज्जैन एवं अयोध्या एक्सटेंशन योजना हेतु **एसेन्सों इन्वायरो** को कार्यादेश दिया गया।

V सिंहस्थ, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये जाने एवं प्रस्तावित मेला क्षेत्र में भूखंडो के आवंटन ले–आउट कार्य प्रारंभ करने तथा भूखंडो के अंदर वास्तुविदीय नियोजन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में माह नवम्बर, 2015 से संस्थान के 6 अधिकारी/कर्मचारी निरंतर कार्यरत है तथा उज्जैन में रहकर कार्य संपादित कर रहे है।

VI संस्थान के 12 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को पात्रता के दिनांक से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया तथा 1 कर्मचारी की विभागीय जॉच का निराकरण किया गया तथा 2 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की गई।

VII वर्ष 2015–16 में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार संस्थान के 12 कर्मचारी निरंतर बी.एल.ओ. के कार्य हेतु संलग्न है।

VIII नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना /जोनल प्लान तैयार करना।

IX विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करना। संस्थान द्वारा प्राप्त प्रस्तावों अनुसार उपरोक्त कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा पूर्व में यू आई डी एस एस एम टी योजनान्तर्गत आयोजित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से यह अनुभव किया कि संस्थाओं के कुशल कार्य संचालन तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरणों में क्षमता वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार विगत वर्षो में विभिन्न विषयों पर कुल 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आगामी वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है।

भाग–पांच

अभिनव योजना :– स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के लिये सलकनुपर विकास योजना तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा 10 नगरों की विकास योजना तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ग्वालियर काउंटर मेग्नेंट की योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

भाग–छः

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से EXECUTION, OPERATION & MAINTENANCE OF WATER SUPPLY पर मार्गदर्शिका मुद्रित कर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है जो यू. आई.डी.एस. एस.एमटी. योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2012 तक विकास प्राधिकरणों के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का संकलन किया जाकर राज्य शासन तथा सभी विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

संस्थान द्वारा **Land Pooling Scheme** विषय पर तथा **EASE OF DOING BUSINESS** विषय पर कार्यशालायें आयोजित की गई।

भाग–सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 11.2.2014 के परिपालन में संस्थान द्वारा आदेश दिनांक 26.2.2014 द्वारा एक पॉच सदस्यीय ''**आतरिक परिवाद समिति**'' का गठन किया गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है ।

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संस्थान में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन, सहायक वास्तुविद को ''**आतरिक परिवाद समिति**'' का पीठासीन अधिकारी नामांकित किया है । वर्तमान में संस्थान में कुल–13 महिला कर्मी कार्यरत है ।

भाग–आठ

सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत नगरों के शेष योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।
2. नगरीय निकायों की स्वयं वित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 4 नगरों की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य।
3. प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों तथा 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन।
4. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।
5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उपान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/ योजनाओं का परीक्षण करना।
6. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/म.प्र. गृह निर्माण मण्डल/ राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण की 5, भोपाल विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं, राजधानी परियोजना प्रशासन की 2 वन विभाग की 1 तथा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल की 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण करना भी शामिल है।
7. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना/ जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 10 नगरों जिनका कार्य प्रगति पर है, को पूर्ण करना भी शामिल है।
8. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा–16 के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण किया जाना।
9. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साफ्टवेयर का कार्य। इसके अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों हेतु विकास अनुज्ञा/ विकास अभिमत एवं भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन ऑनलाईन लेना, जारी करना एवं साफ्टवेयर के माध्यम से अभिन्यास का परीक्षण।
10. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के डिजिटल भूमि उपयोग तैयार करने का कार्य।
11. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जिला कार्यालयों के वर्ष 1990 से 2013 तक जारी की गई विकास अनुज्ञा के स्केनिंग तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य।
12. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।
13. वर्ष 2012–13 में आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूँजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है, इसके अंतर्गत 30 नगरों की 40 योजना घटक तैयार करने का प्रस्ताव है।

आगामी वर्ष में नगरीय निकायों पर संस्थान की विभिन्न मदों में देय बकाया राशि जो कि लगभग रू. 1.00 करोड़ है, की अधिकतम वसूली का लक्ष्य है।

संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने/ परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति/चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। विगत माहों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

उक्त वर्णित स्थितियों के प्रकाश में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग के मेमोरेन्डम में संस्था का नाम, पता, लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं विनियमों में परिभाषा, लक्ष्य व उद्देश्य, सदस्यता, एसोसिएशन के पदाधिकारी, साधारण सभा/कार्यकारिणी समिति के गठन संबंधी कण्डिकाओं में यथोचित संशोधन किया गया है।

———

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधांसेरचना विकास मण्डल

भाग – एक

अधीनस्थ कार्यालय (1) उपायुक्त (वृत्त कार्यालय), सिविल (सात), विद्युत (एक)
(2) संभागीय कार्यालय सिविल (उन्तीस), विद्युत (तीन)
(3) उप संभागीय कार्यालय हैं (बहत्तर),

दृष्टिकोण

1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ हितग्राहियों के लिये सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर भवन निर्मित करना।
ब जनता को आधुनिक कम लागत के निर्माण की तकनीक से अवगत कराना।
स परियोजनायें समय पर बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।
द योजनाओं में आवंटियों को पूर्ण संतुष्टि देना।

2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :

अ शासन की नीति के अनुसार गरीब कमजोर एवं मध्यम वर्ग के हितग्राहियों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।
ब शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना और यथासंभव पूरे ब्याज का भुगतान करना।
स शासन की नीतियों, निर्देशों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन।

3 मंडल का अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण देकर उत्थान के अवसर प्रदान करना।
ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रकियाओं को लागू करना।
स. अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरूस्कृत करना।

मण्डल के उद्देश्य

1 वर्ष वार निर्धारित कार्य योजना को मूर्त रूप देना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।
2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो तथा भवन सामग्री का उपयोग एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी एवं किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।
3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवासों एवं भूखण्डों का निर्माण/विकास।
4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।
5 वेब साइट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

1 स्थापना

मध्यप्रदेश में म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई, एवं आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल की निगमन और विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित कार्यो के लिए उपबंध करने हेतु मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मण्डल की आवासीय योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

2 निर्माण एवं विकास कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से मार्च 2015 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 1,69,098 आवास गृह तथा 1,55,443 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी कराया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अपनी आवासीय गतिविधियों के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं।

भाग – 2

मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्तियां निम्नानुसार रही :–

(1) भवन निर्माण

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	30	310	1048	910	885
2.	एल.आई.जी.	194	734	570	640	571
3.	एम.आई.जी.	257	398	265	340	344
4.	एच.आई.जी.	422	462	271	404	485
	कुल	**903**	**1904**	**2154**	**2294**	**2245**

(2) भूखण्ड विकास

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	225	531	542	887	704
2.	एल.आई.जी.	297	345	472	753	499
3.	एम.आई.जी.	317	503	523	611	335
4.	एच.आई.जी.	310	355	300	288	207
	कुल	**1149**	**1734**	**1837**	**2539**	**1745**

(3) भू–अर्जन

क्रमांक	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	भू–अर्जन (हैक्टर)	70.00	81.776	98.298	65.638	146.55

(4) टर्न ओव्हर

राशि रू.करोड़ में

क्रमांक	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (जनवरी 2016 तक)
1.	सम्पत्ति का विक्रय एवं निक्षेप कार्यों पर व्यय	407.85	550.27	453.72	773.00	614.84

(5) स्वीकृत परियोजनाएँ

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (जनवरी 2016तक)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	17099.00 (24)	14142.00 (9)	22890.00 (23)	96734.90 (14)	178451.51 (60)

(6) प्रशासनिक व्यय

राशि रू.लाख में

क्रमांक	विवरण	2011—12	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16 (जनवरी 2016तक)
1.	प्रशाासनिक व्यय	6520.00	8440.00	6809.00	6500.00	7000.00

वर्ष 2016—17 हेतु आवासीय कार्य योजना

वर्ष	भवन	भूखण्ड	भू—अर्जन (हैक्टेयर)	टर्न—ओवर (रू. करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाएॅ (रू.करोड़ में)	प्रशासनिक व्यय (रू.करोड़ में)
2016—17 (अनुमानित)	7500	2700	200.00	636.00	600.00	104.00

मंडल का कम्प्यूटराईजेशन

1. मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन का कार्य अंतिम चरण में है।
2. मण्डल के कम्पयूटराईजेशन के अंतर्गत 07 मोड्यूलस को ऑन लाईन किया गया है।
3. मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मण्डल द्वारा 150 अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रिस्प के माध्यम एवं 200 को इन हाउस प्रशिक्षण दिया गया।
4. एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से ई—पंजीयन एवं ई—ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 31.12.2015 तक मण्डल को निम्नानुसार पंजीयन राशि प्राप्त हुई।

   कुल ई—पंजीयन—1495 राशि प्राप्त — रू. 55,68,90,050
   कुल ई—ऑफर — 300 राशि प्राप्त — रू. 10,21,66,400

5. मण्डल के ऑन लाईन साफ्टवेयर की होस्टिंग स्टेट डेटा सेन्टर में 17 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई।
6. कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत एवं ऑन लाईन पंजीयन/ऑफर हेतु 70 हजार एस.एम.एस. भेजे गये।
7. मण्डल के ऑन लाईन साफ्टवेयर का सिक्यूरिटी आडिट NICSI के माध्यम से सफलता पूर्वक कराया गया।
8. मण्डल की वेबसाइट www.mphousing.in को यूनिकोड तकनीक आधारित हिन्दी में उपलब्ध कराई गई।
9. मण्डल के सभी उप संभागों (72) को कम्प्यूटर, पिंटर एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।
10. मण्डल मुख्यालय में लगभग 125 कम्प्यूटर में 02 एम.बी.पी.एस. की लीजलाईन उपलब्ध कराई गई।
11. म.प्र.शासन की ई—मेल policy को मण्डल द्वारा अंगीकार कर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।

माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण ——

अनु.क्र.	न्यायालयों का नाम	प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या
1.	मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली	44	15
2.	मान. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली	16	06
3.	मान. उच्च न्यायालय जबलपुर	517	30
4.	मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर	189	28
5.	मान. उच्च न्यायालय इंदौर	165	10

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 को हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

इस सेल की स्थापना से दिसम्बर 2015 तक 3036 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, उनमें से 2775 अर्थात 92 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निष्पादन की सुनिश्चितता हो, इस उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता की सेवायें भी मण्डल के निर्माण कार्यों कि गुणवत्ता बनाये रखने हेतु क्वालिटी मानिटर्स के रुप में ली जा रही है। निरीक्षण के अंतर्गत प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मुख्य तक. परीक्षक (सर्त.) म.प्र. शासन द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तथा उनकी अनुशंसाओं का पालन मण्डल द्वारा किया जाता है।

मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति एवं जन सामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष 60 योजनायें जिनकी लागत रू. 1784.51 करोड़ है स्वीकृत की गई हैं।

महत्वपूर्ण आवासीय येाजनाओं वर्ष 2015–16 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (दिसंबर 2016 तक) –

क.	कार्य का नाम	राशि (लाख में)
1	हाउसिंग पार्क बैरसियॉ रोड भोपाल में 14 सिनि.एच.आई.जी., 21 जूनि.एच.आई.जी.,17 जूनि एल.आई.जी. एवं 2.02 हेक्टर भूमि का विकास कार्य.।	**848.46**
2.	भौण्डेरी जिला मुरैना में अटल आश्रय योजनान्तर्गत 98 एल.आई.जी., 152 ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण एवं 7.06 हेक्टर भूमि का विकास कार्य	**1332.63**
3.	देवधरा जिला मण्डला में अटल आश्रय योजनान्तर्गत 102 ई.डब्लू.एस. 35 एल.आई.जी. भवनों एवं 8 दुकाने का निर्माण कार्य।	**466.93**
4.	खापाभाट छिन्दवाडा में अटल आश्रय योजनान्तर्गत 144 ई.डब्लू.एस (G+2) 72 एल.आई.जी. (G+2) भवनों का निर्माण एवं 2.06 हेक्टर भूमि का विकास कार्य।	**1692.22**
5.	गंगासागर रतलाम में 40 सिनि. एच.आई.जी, 115 जूनि.एच.आई.जी भवनों का निर्माण एवं 12.59 हेक्टर भूमि का विकास कार्य।	**3284.87**
6.	मैदानी परिसर रीवा में अटल आश्रय योजनान्तर्गत 139 ई.डब्लू.एस. ओव्हर हेड टैंक, सम्पवैल पम्पहाउस एवं 5.25 एकड़ भूमि के विकास कार्य बाबत्	**1340.74**
7.	अरविंद विहार बाग मुगालियॉ भोपाल में द्वारिका परिसर के अंतर्गत 72 प्रकोष्ठ भवन 2 BHK (G+5), 48 प्रकोष्ठ भवन 3 BHK (G+5),12 आफिस हाल (G+5), 10 आफिस चेम्बर एवं 28 दुकान भूतल मय आंतरिक जल प्रदाय स्वास्थ्य रक्षक साधन एवं विद्युतीकरण, बाह्य विकास कार्य, बाह्य विद्युतीकरण लिफ्ट की एस. आय.टी.सी. फायर फायटिंग एवं अलार्म सिस्टम की एस.आय.टी.सी. सहित कार्य की निविदा।	**4417.68**
8.	बंसत विहार मोराहा छतरपुर में 22 एच.आई.जी. जूनि, 30 एम.आई.जी.सिनि, 54 एम.आई. जी.जूनि, 30 ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण कार्य आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्ररी फिटिग्स, आंतरिक विद्युतीकरण एव 6.37 एकड भूमि का विकास कार्य सहित निर्माण कार्य की निविदा।	**1524.10**
9.	कादम्बरी नगर राउ इन्दौर में 17.722 एकड भूमि पर 33 एच.आई.जी. सुपर डीलक्स 51 एच.आई.जी.डीलक्स "ए" टाईप तथा 09 एच.आई.जी. डीलक्स "बी" टाईप भवनों का निर्माण कार्य मय जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग, आंतरिक विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा।	**2757.36**
10.	बंसत विहार कृपालपुर सतना में 10 एच.आई.जी. सुपर डीलक्स, 10 एच.आई.जी.सीनि डुप्लेक्स, 06 एच.आई.जी.जूनि डुप्लेक्स, 78 एच.आई.जी.सिनि. डुप्लेक्स एवं 07 एच.आई.जी. सुपर डीलक्स डुप्लेक्स भवनों के निर्माण कार्य आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्ररी फिटिग्स, आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य सहित निर्माण कार्य की निविदा।	**2039.80,**
11.	बाधवगढ कालोनी डबरौहा जिला उमरियॉ में अटल आश्रय योजनान्तर्गत 33 एल.आई. जी,151 ई.डब्लू.एस.भवनो, 10 दुकानों, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य मय आंतरिक	**1179.21**

	जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग्स, आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य सहित निर्माण सहित एवं 2.02 हेक्टर भूमि का विकास कार्य की निविदा।	
12.	अटल आश्रय योजनान्तर्गत कोलार रोड़ भोपाल स्थित बैरागढ चिचली में 384 ई.डब्लू.एस. एवं 816 एल.आई.जी. प्रकोष्ठ भवनो का निर्माण कार्य मय आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग्स, आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य सहित निर्माण सहित एवं 6.67 हेक्टर भूमि का विकास कार्य की निविदा।	**9675.11**
13.	महाराजपुर जबलपुर में 22 जूनि.एच.आई.जी.,14 जूनि.एम.आई.जी.ए 46 जूनि.एम.आई.जी.बी, 89 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 12 दुकानों आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग्स, आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य सहित निर्माण कार्य की निविदा।	**1217.79**
14.	कपिलधारा कालोनी बरबसपुर जिला अनूपपुर में 114 एल.आई.जी एवं 233 ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण कार्य मय आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग्स, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित निर्माण कार्य एवं 10 एकड़ भूमि के विकास कार्य की निविदा।	**2037.33**
15.	सोनभद्र कालोनी कोतमा जिला अनूपपुर में 15 एच.आई.जी.जूनि, एवं 54 एम.आई.जी सीनि. 59 एम.आई.जी.जूनि, एवं 45 एम.आई.जी.जूनि भवनों का निर्माण कार्य मय आतरिक विद्युतीकरण, जल प्रदाय एवं 08 एकड़ भूमि के विकास कार्य (बाह्य विद्युती करण कार्य को छोडकर) की निविदा।	**1987.02**
16.	पं. दीनदयाल नगर सीहोर में 90 एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य मय आंतरिक जल प्रदाय, सेनेट्री फिटिंग्स, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित निविदा।	**536.79**
	योग	**36338.04**

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास/रोजगार/अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होगा एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है।

प्रमुखता

⇒ म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ प्रदेश में कम मूल्य की निर्माण सामग्री का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो, इस हेतु मुख्य निर्माण एजेन्सी के रूप में इन तकनीकी का क्रियान्वयन तथा निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से प्रचार।

⇒ अटल आश्रय योजनांतर्गत निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग के लिये आठ स्थानों पर 2526 भवन निर्मित किये जा रहे हैं, पंजीयनरत योजनाएं 7 स्थानों पर 2091 भवनों की है, शासन से अनुमोदित पर वैधानिक अनुमतियों के कारण लंबित योजनाएं 6 स्थानों पर 2063 की है, एवं 16 स्थानों पर 4002 भवन के लिये योजना शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

7 स्थानों पर 4575 भवनों की मण्डल द्वारा प्रारभिक योजना तैयार की गई है एवं इसे शीध्र ही शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

⟹ मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 31.01.2016 तक 8 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं, जिस हेतु राशि रूपये 1272.55 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 7 कालोनियाँ हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है।

शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेंसी

मण्डल द्वारा अपनी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अलावा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के लिए डिपाजिट वर्क एवं कन्सलटिंग ऐजेसी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है।

शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य

मण्डल द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण का कार्य सम्पादित करता है।

1 **केन्द्र सरकार–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिये प्रदेश के बाहर केन्द्रीय विद्यालय, रायगढ़ (उड़ीसा) प्रभावित नक्सली क्षेत्र एवं परलखमुण्डी (उड़ीसा) स्वीकृत कुल राशि रू. 1799.37 लाख का कार्य निर्माणाधीन है।

2 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग–

आदिवासी विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कन्या आश्रम, प्री–मैट्रिक छात्रावास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अनुसूचित जाति के सोनकच्छ एवं उज्जैन में दो कार्य रू. 0.85 करोड़ के, आदिवासी विकास विभाग के जिला डिण्डौरी में नवीन छः तथा धार में एक कार्य रू. 6.01 करोड़, एवं पुराने श्योपुर जिले में 2, गुना में 1 तथा उमरिया में 1 कार्य रू. 4.57 करोड़ के स्वीकृत हैं एवं कार्य प्रगति पर हैं।

3 तकनीकी शिक्षा विभाग–

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुरानी स्वीकृति के अन्तर्गत होशंगाबाद, हरदा, बडवानी, मण्डला, डबरा में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न भवनों, छात्रावासों, स्टाफ क्वाटर्स आदि के भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत 5 कार्य जिसकी लागत राशि रुपयें 24.06 करोड है, के विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। तकनीकी शिक्षा विभाग के नवीन कार्यों के अतंर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 23 छात्रावासों तथा 13 मुख्य भवनों का निर्माण होना है, जिसकी लागत क्रमशः रु. 23.00 करोड तथा रु. 97.18 करोड है। छात्रवास भवनों का कार्य तथा 13 मुख्य भवनों का कार्य प्रगति पर है।

4 कौशल विकास संचालनालय विभाग–

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में 11 निर्माण कार्य, जिनकी कुल प्रशासकीय स्वीकृति रु. 10.43 करोड़ है इनमे से 7 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं 4 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं। वामपंथ उग्रवाद जिले के अन्तर्गत बालाघाट जिले के अंतर्गत आई.टी.आई. भवन एवं छात्रवास पोलडोंगरी में एक–एक कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु. 4.50 करोड है, सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5 चिकित्सा शिक्षा विभाग–

इंदौर में मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत रु. 6.50 करोड है, पूर्ण किया जा चुका है तथा विभाग को हस्तांतरण करने की कार्यवाही प्रगति पर हैं।

6 उच्च शिक्षा विभाग–

उच्च शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न स्थानों (बुदनी, रेहटी, भोपाल, सागर, शाहपुर, मुरैना, मंदसौर, टीकमगढ, शहडोल, कटनी, बालाघाट, सीधी) शासकीय महाविद्यालय, छात्रावास भवन, पी.जी. महाविद्यालय, आडिटोरियम, अतिरिक्त क्लास रुम, कन्या छात्रावास भवन के 14 निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनकी लागत रु. 26.47 करोड है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 16 महाविद्यालय (विदिशा, ढाना, बुरहानपुर, मूंदी, इन्दौर, निवाली, विजयपुर, भितरवार, लालबर्रा, विजयराघवगढ, मझौली, पोलायकला, धट्टिया, कालूखेडा, पिपलिया मण्डी एवं रामपुर–बधेलान) तथा 11 महिला छात्रावास भवन (आष्टा, सारणी, पिपरिया, वारासिवनी, सिहोरा, मण्डला, जुन्नारदेव, नरसिंहपुर, मैहर, बुढ़ार एवं उमरिया) जिसकी कुल लागत रू. 70.25 करोड़ स्वीकृत है, विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं।

7 जन संपर्क विभाग–

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के विकास एवं निर्माण के कार्य हेतु निविदाएं रू. 97.61 करोड़ की स्वीकृत की जा चुकी है। ठेकेदार से कार्य का अनुबंध किया जा रहा हैं।

8 म.प्र.इलैक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड–

प्रदेश में सूचना प्राद्योगिकी विभाग के विस्तार की दृष्टि से 3 आई.टी. पार्क के विकास का कार्य मण्डल द्वारा किया जा रहा है। ये पार्क भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर में स्थित हैं। निक्षेपकर्ता विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भोपाल में रू. 117.42 करोड़, जबलपुर में 91.12 करोड़ एवं इन्दौर में रू. 65.53 करोड के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है, एवं मण्डल द्वारा सभी स्थानों पर विकास कार्य एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9 संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग–

इस विभाग के लिये कान्हासैया भोपाल में रू. 1.17 करोड़ की निविदा विचाराधीन, नूराबाद मुरैना में प्रस्तावित 18.54 करोड़ तथा फुलबाग इन्दौर में रू. 1.16 करोड का प्रस्ताव पाईप लाईन में है।

10 सिंहस्थ उज्जैन में 450 शैया अस्पताल का निर्माण कार्य–

सिंहस्थ योजना के अंतर्गत उज्जैन में 3 निक्षेप कार्य जिसमें से होमगार्ड हेतु बेरेक का निर्माण कार्य रु.1.58 करोड, प्रगति पर है। 450 शैया अस्पताल जिसकी पुनरिक्षित स्वीकृति रू. 93.116 करोड़ की प्राप्त हुई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय–

इस विभाग के अंतर्गत कुल 2 निक्षेप कार्य जबलपुर एवं रीवा, जिनकी स्वीकृत लागत रु.19.04 करोड है, का कार्य प्रगति पर है।

12 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के नवीन कार्य–

इस विभाग अंतर्गत कुल 3 कार्य शहडोल, सिंगरौली एवं सतना जिनकी स्वीकृत लागत रु. 6. 90 करोड है, का कार्य प्रगति पर है।

13 नाप तौल विभाग के नवीन कार्य–

इस विभाग अंतर्गत कुल 6 स्थानों पर ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, धार, शाजापुर एवं मंदसौर जिनकी स्वीकृत लागत रु. 2.00 करोड है। दो कार्य प्रगति पर है। शेष हेतु जमीन उपलब्ध नही है। अथवा उपयुक्त नही है।

14 आयकर विभाग–

आयकर विभाग के मेट्रोवाक भोपाल मे आंतरिक साज सज्जा के 9.94 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15 महिला सशक्तिकरण विभाग–

विभाग द्वारा भोपाल में जवाहरलाल भवन परिसर में कामकाजी महिलाओं के लिए 100 शैया छात्रावास के निर्माण में 8.371 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं कार्य प्रगति पर हैं। ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर में 100 शैया छात्रावासों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण विभाग को भेजे गये हैं जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है।

भाग – दो

बजट

मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है। मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं तथा निक्षेप योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 विधान सभा पटल पर दिनांक 9.12.2015 को प्रस्तुत किया गया है।
2. मण्डल के अंतिम लेखे वर्ष 2014–15 विधान सभा द्वारा निर्धारित कलेण्डर अनुसार तैयार कर दिसम्बर, 2015 में महालेखाकार लेखा परीक्षा ग्वालियर से अंकेक्षण कराया गया है, प्रतिवेदन अप्राप्त है तथा जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, उसे मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन के साथ 31 मार्च, 2016 के पूर्व ही प्रेषित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

भाग – तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं – निरंक
(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं – निरंक
(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं – निरंक
(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं – निरंक

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) मार्च 2015 से जनवरी 2016 तक म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 42 प्रश्न प्राप्त हुए (27 तारांकित प्रश्न, 15 अतारांकित प्रश्न, 00 ध्यानाकर्षण, 00 राज्य सभा एवं 00 लोक सभा प्रश्न) । मण्डल द्वारा समय–सीमा में उक्त प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2015–16 में जनवरी, 2016 तक स्थानांतरण/ पदोन्नति/ नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी –

क.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	11	50	65	02
2	पदोन्नति	00	00	45	08
3	नियुक्ति	00	00	04	01

(स) वर्ष 2015–16 में (जनवरी 2016 तक) विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी –

1	1.1.15 को शेष प्रकरण	39
2	जांच संस्थित प्रकरण	10
3	निराकृत प्रकरण	15
4	जनवरी 2016 तक शेष प्रकरण	34

भाग – सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 161 महिला कर्मी है।

भाग – आठ

पहल 2015–2016

- माह जनवरी 2011 में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित कर म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल किया गया।
- दरों का युक्तियुक्तकरण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य
- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय
- जन सामान्य की सुविधा हेतु होम शॉप
- मण्डल अधिकारियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सैल की स्थापना
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना
- उपयंत्री/सहायक यत्रियों को लेखा परीक्षा प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।
- एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात् के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.एस.डी.एल. को जमा की जा रही है।
- लेखा शाखा मुख्यालय द्वारा विशेष मुहिम के अंतर्गत लगभग 800 से अधिक पेंशन प्रकरणों को छटवें वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदाय किया गया।
- एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण का प्रीमेच्युर ऋण का भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान इसी वित्त वर्ष में किया जाकर समाप्त किया गया।
- मण्डल के इतिहास में पहली बार गठन के पश्चात् मण्डल को रू. 19.62 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, जिसमें मण्डल द्वारा प्राप्त आय से आयकर का भुगतान नियमानुसार किया गया है।

संरक्षात्मक उपाय

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तांतरण –

वर्ष 2015–16 (जनवरी, 2016 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगरीय निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)	वृत्त
1	अतिरिक्त विश्व बैक कालोनी उज्जैन	680.36	उज्जैन
2	शारदापुरी कालोनी मैहर जिला सतना	11.51	रीवा
3	नामतारा कालोनी नागोद जिला सतना	6.50	रीवा
4	जिला सतना ग्राम उमराही बिहारीराम तहसील अमरपाटन	44.24	रीवा
5	न्यू बस स्टेण्ड बलपुरवा कालोनी शहडोल	19.94	रीवा
6	झिंझरी कटनी	125.00	जबलपुर
7	मानसरोवर कटनी	300.00	जबलपुर
8.	अभिरूचि फेस–1 सुभाष नगर भोपाल	85.00	वृत्त–2, भोपाल
	योग	**1272.55**	

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का हमेशा प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा राज्य की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन हितग्राहियों को विभिन्न आकार के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयास किये

जा रहे हैं। मंडल द्वारा स्थापना वर्ष से मार्च 2015 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये 1,69,098 आवास तथा 1,55,443 भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। मंडल के वार्षिक टर्न ओवर हेतु रू. 600.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कई नगरों की शासकीय भूमि के समुचित उपयोग हेतु पुर्नघनत्वीकरण योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं।

———

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना :–

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 4 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय :–

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/ उपक्रम/ संस्थाएं :–

विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण

निगम के दायित्व :–

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी :–

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी :–

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

बजट :–

निगम एक स्व–वित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/ भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/ जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपए 2,20,81,251.13 रही तथा व्यय रूपए 2,12,52,955.38 रहा। वर्तमान में निगम के वित्तीय वर्ष 2013–2014 से 2014–2015 तक का अकेंक्षण का कार्य किया जा रहा है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

(अ) **राज्य योजनाएं :–**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी, रीवा, दमोह एवं रतलाम, झाबुआ में लगभग रू. 2,789.75 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 82 आवासीय भू–खण्डों एवं विभिन्न श्रेणी के आवासीय भवनों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों/भवनों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रू. 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रू. 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :– निरंक।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :– निरंक।

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :– निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :–

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध मे जानकारी निरंक है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 05 तारांकित, 04 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2015–2016 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक इस निगम के विरूद्ध कुल 09 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा सभी प्रकरणों के जवाबदावे निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

भाग–पाँच

अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी **"निरंक"** है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी :–

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/ भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश :–

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह, रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में सम्बंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रू. 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारंभ/ पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

———

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भाग – एक

संरचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया । राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्धेश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं। बोर्ड का प्रशासनिक ढॉचा निम्नानुसार है :–

मुख्यालय
↓
अध्यक्ष
↓
सदस्य सचिव
↓

↓ एच.एस.एम.डी ↓ आई.टी ↓ तकनीकी ↓ ई.आर.सी. ↓ प्रशासन ↓ जल उपकर ↓ क्रय ↓ वित्त ↓ केन्द्रीय प्रयोगशाला ↓
↓
(वैज्ञानिक) मॉनिटरिंग

↓
क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय अधिकारी

↓ भोपाल ↓ गुना ↓ ग्वालियर ↓ सागर ↓ उज्जैन ↓ इन्दौर ↓ धार ↓ रीवा ↓ सतना ↓ जबलपुर ↓ शहडोल ↓ सिंगरौली ↓ कटनी
छिंदवाड़ा

प्रयोगशाला संरचना
↓
मुख्यालय भोपाल केन्द्रीय प्रयोगशाला
↓
क्षेत्रीय प्रयोगशाला

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
गुना ग्वालियर सागर उज्जैन इन्दौर रीवा सतना जबलपुर शहडोल सिंगरौली

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :–

1. जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गतः–

    4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन,हथालन और सीमा पार संचलन) नियम,2008
    4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989

4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
4.4 अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011
4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000
4.6 बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2001
4.7 ई– अपशिष्ठ (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011

5. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004.

5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006.

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों का प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन–चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते है ।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रयोगशालायें भी कार्यरत् हैं ।

राज्य बोर्ड के कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपमशन से संबंध विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना ।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित् करना ।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना ।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देवा, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना ।
- मल या व्यवसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना ।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये ऐसे अन्तरालों पर जैसे आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना ।
- बहिःस्त्रायों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिये बहिःस्त्रायों मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना ।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिये अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्त्राव के लिये मानक अधिकथित करना ।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राय की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना ।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रायों के उपयोग की पद्धितियां विकसित करना ।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रायों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना ।
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना ।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएं का प्रदूषण संभाव्य है ।
- सरिता या कुएं से जल के नमूनों का अथवा मूल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिये प्रयोगशालाऐं स्थापित करना एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय–समय पर सौंपे जायें ।

क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व

- उद्योग एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण ।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य ।
- प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग ।
- पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना । प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही ।

भाग–दो

बजट प्रावधान एवं आय

वर्ष 2014–2015 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्त राशि रू. 5471.17 लाख है। जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि रू. 1225.332 लाख है। केन्द्र शासन से प्राप्त राशि निरंक है ।

वर्ष 2014–2015 में राज्य शासन के बजट में रू. 1758.02 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राज्य शासन से रू. 1225.332 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित योजना के लिये रू. 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं का विवरण तालिका में दर्शाया गया है :–

राज्य अनुदान के तहत वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

क	योजना का नाम	राशि (लाख रू में)	राशि (लाख रू में)
1.	अनुसंधान एवं विकास 1.1सर्वे एवं मॉनिटरिंग 1.2ई–वेस्ट इन्वेन्टराईजेशन 1.3अनुसंधान विकास केन्द्र	275.00 3.00 135.00	413.00
2.	संगठन का सुदृढीकरण		666.00
3.	राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार		13.00
4.	कार्यशाला,प्रशिक्षण,जन–जागरूकता एवं सूचनाओं का आदान– प्रदान		50.00
5.	आई .टी./ई–गर्वनेंस		0.01
6.	पॉलिसी रिफार्म इंटरप्राइस रिर्सोस प्लानिंग –विजन 2018 6.1 ऑन लाईन एम्बीऐंड एयर मानिटरिंग सिस्टमों की स्थापना 6.2 बोर्ड का ढॉचागत सुदढीकरण	 175.00 83.00	258.00
		कुल योग	**1500.00**

जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित होती है ।

नीचे दी गई तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :–

(लाख रूपयों में)

वर्ष 2015–16	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	निर्धारित जल उपकर की राशि	एकत्रित उपकर/ केन्द्र शासन को भेजी गई राशि	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि
अप्रैल–2015 से दिसम्बर–2015 तक	661	321	661.13	452.84	471.30

भाग–तीन

(अ.) राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिपेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन,नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के अंतर्गत संपादित प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्वेश्य से विशेष कदम उठाते हुये राज्य में आनेवाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई । भविष्य में सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्देशित किया गया । इस वर्ष निम्नांकित उद्योगों द्वारा पचास हजार वृक्षों का रोपण किया गया।

1. मेसर्स एम.बी. पावर एम.पी. लिमि. गॉव जैतारी, जिला– अनूपपुर।
2. मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला– शहडोल।
3. मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, बिरसिंहपुर, जिला– उमरिया।

पूर्व से स्थापित सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उघोगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 155 उघोगो/ संस्थानों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 49 उघोगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना/ उन्नयन/ सुधार कार्य किया गया।

नगरीय प्रदूषण नियंत्रण

नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2000 की धारा 4 (1) के तहत् नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है एवं नियमों को कियान्वित करने की जिम्मेदारी धारा–5 के अंतर्गत संबंधित जिलाधीश की है ।

उपरोक्त नियमों के अंतर्गत बोर्ड के दायित्वों में स्थानीय निकायों को प्राधिकार प्रदत्त करना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना है। बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्रतिवर्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा रही है एवं अभी तक 291 नगरीय निकायों को प्राधिकार दिये गये है। कुल 376 नगरीय निकायों में से 344 नगरीय निकायों द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है तथा 224 निकायों द्वारा भूमि का आधिपत्य

भी प्राप्त कर लिया गया है। प्रदेश में 357 नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ संग्रहण हेतु 374 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ परिवहन की तथा 90 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ निस्सारण की आंशिक व्यवस्था की गई है। बोर्ड द्वारा किए प्रयासों से कई नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है एवं ग्वालियर तथा इंदौर नगर–निगम द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रसंस्करण एवं निस्सारण सुविधाऐं कियान्वित की गई है। नगर–निगम, जबलपुर द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार लैंड फिल स्थल का विकास किया जा रहा है। 4 नगरीय निकायों द्वारा कम्पोस्ट प्लांट भी संचालित किये जा रहे है। बोर्ड द्वारा समय–समय पर जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है।

पुर्नःचकित प्लास्टिक विनिर्माण, उपयोग एवं अपशिष्ठ प्रबंधन

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना कमांक का.आ. 249/(अ) दिनांक 04.02.2011 के माध्यम से पुनःचकित प्लास्टिक (विनिर्माण एवं उपयेग और अपशिष्ठ प्रबंधन) नियम 1999 की उन बातों के सिवाय ऐसे अधिकमण से पहले की गई या करने से रोका किया गया है। अधिकांत करते हुये– ''अपशिष्ठ प्लास्टिक ''(प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 जारी किये गये है । उपरोक्त अधिसूचना नियम –4 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किये गये है ।

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचकण और व्यसन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी ।
(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्यसन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबंध नगरपालिका प्राधिकरण होगी ।

प्लास्टिक नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु राज्य शासन की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रकोष्ठों का गठन किया है, जिससे अमानक पॉलिथीन कैरीबैग के प्रचलन को नियंत्रित करना अधिक प्रभावी हुआ है ।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट निष्पादन के संबंध में पूर्व में की गई जा रही कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2014–15 (दिसंबर) के दौरान नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में 15 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर अमानक स्तर की लगभग 200 कि.ग्रा. पॉलीथिन जब्त की गई है ।

वर्ष के दौरान म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में लगभग 123 जन–जागरूकता कार्यकमों के अंतर्गत रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार वर्कशाप इत्यादि कार्यकम आयोजित किये गये है ।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 से प्लास्टिक कचरे का सीमेंट क्लिन में कोयले के साथ सहदहन की व्यवस्था की गई है, वर्तमान में 7 सीमेंट उद्योगों में यह व्यवस्था है, एवं वर्ष 2014–15 दिसंबर तक लगभग 6977.78 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सीमेंट क्लिन में सहदहन किया जा चुका है।

ई–वेस्ट प्रबंधन

ई–वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011, मई, 2012 से प्रभावशील है। नियमों में ई–वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न जिम्मेदारियॉ है। जिसमें कलेक्शन सेंटर, डिस्मेंटलर्स, रिसाईक्लार्स को प्राधिकार/पंजीयन दिये जाने के साथ–साथ प्रदेश में ई–वेस्ट इंवेटराईजेशन का कार्य भी शामिल है। प्रदेश में अभी तक 15 कलेक्शन सेंटर, 01 डिस्मेंटलर्स एवं 01 रिसाईक्लार्स स्थापित होकर कार्यरत् है।

बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त 10 संभाग में ई–वेस्ट इवेंटराईजेशन का कार्य संपादित कराया गया। जिसका प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को भी भेजा गया है। ई–वेस्ट संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड कार्यालयीन वेव–साईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्ठ के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) का विकास म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैजेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के मार्फत किया गया है। यह

फैसिलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट क्रमांक 104, सेक्टर–2, पीथमपुर, जिला–धार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया हैः–

- अपशिष्ठों का उद्योगों से इस स्थल तक परिवहन व्यवस्था।
- अपशिष्ठों के भंडारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्ठों के सॉलिडीफिकेशन / स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर।
- अपशिष्ठों के विश्लेषण कार्यो हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग के इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर, 2006 से कार्य प्रारंभ कर दिया था तथा मार्च, 2015 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ठ का अपवहन किया जा चुका हैः–

1.	डायरेक्ट लेंड फिल	–	50,000 मैट्रिक टन
2.	इंसीनरेबल	–	10,000 मैट्रिक टन
3.	लेंड फिल आफ्टर ट्रीटमेंट	–	70,000 मैट्रिक टन

उक्त फैसिलिटी का समय–समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है, तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं संबंधित परिस्थितियों में उद्योंगो, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य ऐजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । इस केन्द्र को मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है। केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल क्राइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंसियली टॉक्सिक केमिकल से सतत् सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय–अर्ध शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 प्रकाशित किये गये हैं जो उन सभी संस्थाओं पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्टों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। इनके उपचार की विभिन्न पद्धतियां जैसे इन्सीरिनेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाढ़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ किया जाता था। जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने के उपरांत इन संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर पर समन्वित प्रयास जैसे–चिकित्सालय में कार्यरत् स्टॉफ को समुचित प्रशिक्षण ताकि वे विभिन्न श्रेणी की अपशिष्टों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पृथक–पृथक डस्टबिन में रख सकें, प्रत्येक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु संयुक्त उपचार व्यवस्था तथा उपचारित अपशिष्टों के डिस्पोजल हेतु डम्पिंग साईट का चयन व विकास इत्यादि । इस हेतु स्थानीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग होम एसोसियेशन इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित कर समन्वित उपचार व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयास किये गये तथा वर्ष 1998 से निरंतर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों / चिकित्सालयों का पत्राचार, बैठकें

इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टॉफ को अपशिष्टों के पृथककरण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया । इन प्रयासों के फलस्वरूप दिसम्बर 2014 की स्थिति में मध्यप्रदेश में विभिन्न बिस्तर क्षमता के अस्पतालों की संख्या निम्नानुसार है :–

1.	500 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	14
2.	200 बिस्तर से 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल	41
3.	50 बिस्तर से 200 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल	181
4.	50 बिस्तर से कम क्षमता के अस्पताल	2680
5.	अन्य संस्थान (पैथलेब,क्लीनिक इत्यादि)	537

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अस्पतालों में भी भस्मक स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 02 अस्पतालों द्वारा स्वयं के भस्मक की स्थापना की गई है

निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा भी व्यवसायिक शर्तों पर भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट को संयुक्त उपचार की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है जहां अस्पतालों से कचरा एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाता है एवं उसका विनष्टिकरण किया जाता है :–

1	इन्दौर नगर	1
2	भोपाल नगर	1
3	जबलपुर नगर	1
4	सतना नगर	1
5	रतलाम नगर	1
6	सीहोर	1
7	उमरिया	1
8	ग्वालियर	1

5 लाख से कम आबादी के नगरों में डीप बरियल (गहरा गाढ़ना) पद्वति पर आधारित उपचार व्यवस्था से भी निपटान की नियम में अनुमति है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा छिंदवाड़ा एवं शहडोल नगरों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसका उपयोग नगर एवं आसपास के चिकित्सा संस्थान करते हैं। उसके अतिरिक्त मेसर्स बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज, सागर, द्वारा सागर मे भस्मक आधारित संयुक्त उपचार व्यवस्था कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिये बोर्ड के द्वारा विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

1. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बॉधो, तालाबों, भू–जल स्रोतों तथा नालों से वर्ष 2014–2015 में कुल 4694 तथा 2015–2016 में दिसम्बर तक 3792 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये । विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

2. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व परिवेशिय वायु की निगरानी

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2014–2015 में कुल 4664 तथा 2015–2016 में दिसम्बर तक 1433 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये ।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2014–2015 में कुल 720 तथा वर्ष 2015–2016 में दिसम्बर तक 138 एवं परिवेशीय वायु के वर्ष 2014–2015 में 2502 तथा 2015–2016 में दिसम्बर तक 744 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये । विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को दूषित जल उपचार व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के लिये कार्यवाही करता है ।

3. वाहन उत्सर्जन मापन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2014–2015 में कुल 15007 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2015–2016 में माह दिसम्बर तक 10553 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया । जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

4. ध्वनि स्तर मापन

बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक,शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2014–2015 में प्रदेश में कुल 5102 ध्वनि स्तर मापन किया गया। जिसमें से 2874 (47.39 प्रतिशत) ध्वनि स्तर के ऑकड़े निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये । वर्ष 2015–2016 में माह दिसम्बर तक कुल 8110 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। ध्वनि स्तर मापन की जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है ।

केन्द्रीय प्रयोगशाला

1 पर्यावरणीय अनुसंधान

बोर्ड के केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2015–16 राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंर्तगत निम्न अध्ययन कार्य किये जा रहे है ।

1 भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों की पर्यावरणीय वस्तु स्थिति में एयरोसोल प्रदूषण का अध्ययन ।

वायु में निलम्बित कणों का मुख्य स्त्रोत शहरी विकास है, जिसके अंतर्गत वाहन, रेल यातायात, उद्योग एवं व्यवसाय इत्यादि सम्मिलित हैं । मनुष्य तथा प्राकृतिक वातावरण पर वायु प्रदूषण का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है चूंकि वायु प्रदूषण विशेषतः एयरोसोल एक वैश्विक समस्या है। ।

संवेदनशील क्षेत्रो की श्रेणी में स्कूल, चिकित्सालय, मॉल, एयरपोर्ट इत्यादि आते हैं जिनकी वृद्धि विगत 10 वर्षो में आवासीय क्षेत्रो में हुई है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में कणीय प्रदूषण (विशेषतः पीएम 10 तथा पीएम 2.5) तथा एयर टॉक्सिक के आधारभूत आंकड़े एकत्रित करना है जिसमें चिकित्सालय, स्कूल, मॉल एवं एयरपोर्ट सम्मिलित हैं।

भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों से प्राप्त किये गये निलम्बित कण प्रदूषण (पीएम 10 तथा पीएम 2.5) के आधारभूत आंकड़े तथा एयरटॉक्सिक स्तर, भविष्य में वायु प्रदूषण संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए उपयोगी होगा । अतः बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रो में एयरोसोल प्रदूषण का प्रारंभिक निरीक्षण का कार्य किया जा रहा हैं।

2 भोपाल एंव इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ठ पदार्थो के लेण्डफिल क्षेत्रों का पर्यावरणीय अध्ययन ।

औद्योगिकरण व शहरी विकास के कारण शहरो के आसपास नगरीय ठोस अपशिष्ठ की वृद्धि हुई है। भारत मे परम्परागत रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ठ का निष्पादन स्ंदकपिसस कर किया जाता है । जिसमें से कुछ अपशिष्ठ पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक व पर्यावरण प्रदूषक कारक होते है ।

केन्द्रीय प्रयोगशाला मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा भोपाल एंव इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ठ स्ंदकपिसस क्षेत्रों से विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा) मे होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जा रहा हैं।

3 नर्मदा नदी का जैव परीक्षण

जलीय पर्यावरण की गुणवत्ता का आंकलन जैविकीय प्रचालकों के द्वारा किये जाने की विधी जैव परीक्षण कहलाती है। जैव परीक्षण, रासायनिक परीक्षण की अपेक्षा एक कारगर एवं सस्ती तकनीक है। यह तकनीक जलीय पर्यावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तन के आंकलन में सहायक है। जलीय जीव जंतु जल में होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होते है। अतः जलीय जीव–जंतुओं की प्रजातियों की उपलब्धता के आधार पर जल गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश में प्रवाहित नर्मदा नदी का जैव परीक्षण किया जा रहा हैं।

2 केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2015–16 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

1. अग्नि शामक यंत्रों के प्रचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण – दिनांक 08 जुलाई 2015

2. केमिकल सेफटी, एरगोनोमिक्स एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी अवेरनेस पर कार्यशाला – दिनांक 15 जुलाई 2015

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनाये प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

योजना के अंतर्गत राज्य के 14 शहरों के 36 अलग–अलग स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, उक्त स्थानो पर सप्ताह में दो बार वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है । इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड, PM 10. PM 2.5 का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है । एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की सख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	पैरामीटर	नमूनो की संख्या वर्ष 2014	नमुनो की संख्या वर्ष 2015
1	So2	10732	10489
2	Nox	10890	11253
3	PM 10	5881	5045
4	PM2.5	746	954

2. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्वति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल, गुणवत्ता संबंधित आकॅडों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है ।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2014–15 में कुल 53 नमूने तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर तक 39 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया । प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये । विश्लेषित परिणामो के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है ।

3. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्वति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतो की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारम्भ की गई थी । जिसके अंतर्गत 150 सेम्पलिंग स्थानों पर वर्ष 2014–15 में 1584 नमूनें तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर तक 803 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये विश्लेषण परिणामों के आधार पर केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है ।

बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकीः विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को जन मानस तक पहुॅचाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत कारगर साबित हुआ है। बोर्ड की वेब साईट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सर्वर पर www.mppcb.nic.in डोमेन साथ में कार्यरत है एवं वेब साईट का अपडेशन संधारण एवं संचालन बोर्ड की आई.टी. शाखा द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्यो में पारदर्शित लाने की दिशा में किया जा रहा है। वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के सम्मति आवेदन पत्र के तकनीकी प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष/निर्णय को उसी दिवस को बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो के वेब साईट पर ओपन एक्सेस होता है। उद्योग उक्त विवरण को पढ़कर तद्नुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते है। जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है।

वर्तमान में जल एवं वायु अधिनियम एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सम्मति प्रधिकार के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त कर उनका निराकरण एक्सजीएन साफ्टवेयर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में कुल 16 मॉडल्यूस् सम्मिलित है, जिसमें वर्तमान में 06 मॉडल्यूस् के अन्तर्गत तकनीकी शाखा, मॉनीटरिंग शाखा, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ शाखा तथा खतरनाक अपशिष्ठ प्रबंधन शाखा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है। सॉफ्टवेयर के डाटाबेस में लगभग 17000 उद्योगों के आंकड़े शामिल है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे है। ''ईज आफ डूईंग बिजनेस'' के अन्तर्गत सम्मति/प्रधिकार प्रदाय करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रावधान प्रारम्भ किये गये हैः–

- एक्स.जी.ऐन. साफ्टवेयर में ऑनलाईन यूजर एवं पासवर्ड बनाने की सुविधा ।
- सम्मति/प्राधिकार शुल्क जमा करने हेतु इन्टरनेट वेकिंग के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करने का प्रावधान ।
- सम्मति/प्राधिकार को आधार कार्ड आधारित डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान ।
- ऑनलाइन कन्सेन्ट रजिस्टर का प्रावधान ।

इसके अतिरिक्त बोर्ड के दैंनदिनी कार्यो के लिये एक एम.आई.एस. साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका संचालन प्रारम्भ हुआ है। इस साफ्टवेयर में निम्नानुसार ऑनलाइन प्रावधान सम्मिलित है :–

- अधिकारी/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी प्रकरण जैसे छुटटीयों के ऑनलाइन आवेदन निराकरण ।
- लेखा शाखा का कम्प्युट्रीकरण ।
- ई.आर.सी., पुर्नचक्रित प्लास्टिक रजिस्ट्रेशन, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्राधिकार आदि के ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1.	नियुक्ति :–	10 प्रयोगशाला परिचारक (बैकलॉग) 01 उपयंत्री (बैकलॉग)
2.	समयमान–वेतनमान :	निरंक
3.	विभागीय जॉच :	05
4.	न्यायालयीन प्रकरणः	08

भाग–पांच

अभिनव योजना

1. पर्यावरण हितैषी पहल

गणेश उत्सव एवं दुर्गा पूजा उत्सव पर निर्मित प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ–साथ रासायनिक रंगों का उपयोग होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशों को मैदानी स्तर पर लागू करने हेतु बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिमाओं के निर्माण व इसके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के प्रति मूर्तिकारों, गणेश व दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों, स्थानीय संस्थाओं एवं जन–साधारण में जन–जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर कार्यशालाओं एवं जन–जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

2. पर्यावरण जन–जागरूकता सप्ताह

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम जैसे पर्यावरण रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, कार्यशालायें आदि का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम भोपाल में ''रन भोपाल'' के नाम से आयोजित किया गया। जिसमें भोपाल नगरवासियों, उद्योग संगठन, नर्सिंग होम तथा चिकित्सा से जुड़े समस्त संस्थानों द्वारा भाग लिया गया।

उद्योगों को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार

मध्यप्रदेश के पर्यावरण पुरस्कार हेतु पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग/खदानों को पर्यावरण पुरस्कार के लिए वर्ष 2013–14 के राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कर दिनांक 05 जून, 2015 को वितरित किये गये।

क्र.	उद्योगों के प्रकार	उद्योगों के नाम	पुरस्कार राशि
1.	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमि. बिरसिंहपुर जिला–उमरिया (म.प्र.)	**1,50,000/–**
2.	सामान्य उद्योग	मेसर्स सेन्चुरी डेनिम (सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्ड. लिमि.) ग्राम व पोस्ट–सतराती, जिला–खरगौन (म.प्र.)	**1,00,000/–**
3.	उत्खननरत् खदानें	1. मेसर्स कंचन ओपन कास्ट माइन एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया, नौरोजाबाद जिला– उमरिया (म.प्र.) 2. मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी संस, मैगनीज माईन रामरामा, वारासिवनी, जिला– बालाघाट (म.प्र.)	**प्रत्येक को** **50,000,00** **50,000,00**
4.	लद्यु उघोग श्रेणी	मेसर्स मैथोडेक्स सिस्टम लिमि. इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर–3, पीथमपुर, जिला– धार (म.प्र.)	**1,00,000/–**

3. पर्यावरण जागरूकता रैली :

पवित्र नदी नर्मदा को संरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु मण्डला, होशंगाबाद एवं ओंकारेश्वर में पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्थानीय विभिन्न संस्थानों, नगरपालिकाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों, अशासकीय संगठनों के साथ, गणमान्य नागरिकों, विभिन्न स्कूलों के छात्रों तथा संतों आदि द्वारा भाग लिया गया।

भाग—छः

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न ब्रोसर, पेम्पलेट, न्यूज लेटर आदि प्रकाशन कर उसमें पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुंचाने वाली तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

भाग—सात

राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु सुश्री रीता तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

भाग—आठ

सारांश

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर उनका विश्लेशण करना है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों एवं ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है । प्रदेश में स्थापित उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है।

स्वचलित मॉनिटरिंग : राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल

स्वचलित मॉनिटरिंग : शासकीय सुभाष हा. से. स्कूल शिवाजी नगर, भोपाल

एम.एस. डब्लू. मॉनिटरिंग : भोपाल

एम.एस. डब्लू. मॉनिटरिंग : इंदौर

i;kZoj.k fu;®Tku ,oa leUo; laxBu ¼,Id®½

भाग – एक

संरचना

मध्यप्रदेश शासन के तत्कालीन विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एप्को सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसके अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में संस्था एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक एप्को हैं। राज्य शासन के वित्त विभाग एवं वन विभाग के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ ही एक विख्यात पर्यावरणविद् भी शासी परिषद के सदस्य हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को इसके सदस्य सचिव हैं।

उद्देश्य

1 राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना,
2 प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना,
3 राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श देना,
4 पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भवन निर्माण आकल्पन करना,
5 जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक शाखा एप्को–ग्रामीण, पर्यावरण के ग्रामीण पहलुओं पर कार्य करने के उद्देश्य से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

———

भाग – दो

cTkV fogaxkoy®du

¼:- yk[k esa½

अन्य शहरी विकास योजनाऐं	**2015–16 (राज्यांश)**	**2015–16 (केन्द्राशं)**
पर्यावरणीय अनुसंधान प्रशिक्षण, शिक्षण राज्य आयोजना (सामान्य)	720.00	0.00
जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार राज्य आयोजना (सामान्य)	240.00	0.00
इंदिरा गांधी फैलोशिप	6.75	0.00
राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (शिवपुरी) (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	700.00	0.00
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (बीहर नदी, मंदाकिनी नदी चित्रकूट(केन्द्र प्रवर्तित योजना)	530.00	0.00
राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना	155.00	0.00
राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान	0.00	0.00
राष्ट्रीय हरित कोर योजना	0.00	341.25
पचमढी बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना	0.00	0.00
स्वच्छ पर्यावरण प्रबधंन (कार्बन रेटिंग)	125.00	0.00
वन संरक्षण अधिनियम के तहत आदिम जाति समुदायों को प्रशिक्षण	130.00	0.00
सिरपुर तालाब, इंदौर	100.00	0.00
सिंध सागर, ईशागढ, अशोकनगर	320.23	0.00
योग– सामान्य योजना मांग संख्या–21–2217	**3026.98**	**341.25**

भाग – तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

एप्को नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की एक स्वशासी सलाहकारी संस्था है। संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध, योजना एवं आकल्पन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है। संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से धन राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि आधारित आंशिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

ENVIRONMENTAL PLANNING & COORDINATION ORGANISATION
Project Receipts- Expenditure
Statement
For The Year
2015-16

(Rs. In Lakhs)

A. State Sector Schemes						
S.No.	**Project Name**	**Opening Balance**	**Received During the year**	**Total Received**	**Expenditure up to Dec 2015**	
1	Conservation of Urban Water Bodies	434.70	240.00	674.70	27.51	
2	Research Trg.& Education	-1.24	720.00	718.76	260.42	
3	Indira Gandhi Fellowship	19.89	6.75	26.64	0.90	
4	SEIAA & SEAC	-8.70	155.00	146.30	165.73	
5	MP CDM Agency	0.00	125.00	125.00	1.56	
6	Van Adhikar Adhiniyam	43.60	130.00	173.60	24.68	
	Total	**488.25**	**1376.75**	**1865.00**	**480.80**	

B. Central Sponsored Schemes (National River/ Lake Conservation Plan)

S.No.	Project Name	Opening Balance	Received Central Govt.	Received State Govt.	Total	Expenditure up to Dec 2015
1	NLCP Sagar Lake, Sagar	235.82	0	0	235.82	1.73
2	NLCP Shivpuri Lake Shivpuri	362.38	0	600.00	962.38	931.76
3	NRCP Beehar River, Rewa	159.44	0	300.00	459.44	280.41
4	NRCP Narmada River Hoshangabad	1161.65	0	0.00	1161.65	0.00
5	NRCP Mandakini River, Chitrakoot	-107.03	0	150.00	42.97	50.01
6	Sirpur Lake, Indore	60.00	0	100.00	160	0.00
7	Sindh Sagar, Isagarh, Ashoknagar	0.00	0	320.23	320.23	0.00
	Total	**1872.26**	**0**	**1470.23**	**3342.49**	**1263.91**

C. Central Sector Schemes

S.No.	Project Name	Opening Balance	Received During the year	Total	Expenditure up to Dec 2015	
1	National Environmental Awareness Campaign (NEAC)	-20.22	0	-20.22	0.06	
2	National Green Crops (NGC)	43.75	341.25	385.00	329.47	
3	MAP-AABR 2011-12	-31.15	0	-31.15	0	
4	MAP-PBR 2011-12	-0.66	0	-0.66	0.09	
	Total	**-8.28**	**341.25**	**332.97**	**329.62**	

D. Other Schemes

S.No.	Project Name	Opening Balance	Received During the year	Total	Expenditure up to Dec 2015	
1	UNDP Climate Change	-12.29	10.63	-1.66	9.65	
	Total	**-12.29**	**10.63**	**-1.66**	**9.65**	

प्रमुख रूपांकन सेवाएं

1. वल्लभ भवन विस्तार योजना

वर्तमान सचिवालय वल्लभ भवन का निर्माण लगभग 50 वर्ष तत्तसमय की आवश्यकताओं अनुसार हुआ था। कालांतर में माननीय मंत्रीगणों एवं विभागों की संख्या में वृद्धि होने से, स्थान का अभाव कई वर्षों से महसूस किया जा रहा था। शासन द्वारा नवीन विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लेते हुए, एप्को को वास्तुविद् चयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। एप्को द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रिया अनुसार 6 वास्तुविदीय फर्मों की सूची, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति को प्रस्तुत की गई जिसमें से तीन वास्तुविदीय फर्मों को कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हेतु आमंत्रित किया गया। चार सदस्यीय ज्यूरी द्वारा तीनों फर्मों के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण के पश्चात नई दिल्ली स्थित मेसर्स सी.पी. कुकरेजा एसोसियेट्स का चयन किया गया। वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत कान्सेप्ट डिजाइन को कई चरणों की चर्चा उपरांत केबीनेट द्वारा मान्य कर लिया गया है और राशि रू. 346 करोड़ की डी. पी.आर. का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। योजना का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्रजी द्वारा 1 नवम्बर 2014 को किया गया है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु मेसर्स शापोरजी पालोनजी कम्पनी प्रा.लि. को नियुक्त किया गया है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है।

2. राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भौंरी–भोपाल

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव के बाद के अध्ययन हेतु नवीन राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई है। संस्थान के नवीन परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा ग्राम भौंरी तहसील हुजूर (भोपाल) में 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस कार्य की वास्तुविदीय सलाहकारी सेवाये एप्को में एम्पेनल्ड सूची में से चयनित वास्तुविद् मेसर्स ऑरकान्स, भोपाल के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। योजना की पुनरीक्षित लागत लगभग रू.113 करोड़ है इसके तहत अनुसंधान कार्य हेतु बायों सेफ्टी मेन्यूल अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला एवं संस्थान परिसर का निर्माण किया जाना है। कॉन्सेप्ट डिजाइन के अनुमोदन पश्चात विस्तृत नक्शे एवं पुनरीक्षित डी.पी.आर. प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिये गये है।

3. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलोजी संस्थान भौंरी–भोपाल

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के भोपाल सेंटर की स्थापना म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वाधान में की गई, जिसमें वर्ष 2008–09 से अकादमिक सत्र प्रारंभ किये जा चुके हैं। संस्थान के नवीन परिसर हेतु राज्य शासन द्वारा 29.0 एकड़ भूमि ग्राम भौंरी तहसील हुजूर (भोपाल) में आवंटित की गई है। योजना का वास्तुविद्दीय आकल्पन कार्य एप्को के माध्यम से नई दिल्ली के वास्तुविद् मेसर्स सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स को सौंपा गया है। योजना की परिकल्पना कर कान्सेप्ट डिजाइन एवं डी.पी. आर. प्रस्तुत की जा चुकी है। संस्थान द्वारा योजना की कुल लागत लगभग रूपये 120 करोड़ आंकलित की गई है, जिसमें से प्रथम चरण में लगभग 40 करोड़ के कार्य प्रस्तावित है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है।

4. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (PIU) द्वारा निर्मित किये जाने वाले विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य

शासकीय भवन निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक एवं समय सीमा में पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को ट्रायबल विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अनेक कार्य सौंपे गए हैं तथा इन भवनों का वास्तुविदीय रूपांकन कार्य एप्को को सौंपा गया है। इनमें से ट्रायबल विभाग के लिए कुल 11 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण लगभग रू. 140 करोड़ की लागत से किया जाना है तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए 50 जिलों में जिला अस्पतालों का निर्माण लगभग रू. 250 करोड़ में किया जाना है। इसी के साथ 8 जिलों में अतिरिक्त एम.सी.एच. भवनों का निर्माण (100–बिस्तरीय एवं 60–बिस्तरीय) को उक्त जिला अस्पतालों के साथ एकीकृत कर प्रस्ताव तैयार किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है। योजना की लागत लगभग रू. 68.00 करोड़ है। उपर्युक्त कार्यों में से कुछ कार्यों का निर्माण पूर्ण किया जाकर संबंधित विभागों को भवन सौंपे जा चुके हैं।

5. भोपाल में प्रस्तावित शौर्य स्मारक

भोपाल में चिनार पार्क के समीप बारह एकड़ भूमि पर शौर्य स्मारक के निर्माण हेतु देशभर के वास्तुविदों से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रित किये गए। एक उच्च स्तरीय ज्यूरी द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त एक सीमित प्रतिस्पर्धा के आधार पर स्मारक हेतु कॉन्सेप्टस तैयार करवाये गये तथा ज्यूरी द्वारा सबसे उपयुक्त डिजाइन मेसर्स यू.सी. जैन, आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंट, मुम्बई का चयन किया गया। वर्तमान में स्थल पर कार्य लगभग पूर्ण है। केवल आंतरिक साज–सज्जा का कार्य शेष है। योजना की लागत बढ़कर लगभग रू. 32.00 करोड़ हो गई है। शौर्य स्मारक के भ्रमण के दौरान हाल ही में वर्तमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गए निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त साइनेज ऑडियो/विजुयल (2 zones+amphitheatre) तथा इनके विस्तृत प्राक्कलन व मानचित्र, टेण्डर आमंत्रित करने हेतु निर्माण एजेन्सी को प्रदाय किए जा चुके है। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 29.07.2014 को शौर्य स्मारक के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में स्कल्पचर को रीलोकेट करते हुए उसके स्थान पर स्तम्भ निर्माण एवं अमर ज्योत प्रस्तावित है। उक्त स्तंभ के दो विकल्पों का प्रस्तुतीकरण दिनांक 26.12.2014 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के समक्ष कन्सलटेंट द्वारा किया गया एवं अनुमोदित विकल्प पर कन्सलटेंट द्वारा विस्तृत डिजाइन, BOQ एवं डी.पी.आर., आदि का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर स्तंभ से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही कुछ अतिरिक्त कार्यों जैस interpretation centre on west side, cafeteria व चिनार पार्क को जोड़ने के लिए सीढ़ियां red sculpture तक पहुंचने के लिए pathway इत्यादि का कार्य स्थल पर प्रगतिरत है।

6. भोपाल में प्रस्तावित नवीन वन भवन का निर्माण

मध्यप्रदेश, भारतवर्ष का सर्वाधिक वन क्षेत्र से आच्छादित राज्य है तथा प्रदेश के वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु कार्यरत वन विभाग, अन्य प्रदेशों के वन विभाग से बड़ा है। प्रदेश के इस महत्वपूर्ण एवं वृहद विभाग के विभिन्न संस्थानों के मुख्यालयीन कार्यालयों को सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण एक भवन में स्थापित करने की परिकल्पना को एप्को के माध्यम से बंगलौर के वास्तुविद द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। यह परिकल्पना लिंक रोड नंबर–2, तुलसी नगर, भोपाल स्थित वन विभाग के पुराने परिसर में वन भवन के नाम से लगभग 4.72 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि पर निर्मित होगी। योजना की कुल पुनरीक्षित अनुमानित लागत लगभग रू. 49.00 करोड़ का अनुमोदन शासन से प्राप्त हुआ था। वर्ष 2008 से 2013 तक अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण वन भवन की पुनरीक्षित लागत लगभग रू. 87.00 करोड़ का अनुमोदन भी शासन से प्राप्त हो चुका है तथा टेन्डर की प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कॉन्ट्रेक्टर को कार्य आवंटित कर दिया गया है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है। Environmental Clearance हेतु SITOP द्वारा कन्सलटेंट का चयन किया जा चुका है GRIHA Consultant का भी चयन एप्को द्वारा कर लिया गया है।

7. बड़वानी जिले में भीमा नायक की स्मृति में ''भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र'' की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी जननायक "भीमा नायक" की स्मृति में बड़वानी जिले के ग्राम धावाबावड़ी में भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा यह कार्य एप्को को सौंपा गया। उक्त भवन की परिकल्पना की जाकर कॉन्सेप्ट प्रस्ताव एवं प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार योजना लागत लगभग रू. 1.48 करोड़ आंकी गई थी। तद्नुसार भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं भूदृश्यीकरण का कार्य भी लगभग पूर्ण है। भवन के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूदृश्यीकरण विकास एवं चारदीवारी के अतिरिक्त निर्माण कार्य से योजना लागत में वृद्धि हुई है और अब इस योजना की लागत रू. 2.36 करोड़ रूपये हो गई है।

8. खण्डवा जिले के ग्राम बड़ोदा अहीर में टण्ट्या भील स्मारक का निर्माण

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम बड़ोदा अहीर में आदिवासी जननायक टण्ट्या भील की स्मृति में रू. 2.00 करोड़ की लागत से विशाल स्मारक निर्माण किए जाने की घोषणा की गई। इस परिप्रेक्ष्य में स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा यह कार्य एप्को के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार योजना में कान्सेप्ट डिजाइन के अनुमोदन पश्चात विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, इसी के अनुरूप भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर भवन का लोकार्पण किया जा चुका है।

9. अशोकनगर, होशंगाबाद, गुना, बेतूल, अलीराजपुर एवं सागर में संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत गठित परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों के माध्यम से अशोकनगर, होशंगाबाद, गुना बेतूल, अलीराजपुर एवं सागर में संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भवनों के रूपांकन का कार्य एप्को द्वारा कराया जा रहा है। इस हेतु गठित वास्तुविद् चयन समिति द्वारा वास्तुविदों का चयन कर सभी जिलों के कार्य आवंटित कर दिये गये हैं। सभी जिलों में रूपांकन/आक्लपन का कार्य पूर्ण हो चुका है और डिजाइन अनुमोदित हो चुके हैं। सभी जिलो के डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें से स्वीकृत उपरांत अशोकनगर, गुना एवं होशंगाबाद का कार्य स्थल पर प्रारंभ हो चुका है एवं भोश की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

10. जिला अलीराजपुर में चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) में नवीन शासकीय महाविद्यालय

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत गठित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से निर्मित होने जा रहे नवीन शासकीय महाविद्यालय हेतु वास्तुविद चयन कर कॉन्सेप्ट मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा चुके है। योजना की अनुमानित लागत लगभग रू. 13.00 करोड़ थी किन्तु प्रस्तावित अधोसंरचना को कम करते हुए राशि रू. 3.25 में नवीन प्राक्कलन चाहा गया था। एप्को द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से रू. 3.35 करोड़ के नवीन प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी एवं स्वीकृति प्राप्त हुई। स्थल पर कार्य प्रगतिरत है।

11. चिकित्सा महाविद्यालय

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्ड निर्माण एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर सीटों में हुई वृद्वि के कारण महाविद्यालयों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एप्को को सौपा गया है। उक्त कार्य निम्नलिखित महाविद्यलयों में चल रहा हैं :–

1. महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
2. महाराजा तुकोजीराव होल्कर चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
3. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
4. टी.बी. एवं चेस्ट वार्ड का निर्माण, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।
5. गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में वायरोलोजी लेब का निर्माण।

उपरोक्त सभी योजनाओं हेतु वास्तुविद् सेवाएॅ एप्को द्वारा एमपेनल्ड वास्तुविदीय सलाहकारों द्वारा प्रदाय की जा रही हैं जिसमें यह ध्यान रखा गया है कि वर्तमान भवन की ऐतिहासिक वास्तुकला के अनुरूप नए भवन का भी स्वरूप हो। उपरोक्त सभी योजनाओं की सम्मिलित लागत लगभग 60.00 करोड़ है तथा इन सभी योजनाअें का क्रियान्वयन कार्य प्रगति पर है।

12. वृहद आडिटोरियम एवं विनिमानक आयोग कार्यालय भवन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनिमानक आयोग भोपाल की प्रस्तावित वृहद आडिटोरियम कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टरस के लिए उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल के परिसर में चिन्हांकित 1.16 एकड़ भूमि आवंटन की गई। योजना का अधोसंरचना का निर्माण कार्य एप्को को सौंपा गया। एप्को ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कर न्यू दिल्ली के वास्तुविद् ''माथुर एण्ड कापरे एसोसियेट्स'' का चयन कर कान्सेप्ट ड्रांइग तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया। योजना को रू. 9.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर के लिए प्राप्त हो गई है, तथा आडिटोरियम कार्य द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। प्रस्तावित डिज़ाइन में वर्षा जलीय संग्रहण, निःशक्त सुलभ, सौर ऊर्जा उपमांग प्राकृतिक रोशनी तथा मटेरियल चयन आदि का समावेश कर ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का प्रावधान किया गया है। योजना अर्न्तगत निविदा उपरांत एजेंसी नियुक्त हो चुकी है और स्थल पर कार्य प्रगतिरत है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी कार्य (PMC):

1. **मंत्रालय का विस्तार भवनः** इस परियोजना की लागत रूपये 395 करोड़ है तथा परियोजना की अवधि 30 माह है। इस परियोजना के परियोजना प्रबंधन हेतु सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
2. **नवीन विधायक विश्राम गृहः** इस परियोजना की लागत रू. 160 करोड़ है तथा परियोजना की अवधि 27 माह है। इस परियोजना के परियोजना प्रबंधकीय सलाहकार की नियुक्ति हेतु निविदा प्रक्रिया जारी है।

3. **विकास भवन हेतु एस.क्यू.सी. कार्यः** इस परियोजना की लागत रू. 70 करोड़ है। परियोजना का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.) कार्य आरम्भ हो चुका है।

ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कार्यः

1. नवीन एम.एल.ए. क्वाटर्स परियोजनाः राज्य शासन की मंशा अनुसार इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। निर्माण पश्चात केन्द्र शासन द्वारा रेटिंग हेतु अधिकृत संस्था "GRIHA" से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त की जावेगी। इस परियोजना की लागत रूपये 160 करोड़ है तथा अवधि 27 माह है। परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

2. नवीन वन भवन काम्पलेक्स बिल्डिंगः इस परियोजना की लागत रू. 80 करोड़ तथा अवधि 24 माह है। इसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है। राज्य शासन की मंशा अनुसार इस भवन को भी ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के आधार पर निर्मित किया जा रहा है तथा निर्माण पश्चात केन्द्र शासन द्वारा रेटिंग हेतु अधिकृत संस्था "GRIHA" से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त की जावेगी।

पचमढी स्थित चौरागढ एवं महादेव का विकास कार्यः

इस परियोजना हेतु लागत रूपये 2 करोड़ की ड्राफ्ट डी.पी.आर. तैयार कर कलेक्टर, होशंगाबाद को प्रेषित की गई है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की अवधि 6 माह की है। कलेक्टर, होशंगाबाद से ड्राफ्ट डी.पी.आर. का अनुमोदन प्राप्त होते ही अंतिम रूप प्रदान किया जावेगा।

अमरकंटक स्थित आदिवासी विश्वविद्यालय की विकास योजनाः

इस परियोजना के अंतर्गत अमरकंटक में स्थित आदिवासी विश्वविद्यालय की लगभग 450 एकड़ भूमि क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास किया जाना है। परियोजनान्तर्गत प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अनुबंध की प्रक्रिया की जा रही है। अनुबंध पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

स्ट्रक्चरल वेटिंग कार्यः

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश की परियोजनायेंः लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के स्ट्रक्चरल वेटिंग कार्य एप्को द्वारा किये जा रहे हैं। इस हेतु प्राप्त परियोजनाओं की कुल लागत लगभग रूपये 1000 करोड़ है। कार्य सतत् जारी है।

जल तरंग के नवीनीकरण का कार्यः

जल तरंग इन्टरप्रिटेशन सेन्टर के नवीनीकरण हेतु निविदा जारी की गई थी। इसके फलस्वरूप एकल निविदा प्राप्त होने के कारण प्रशासकीय निर्णय लिया जाना है।

बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन कार्य योजना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के जैवविविधिता से सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये जा रहे है। इस योजना का मुख्य उददेश्य जैवविविधिता का संरक्षण करना, स्थानीय रहवासियों से जुड़ी अजीविका एवं उनके विकास की योंजनाओं तथा शोध शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

मध्यप्रदेश के बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के लिए प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने, समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग एवं एप्को को नोडल एजेन्सी नामांकित गया है। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्रों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो के मूल्याकंन एवं समीक्षा हेतु राज्यस्तरीय स्टेयरिंग समिति का गठन किया गया हैं। इसी प्रकार प्रबंधन कार्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यो के आंकलन हेतु प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अध्यक्षता में मानटरिंग समिति का भी गठन किया गया है। जिला स्तर पर कार्य योजना बनाने, समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला कलेक्टर को बनाया गया है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिंजर्व प्रबंधन कार्य योजना

सतपुड़ा पहाडियों की जैव विविधता एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि एवं अंतराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भारत शासन द्वारा वर्ष 1999 में पचमढ़ी क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व का कुल क्षेत्र 4981.72 वर्ग किमी. है, जो कि 22′′11′ से 22′′50′ उत्तरी अक्षांश और 77′′47′ से 78′′52′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह होशंगाबाद, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा जिलों में फैला हुआ है।

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू. 1220.33 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है ।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिंजर्व प्रबंधन कार्य योजना

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, मार्च 2005 में घोषित किया गया, यह मध्यप्रदेश के अनूपपुर और डिंडौरी जिले एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले (उत्तरी अक्षांशः 22′′15′ से 22′′58 पूर्व देशांतरः 81′′25′ से 82′′50′) तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग किमी. है, जिसमे से छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) के अन्तर्गत 68.1 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश के अन्तर्गत 31.9 प्रतिशत (डिंडौरी 15.7 प्रतिशत अनूपपुर 16.2 प्रतिशत) भाग आता है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू 741.57 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है ।

पन्ना बायोस्फियर रिंजर्व प्रबंधन कार्य योजना

पन्ना बायोस्फियर रिजर्व, अगस्त 2011 में घोषित किया गया, यह मध्यप्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले (उत्तरी अक्षांशः 24^0 15′ से 25^0 00′ पूर्व देशांतरः 79′′30′ से 80′′30′) तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 2998.98 वर्ग किमी. है।

पन्ना बायोस्फियर रिजर्व के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एप्को द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप संबधित जिलों में जिला स्तरीय क्षेत्र समन्वय समिति में विचार विमर्श उपरांत राशि रू 693.001 लाख का पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के द्वारा उक्त योजना प्रस्तावों के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है । स्वीकृति अपेक्षित है ।

पर्यावरण के क्षेत्र में सलाहकारिता सेवायें प्रदान करना

एप्को के कार्यकलापों को सतत् गति प्रदान करने एवं स्वपोषी बनाने के लिये सलाहकारिता सेवायें प्रदान करने हेतु एप्को में व्यावसायिक अध्ययन एवं सलाहकारिता प्रकोष्ठ का गठन कर प्रतिष्ठित 54 व्यावसायिक/सलाहकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया। सलाहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 07 परियोजनायें संचालित की जा रही है।

लेक एटलस

लेक एटलस के पहले चरण में म.प्र. के जिला मुख्यालय के तालाबों/झीलों का एटलस बनाया गया था। उनमें लगभग 270 तालाबों/झीलों जो कि 48 जिला मुख्यालय के अंतर्गत आती है। उन सभी को पहले चरण में शामिल किया गया था ।

वर्तमान में, लेक एटलस के दूसरे चरण में सभी 51 जिलों के नगरीय क्षेत्र में आने वाले तालाबों एवं झीलों का एटलस तैयार किया जा रहा है। उनमें से अभी तक 18 जिलो का एटलस तैयार किया जा चुका है। बाकि जिलों का कार्य प्रगति पर है ।

जलवायु परिवर्तन विषय पर एप्को की भूमिका

राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित करते हुये प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने हेतु एप्को को "**स्टेट डेसिगनेटेड एजेंसी**" का दायित्व सौंपा है। जलवायु परिवर्तन विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन, मैदानी परियोजनाऐं एवं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से जनचेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है।

म.प्र. दृष्टिपत्र के मंशा अनुरूप ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित ज्ञान के प्रबंधन हेतु एप्को को राज्य जलवायु ज्ञान प्रबंधन नोडल ऐजेंसी का दायित्व भी सौंपा है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अन्तर्गत एप्को को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।

जलवायु ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की संरचना HUB & Spoke आधारित है। राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की गतिविधियों पर आधारित एक नालेज पोर्टल भी बनाया गया है। यह www.climatechangeportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

शासकीय अधिकारियों को जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराने हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम Climate Change Appreciation Course चलाया जा रहा है।

अनुपयोगी कागज पुनर्चक्रीकरण ईकाई

कार्यालय द्वारा स्थापित अनुपयोगी पुनर्चक्रीकरण ईकाई का कार्य सुचारू रूप से चालू है। ईकाई द्वारा परिसर स्थित कार्यालयों से निकलने वाले कागज अपशिष्ट का पुनर्चक्रकरण कर कार्यालय उपयोगी स्टेशनरी का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित स्टेशनरी एप्को, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, आपदा प्रबंध संस्थान में उत्पादन लागत पर प्रदान की जा रही है। साथ ही मंडी बोर्ड को भी स्टेशनरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही भोपाल विकास प्राधिकरण, इंदौर विकास प्राधिकरण, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड से भी आदेश प्राप्त हुए हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** का का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल दिनांक 11.11.2013 पूर्ण हो गया था तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2014 को SEIAA एवं SEAC का पुर्नगठन किया गया है। उक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के शेड्यूल अनुसार प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की जाती है । प्राधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव का नामांकन होता है। एप्को के कार्यपालन संचालक को इस प्राधिकरण का सदस्य सचिव नामांकित किया गया है। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। इस प्राधिकरण का बजट का प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

इसी तरह भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के तहत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का पूर्व में गठन किया गयाथा। इस समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त कुल 10 विषय विशेषज्ञ है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को इस समिति का सचिव नामांकित किया गया है। पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण इस समिति द्वारा किया जाता है तदोपरान्त समिति की अनुशंसायें राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को भेजी जाती है। प्रकरण का अंतिम निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाता है।

MPSEIAA के गठन से दिनांक 31.12.2015 तक कुल 4881 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। पुर्नगठन उपरांत वर्ष 2015 में कुल 3140 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है तथा 93 प्रकरणों को रिलिस्ट किया गया है। MPSEIAA की 105 बैठके तथा MPSEAC की 91 बैठकें की गई । कुल 1238 प्रकरणों में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई और 819 प्रकरणों (delist/reject) का निपटारा किया गया ।

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनान्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की नदियों बीहर नदी, रीवा एवं मंदाकिनी नदी, सतना के संरक्षण एवं उन्नयन की परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना में जल–मल निकासी तंत्र, कम लागत की स्वच्छता, शवदाह, नान पाइंट प्रदूषण के स्रोत, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है। उक्त तीनों परियोजनाओं की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–

बीहर नदी, रीवा– परियोजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रू. 35.61 करोड़ है। परियोजना में केन्द्रांश रू. 2.80 करोड़ तथा राज्यांश रू. 18.05 करोड़ प्राप्त हो चुके है।योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। योजना के नॉनकोर घटक कार्यों के अंतर्गत कम स्वच्छता लागत सुलभ शौचालयो, धोबी घाट, शवदाह गृह, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण, तटीय क्षेत्र का विकास आदि कार्य नगर पालिका परिषद, रीवा द्वारा कराये गये। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा कोर घटकों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य एवं पाइप लाईन बिछाने तथा पम्पींग स्टेशन लागने का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं। कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण करने की समय सीमा मार्च, 2016 पूर्ण होने की संभावना है।

मंदाकिनी नदी, चित्रकूट– राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत सतना जिले के चित्रकुट में मंदाकिनी नदी के संरक्षण हेतु भारत शासन द्वारा योजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रू. 8.19 करोड़ है। परियोजना हेतु में केन्द्रांश रू. 0.90 करोड़ तथा राज्यांश रू. 2.65 करोड़ प्राप्त हो चुके है। नॉनकोर घटक कार्यों के अंतर्गत कम लागत स्वच्छता, डी–स्लिटींग, भूमि अधिग्रहण तथा शवदाह गृह आदि का क्रियान्वयन नगर पालिका परिषद, चित्रकुट द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 0.91 करोड़ की राज्य वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। कोर घटकों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य एवं पाइप लाईन बिछाने तथा पम्पींग स्टेशन लागने का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं। कार्य प्रगति पर है। योजना मार्च, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

शिवपुरी झील

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अन्तर्गत शिवपुरी तालाबों के पर्यावरणीय उन्नयन एवं संरक्षण हेतु भारत सरकार, के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। योजना की कुल संशोधित पुनरिक्षित स्वीकृत लागत रूपये 69.51 करोड़ है। परियोजना हेतु केन्द्रांश से रू. 7.75 करोड़ तथा राज्यांश से रू. 39.25 करोड़ प्राप्त हो चुके है। परियोजना अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, शिवपुरी द्वारा सुलभ शौचालय व धोबी घाट, फ्लोटिंग फाऊटेंन, वृक्षारोपण परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। योजना अंतर्गत कोर घटक का पुनरिक्षित प्रस्ताव के कार्य क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. शासन को सौंपा गया है। योजना में अतिरिक्त आवश्यक राशि (राज्याशं) रू. 17.51 करोड़ की राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतिरिक्त आवश्यक राशि का प्रावधान 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। पुनरिक्षित योजना पूर्ण करने की समय सीमा वर्ष 2017 निर्धारित की गई है। कार्य प्रगति पर है।

सिंध सागर, तालाब ईसागढ़

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अन्तर्गत ईसागढ़, जिला अशोक नगर स्थित सिंध सागर तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना की कुल स्वीकृत लागत रू 10.78 करोड़ है। योजना हेतु भारत सरकार द्वारा रू. 2.50 करोड़ की राशि राज्य शासन को विमुक्त की जा चुकी है। राज्य स्तर पर एप्को इसकी नोडल एजेन्सी है एवं नगर पंचायत ईसागढ़ क्रियान्वयन संस्था है। योजना को पूर्ण करने की समय सीमा 03 वर्ष (मार्च, 2014 से मार्च, 2017 तक) निर्धारित की गई है।

सिरपुर तालाब, इंदौर

सिरपुर तालाब, इंदौर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय महत्व नमभूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण पर्यावास का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। परियोजना की कुल लागत राशि रू. 06.95 करोड है। भारत शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सिरपुर जलाशय, इन्दौर के संरक्षण एवं प्रबंधन कार्ययोजना को राशि रू. 60.33 लाख की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 में स्वीकृत की गई। कार्ययोजना हेतु इंदौर पालिक निगम, इंदौर को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग ऐजेंसी (पी.आई.ए.) नियुक्त किया गया। योजना को पूर्ण करने की समय सीमा 05 वर्ष (2012–13 से 2016–17) तक निर्धारित की गई है।

एप्को पर्यावरण अध्ययन संस्थान (EPCO-Institute of Environmental Studies)

पर्यावरण शिक्षण एवं प्रशिक्षण के दायित्व की पूर्ति हेतु एप्को पर्यावरण अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इनवायरमेंट स्टडीज (EIES) की शुरूआत की गई। जिसके तहत वर्ष 2015–16 में पी. जी. डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कोर्स, दूरवर्ती शिक्षा के स्वरूप में संचालित किये जा रहे पी. जी.डी.ई.एम. पाठ्यक्रम को दो कॉनटेक्ट सेशन एवं एक स्पेशल कॉन्टेक्ट सेशन में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों द्वारा assignment जमा किये गए तथा छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य किया जा रहा है।

इसके अलावा इंस्टीट्यूट द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम, तीन दिवसीय कोर्स के 6 कार्यक्रम, आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न आयु तथा शैक्षणिक योग्यता रखने वाले नागरिकों ने भाग लिया। इन लोकप्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्ग जिनमें प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मीड़िया से जुड़े लोगों के अलावा समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्था में कार्य करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः पर्यावरण के प्रबंधन, तालाब संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता, जल एवं वायु प्रदूषण की चुनौतियां, पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका प्रबंधन, पर्यावरण के कानूनी पहलू, जलवायु परिवर्तन, सेनिटेशन जैसे मुद्दों पर केन्द्रित थे।

इंदिरा गांधी फैलोशिप

राज्य शासन द्वारा एप्को के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में शोध अध्ययन हेतु प्रदेश के निवासियों के लिये इंदिरा गांधी फैलोशिप प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी फैलोशिप के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को दो वर्ष के लिये प्रतिमाह रू. 10000/– फैलोशिप तथा यात्रा, पुस्तक तथा स्टेशनरी आदि जैसे–कंटीजेन्सी व्यय के लिये अधिकतम रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष की राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी फैलोशिप के लिये प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ष 2014–15 के लिये तथा डॉ. विवेक पाराशर, आर.डी. गार्डी मेडिकल कालेज, सुरासा उज्जैन को "Treatment of waste water & resistant becteria through constructed wetland approach in resourse limited settings". विषय पर कार्य करने हेतु आवेदन शोध अध्ययन के प्रस्ताव सहित आमंत्रित किये जाते हैं। इंदिरा गांधी फैलोशिप के चयन के लिये राज्य शासन द्वारा गठित ज्यूरी समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा प्रदान की गई।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र में रूचि रखने वाली स्वयं सेवी/शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता रहती है ।

अभियान के अतंर्गत वर्ष 2013–14 के लिए क्षेत्रीय उन्मुखीकरण कार्यशालाए राज्य के 8 जिलों होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर, भोपाल, नरसिंहपुर, सागर एवं देवास में आयोजित की गई तथा सभी प्रतिभागियों को जैव विविधता संरक्षण विषय पर संसाधन सामग्री तैयार कर उपलब्ध करायी गई एवं वर्ष 2014–15 के लिए 5 जिलों में प्री प्रपोजल कार्यशालाए इंदौर, होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर एवं भोपाल में आयोजित की गई ।

माह जुलाई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय एवं स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर अभियान में भाग लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये । अंतिम तिथि तक कुल 1427 प्रस्ताव प्राप्त हुये। समस्त प्रस्तावों की स्क्रूटनी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार की गई। प्रस्तावों पर अनुदान की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा गठित चयन समिति की बैठक में सभी 1427 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 902 प्रस्तावों को लगभग 81.28 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाना संभावित है। अनुदान प्राप्त होते ही कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ।

NEAC Workshop photographs organised in 2014-15

राष्ट्रीय हरित कोर योजना

राष्ट्रीय हरित कोर योजना (एन.जी.सी.) विद्यालयीन छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने की एक अभिनव कारी योजना है। योजनांतर्गत प्रदेश के 50 जिलों में 250 प्रति जिला के मान से 12500 इको क्लबों का गठन किया गया है। विद्यालय का शिक्षक ही इको क्लब का प्रभारी होता है इन शिक्षकों को योजना के प्रारंभ से अब तक दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं समन्वय हेतु प्रत्येक जिले से दो–दो मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर उनके प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विद्यालयीन छात्रों में प्रकृति व पर्यावरण के संबंध में ज्ञान विकसित करने के उद्देश्य से विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी मोगली बाल उत्सव का आयोजन दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2015 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिला सिवनी में किया गया। यह कार्यक्रम एप्को, लोक शिक्षण संचनालय, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग एवं जिला प्रशासन सिवनी के समन्वयन से आयोजित होता है। मोगली बाल उत्सव के दौरान समस्त जिलों से आये माहिला शिक्षकों एवं छात्रों के लिये पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन संगठन द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया जा कर विजयी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये। आयोजन के पूर्व क्विज मास्टर एवं मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्को द्वारा दिनांक 19-18सितम्बर 2015 को भोपाल में संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्यावरण दिवसों जैसे विश्व वसुन्धरा दिवस, जैव विविधिता दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व मरूस्थलीय करण दिवस एवं ओजोन क्षरण दिवस, जैवविविधिता संरक्षण अभियान एवं जैवविधिता विशेष ट्रेन पर जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन इको क्लब विद्यालयों द्वारा किया गया।

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम – 2006 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम–2006 के अन्तर्गत हितग्राही समुदायों एवं वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा संबंधित ग्रामों के पंचायत सचिवों के लिये पर्यावरणीय मुददों पर क्षमता विकास हेतु विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मप्र शासन द्वारा एप्को के लिये रु 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 5 जिलों के लगभग 14 विकासखण्डों के लिए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वेबसाइट

संस्था की वेबसाइट www.epco.in में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी भी उपलब्ध है।

पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास

संगठन द्वारा पर्यावरणीय विषयों पर उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। इस सूचना केन्द्र में उत्कृष्ट पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि का लगभग 5000 प्रलेखों का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थी भी करते हैं।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संगठन द्वारा सूचना अधिकार मैनुअल तैयार कर संगठन की बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस मैनुअल के माध्यम से जन सामान्य को संगठन के क्रियाकलापों की जानकारी सुगमता से उपलब्ध रहती है। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों द्वारा भी आवश्यक जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

1. नियुक्ति – 3
2. समयमान वेतनमान – 23
3. विभागीय जांच – 2
4. न्यायालयीन प्रकरण – 15 विचाराधीन

भाग – पाँच

अभिनव योजना

राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र, एप्को के कार्यो से सम्बन्धित टीप

- राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने हेतु एप्को को "स्टेट डेसिग्नेटेड एजेंसी" का दायित्व सौपा गया है। राज्य शासन द्वारा अंगीकृत दृष्टि पत्र 2018 के मंशानुसार एप्को में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित ज्ञान का सृजन करना, अध्ययनों की जानकारी का संकलन करना एवं इसका सरलीकरण कर विभिन्न हितधारकों को प्रसारित करना है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अंतर्गत एप्को को राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस हेतु अनुदान स्वीकृत किया है ।
- राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों के जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित लेखो को संग्रहित करने हेतु "Climate Change in Madhya Pradesh: A Compendium of EÛpert Views & II" प्रकाशित किया गया है साथ ही राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र का भी एक ब्रोशर प्रकाशित किया गया है ।
- राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सिंहस्थ–2016 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2015 को 'ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन– समाधान की ओर' विषय पर विधान सभा परिसर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के संयोजक का दायित्व एप्को द्वारा विवेहन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में श्री श्री रविशंकर जी, प्रणेता, आर्ट ऑफ लिविंग तथा समापन सत्र में श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे करीब 50 वैज्ञानिक, चिन्तक एवं धर्म–गुरुओ ने भी सामानांतर सत्रों में भाग लिया। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन विषय पर एक वृहद व रोचक प्रदर्शनी लगायी गई ।

- जलवायु परिवर्तन विषय पर जनजागरूकता हेतु केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चलायी जा रही साइंस एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश के शिवपुरी एवं खजुराहो रेलवे स्टेशन पर 3–3 दिन रुकी, जिसमे दोनों स्टेशन के आसपास के जिलो से स्कूली छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं पालकों सहित लगभग 65,000 प्रतिभागियों ने ट्रेन में प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
- ट्रेन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर पर विज्ञापन, समस्त 51 जिलो के कलेक्टर को ई–मेल व आस पास के 13 जिलो के कलेक्टर को पत्र लिखकर समन्वय एवं रेलवे स्टेशन पर जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- केन्द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5 परियोजना प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को प्रेषित करें जिसके द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अनुदान स्रोतों यथा (National Adaptation Fund] National Clean Environment Fund] Green Climate Fund] Climate Change Action Programme, Adaptation Fund Board) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकें। इस सन्दर्भ में पांच परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है।

- राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अंतर्गत जल संसाधन एवं जलवायु परिवर्तन से जुडी गतिविधियों के लिए UNDP एवं SWISS Agency for Development and Cooperation द्वारा राज्य शासन के साथ परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।
- राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधनकेंद्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित विषयों पर करीब 10 प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किये जिसमे लगभग 500 शासकीय/ अशासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया ह।

एस.पी.एम.जी. परियोजना :

- DFID के सहयोग से वित्त विभाग, म.प्र. शासन द्वारा Strengthening Performance Management in Governance (SPMG) परियोजना संचालित की जा रही है जिसका Output&IV एप्को के राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र से सम्बंधित है जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट आल्टरनेटिव (DA) एप्को के साथ टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में सम्बद्ध है।
- परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के जिलों में जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ–साथ कई अध्ययन दस्तावेज भी प्रकाशित किये जा रहे है।
- इसी परियोजना के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों को जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु एक ट्रेनिंग माड्यूल भी निर्मित किया गया है एवं प्रदेश के कुछ जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- SPMG परियोजनाके अंतर्गत ही राज्य की State of Environment Report तैयार की जा रही है जो जलवायु परिवर्तन एवं प्रदेश के पर्यावरण पर केन्द्रित है।
- राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की गतिविधियों पर आधारित एक नॉलेज पोर्टल भी बनाया गया हैजिसके अंतर्गत GIS आधारित क्लाइमेट चेंज इन्फोर्मशन सिस्टम (CCIS) निर्मित किया गया है। यह www-climatechangeportal-mp-gov-in पर उपलब्ध है ।

भाग – छः

प्रकाशन

एप्को द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु समय–समय पर विभिन्न ब्रोशर, पम्पलेट आदि का प्रकाशन किया जाता है।

भाग – सात

राज्य महिला नीति

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित

प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्य महिला नीति के तहत समिति का गठन किया गया है। एक महिला अधिकारी डॉ. साधना तिवारी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण एवं इसके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राज्य शासन द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्य हेतु संगठन को नोडल एजेंसी का दायित्व सौपा गया है तथा दृष्टिपत्र की मंशा अनुसार स्थापित राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र द्वारा राज्य में जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित ज्ञान प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। संगठन को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हुए संगठन को राज्य के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय हरित कोर योजना हेतु नोडल एजेन्सी चुना गया है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण जैव–विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर संचालक	03	02	01
3	संयुक्त संचालक	06	05	01
4	उप संचालक	08	02	06
5	सहायक संचालक	12	03	09
6	लेखा अधिकारी	01	01	00
7	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	01	03
8	अधीक्षक	09	08	01
9	वरिष्ठ निज सहायक	02	02	00
10	निज सहायक	04	03	01
11	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	05	04
12	सहायक वर्ग–1	19	18	01
13	सहायक वर्ग–1 (सांख्ये.)	01	01	00
14	लेखापाल	07	00	07
15	लेखापाल चुंगी	01	00	01
16	सहायक वर्ग–2	27	20	07
17	सहायक वर्ग–3	52	13	39
18	वाहन चालक	12	06	06
19	भृत्य	16	22	06 अधिक
	योग	**194**	**113**	**87**

———————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	07	04
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	00	10
4.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	02	08
7.	अधीक्षक	10	06	04
8.	सहायक वर्ग–1	20	20	00
9.	लेखापाल	10	01	09
10.	सहायक वर्ग–2	30	16	14
11.	सहायक वर्ग–3	40	09	31
12	वाहन चालक	13	01	12
12.	भृत्य	20	08	12
	योग	**183**	**70**	**113**

———————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद संख्या**	**भरे पद संख्या**	**रिक्त पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	01	00
2.	मुख्य अभियंता	01	00	01
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	06	00
6.	सहायक यंत्री	06	06	00
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	01	00
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	02	11
12.	सहायक अधीक्षक	01	01	00
13.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
14.	लेखापाल	01	01	00
15.	सहायक वर्ग–2	10	05	05
16.	मानचित्रकार	02	02	00
17.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
18.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
19.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
20.	सहायक वर्ग–3	20	17	03
21.	व्यवस्थापक	01	00	01
22.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
23.	वाहन चालक	17	16	01
24.	भृत्य	11	11	00
25.	चेनेमेन	01	01	00
26.	माली	03	02	01
27.	चौकीदार	08	08	00
28.	मॉडलर	02	00	02
29.	पंप अटेडेंट	01	00	01
30.	वाटर मेन	01	00	01
31.	सफाई कामगार	06	02	04
	योग	**137**	**89**	**48**

———————

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्तपद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10	
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10	
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	0	2	
4.	सहायक यंत्री	20	9	11	
5.	मानचित्रकार	7	7	0	
6.	ट्रेसर	7	3	4	
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0	
8.	वाहन चालक	7	3	4	
9.	भृत्य	14	14	0	
10.	चौकीदार	8	4	4	
	योग	109	64	45	

––––––––

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	—''—
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	0	38	—''—
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	—''—
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	—''—
8	सामुदायिक संगठक	388	256	132	**संविदा (रूपये 6500 प्रतिमाह)**
	योग	**736**	**380**	**356**	

————————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर
				2. बिलौआ
				3. आंतरी
				4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा
				6. कोलारस
				7. खनियाधाना
				8. पिछोर
				9. बदरवास
				10. नरवर
				11. बैराड
	3. गुना		3. गुना	12. चाचौडाबीनागंज
			4. राधोगढ़	13. आरोन
				14. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर	15. मगावली
			6. चंदेरी	16. ईसागढ
				17. शाढौरा
	5. दतिया		7. दतिया	18. भाण्डेर
				19. इंदरगढ
				20. सेवड़ा
				21. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड	22. मेहगांव
			9. गोहद	23. लहार
				24. गोरमी
				25. अकोड़ा
				26. मिहोना
				27. आलमपुर
				28. दबोह
				29. मौ
				30. फूफकलां
	7. मुरैना	2. मुरैना	10. अम्बाह	31. जौरा
			11. पोरसा	32. कैलारस
			12. सबलगढ	33. झुण्डपुरा
				34. बामौर
	8. श्योपुरकलां		13. श्योपुरकलां	35. विजयपुर
				36. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		37. देपालपुर
				38. सांवेर
				39. गौतमपुरा
				40. बेटमा
				41. राऊ
				42. हातौद
				43. मानपुर
				44. महुगांव
	10. धार		14. धार	45. राजगढ़
			15. मनावर	46. कुक्षी
			16. पीथमपुर	47. बदनावर
				48. धरमपुरी
				49. धामनौद
				50. सरदारपुर
				51. मांडव
				52. डही
	11. बड़वानी		17. सेंधवा	53. अंजड़
			18. बड़वानी	54. राजपुर

				55. खेतिया 56. पानसेमल 57. पलसूद
	12. झाबुआ		19. झाबुआ	58. थांदला 59. पेटलावद 60. रानापुर 61. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		20. अलीराजपुर	62. जोबट 63. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		21. खरगौन 22. सनावद 23. बड़वाह	64. मण्डलेश्वर 65. कसरावद 66. भीकनगांव 67. महेश्वर 68. करही एवं पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		69. मूंदी 70. पंधाना 71. ओंकारेश्वर 72. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	24. नेपानगर	73. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	25. बड़नगर 26. महिदपुर 27. खाचरोद 28. नागदा	74. तराना 75. उन्हेल 76. माकडोन
	18 नीमच		29. नीमच	77. मनासा 78. रामपुरा 79. जावद 80. जीरन 81. रतनगढ़ 82. सिंगोली 83. डिकेन 84. कुकड़ेश्वर 85. नयागांव 86. अठाना 87. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		88. कन्नोद 89. सोनकच्छ 90. खातेगांव 91. हाटपिपल्या 92. बागली 93. भौरासा 94. करनावद 95. काटाफोड़ 96. लोहारदा 97. सतवास 98. टोंकखुर्द 99. पिपलरंवा 100. नेमावर
	20. शाजापुर		30. शाजापुर 31. शुजालपुर	101. मक्सी 102. अकोदिया 103. पोलायकलां 104. पानखेडी
	21. आगर		32. आगर	105. नलखेड़ा 106. बडौद 107. कानड़ 108. सुसनेर 109. सोयतकलां 110. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	33. जावरा	111. ताल

				112. सैलाना 113. आलोट 114. नामली 115. बड़ावदा 116. पिपलौदा 117. धामनौद
	23. मंदसौर		34. मंदसौर	118. शामगढ़ 119. सीतामऊ 120. पिपल्यामंडी 121. नारायणगढ़ 122. मल्हारगढ़ 123. भानपुरा 124. नगरी 125. गरोठ 126. सुवासरा
5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	35. बैरसिया	
	25. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	127. इछावर 128. बुदनी 129. जावर 130. नसरूल्लागंज 131. रेहटी 132. कोठरी 133. शाहगंज
	26. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40. मण्डीदीप	134. औबेदुल्लागंज 135. सुल्तानपुर 136. बरेली 137. बाड़ी 138. सांची 139. उदयपुरा 140. सिलवानी 141. गैरतगंज
	27. विदिशा		41. विदिशा 42. गंज बासौदा 43. सिरोंज	142. कुरवाई 143. लटेरी 144. शमशाबाद
	28. राजगढ़		44. राजगढ 45. नरसिंहगढ़ 46. सारंगपुर 47. ब्यावरा	145. जीरापुर 146. कुरावर 147. खिलचीपुर 148. तलेन 149. बोड़ा 150. खुजनेर 151. पचोर 152. सुठालिया 153. माचलपुर 154. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		48. होशंगाबाद 49. इटारसी 50. सिवनीमालवा 51. पिपरिया	155. बाबई 156. सोहागपुर 157. बनखेड़ी
	30. हरदा		52. हरदा	158. टिमरनी 159. खिड़किया
	31. बैतूल		53. बैतूल 54. आमला 55. सारणी 56. मुलताई	160. बैतूल बाजार 161. भैंसदेही 162. आठनेर 163. चिचोली
7. सागर	32. सागर	10. सागर	57. बीना इटावा 58. खुरई 59. गढ़ाकोटा 60. रेहली 61. देवरी	164. राहतगढ़ 165. बंडा 166. शाहपुर 167. शाहगढ

			62. मकरोनिया बुजुर्ग	
	33. दमोह		63. दमोह 64. हटा	168. तेंदुखेड़ा 169. पथरिया 170. हिन्डोरिया 171. पटेरा
	34. पन्ना		65. पन्ना	172. अमानगंज 173. देवेन्द्र नगर 174. अजयगढ़ 175. ककरहटी 176. पवई
	35. छतरपुर		66. छतरपुर 67. नौगांव 68. महाराजपुर	177. धुवारा 178. सटई 179. बारीगढ़ 180. बिजावर 181. गढ़ीमल्हरा 182. बक्सवाहा 183. चंदला 184. बड़ामल्हरा 185. हरपालपुर 186. लवकुशनगर 187. खजुराहो 188. राजनगर
	36. टीकमगढ़		69. टीकमगढ़	189. निवाड़ी 190. पृथ्वीपुर 191. बल्देवगढ़ 192. खरगापुर 193. पलेरा 194. जैरोनखालसा 195. तरीचरकलां 196. जतारा 197. लिधोराखास 198. बड़ागांव 199. कारी 200. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	11. रीवा		201. बैंकुंठपुर 202. मउगंज 203. त्यौंथर 204. हनुमना 205. चाकघाट 206. गोविन्दगढ. 207. नईगढ़ी 208. सिरमौर 209. मनगवां 210. सेमरिया 211. गुढ़
	38. सीधी		70. सीधी	212. चुरहट 213. रामपुरनेकिन 214. मझोली
	39. सिंगरौली	12.सिंगरौली		
	40. सतना	13. सतना	71. मैहर	215. नागौद 216. बिरसिंहपुर 217. जैतवारा 218. कोटर 219. कोठी 220. अमरपाटन 221. रामपुर–बघेलान 222. उचेहरा 223. चित्रकूट 224. न्यू रामनगर

9. शहडोल	41. शहडोल		72. शहडोल 73. धनपुरी	225. बुढ़ार 226. ब्यौहारी 227. जयसिंहनगर 228. खाण्ड
	42.अनूपपुर		74. अनूपपुर 75. कोतमा 76. पसान 77. बिजूरी	229. जैतहरी 230. अमरकंटक
	43. उमरिया		78. उमरिया 79. पाली	231. चंदिया 232. नौरोजाबाद
	44. डिण्डोरी			233. डिण्डोरी 234. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	14. जबलपुर	80. पनागर 81. सिहोरा	235. बरेला 236. भेड़ाघाट 237. शाहपुरा 238. पाटन 239. मझौली 240. कटंगी
	46. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		241. बरही 242. कैमोर 243. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		82. बालाघाट 83. वारासिवनी 84. मलाजखंड	244. कटंगी 245. बैहर 246. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	85. पांढुर्ना 86. जुन्नारदेव जामई) 87. डोंगर परासिया 88. दमुआ 89. चौरई 90. अमरवाड़ा 91. सौंसर	247. हर्रई 248. लोधीखेड़ा 249. न्यूटन चिखली 250. चांदामेटा बुटारिया 251. मोहगांव 252. बडकुही 253. पिपलानारायणवार 254. बिछुआ 255. चांद
	49 नरसिंहपुर		92. नरसिंहपुर 93. गाडरवारा 94. करेली 95. गोटेगांव	256. तेंदूखेड़ा 257. सालीचौका 258. सांईखेडा 259. चीचली
	50. सिवनी		96. सिवनी	260. लखनादौन 261. बरघाट 262. छपारा*
	51. मंडला		97. मंडला 98. नैनपुर	263. बम्हनीबंजर 264. निवास 265. बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**98**
नगर परिषद	**265**
योग	**379**

*नव गठित नगर परिषद्।

परिशिष्ट–तीन (एक)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजना) (राशि लाख में)

स.क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	लघुशीर्ष	प्रथम एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान सहित प्रावधान वर्ष 2015–16				कुल व्यय दिनांक 31.01.2016 तक			
				सामान्य	टीएसपी	एससीएसपी	योग	सामान्य	टीएसपी	एससीएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8				
Centrally Sponserd Sehemes (Central+State+ULB)											
1	6221	इन्फ्रस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	191	7500.00	200.00	1500.00	**9200.00**	3500.00	0.00	0.00	**3500.00**
			192	19750.00	200.00	3300.00	**23250.00**	5661.41	0.00	0.00	**5661.41**
			193	3500.00	400.00	3000.00	**6900.00**	1000.00	0.00	0.00	**1000.00**
			31-002	0.01	0.00	0.00	**0.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			31-004	0.01	0.00	0.00	**0.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			योग	**30750.02**	**800.00**	**7800.00**	**39350.02**	**10161.41**	**0.00**	**0.00**	**10161.41**
2	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन		1846.00	1600.00	5554.00	**9000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	6154	राजीव आवास योजना		15600.00	100.00	1300.00	**17000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
4	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	191	150.00	0.00	300.00	**450.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			192	250.00	150.00	500.00	**900.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			193	100.00	100.00	200.00	**400.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			योग	**500.00**	**250.00**	**1000.00**	**1750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	1263	राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन		5240.00	398.00	1862.00	**7500.00**	2360.57	243.63	0.00	**2604.20**
6	6028	आई.एल.सी.एस.		100.00	0.00	0.00	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	1264	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम		100.00	0.00	0.00	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

8	7705	स्मार्ट सिटी		16200.00	0.00	0.00	**16200.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	7706	स्वच्छ भारत मिशन		22300.00	0.00	0.00	**22300.00**	14988.69	0.00	0.00	**14988.69**
10	1238	अटल मिशन फॉर रेज्यूविनेशन (अमृत)		40799.000	0.000	0.000	**40799.00**	1165.400	0.000	0.000	**1165.40**
11	1237	हाउसिंग फॉर ऑल		2500.000	0.000	0.000	**2500.000**	839.940	0.000	0.000	**839.94**
State Schemes (State + ULB)											
12	7146	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम		8556.00	325.00	3000.00	**11881.00**	6784.50	325.00	1579.78	**8689.28**
			31-002	110.00	0.00	0.00	**110.00**	59.45	0.00	0.00	**59.45**
			31-004	340.00	0.00	0.00	**340.00**	140.00	0.00	0.00	**140.00**
			योग	**9006.00**	**325.00**	**3000.00**	**12331.00**	**6983.95**	**325.00**	**1579.78**	**8888.73**
13	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम		4120.00	280.00	2400.00	**6800.00**	4120.00	280.00	2400.00	**6800.00**
			31-002	110.00	0.00	0.00	**110.00**	108.08	0.00	0.00	**108.08**
			31-004	240.00	0.00	0.00	**240.00**	139.99	0.00	0.00	**139.99**
			योग	**4470.00**	**280.00**	**2400.00**	**7150.00**	**4368.07**	**280.00**	**2400.00**	**7048.07**
14	7144	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम		5686.69	870.59	1542.75	**8100.03**	2043.59	217.64	370.26	**2631.49**
15	7361	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आवास योजना		0.01	0.00	0.00	**0.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
16	7056	अग्निशमन सेवायें		2500.00	0.00	0.00	**2500.00**	2193.00	0.00	0.00	**2193.00**
State Schemes											
17	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन		1200.00	0.00	0.00	**1200.00**	27.10	0.00	0.00	**27.10**
18	7357	झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन		750.00	50.00	200.00	**1000.00**	750.00	50.00	0.00	**800.00**
19	7029	राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान		670.00	5.00	25.00	**700.00**	370.00	5.00	10.00	**385.00**
20	6022	मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे		2000.00	0.00	0.00	**2000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21	7400	सिंहस्थ–2016		164800.00	0.00	5000.00	**169800.00**	129262.53	0.00	5000.00	**134262.53**
22	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम		1140.16	129.84	180.00	**1450.00**	356.76	5.90	16.35	**379.01**
			31-002	20.00	0.00	0.00	**20.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**

			31-004	30.00	0.00	0.00	**30.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			योग	**1190.16**	**129.84**	**180.00**	**1500.00**	**356.76**	**5.90**	**16.35**	**379.01**
23	5726	म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष		800.00	0.00	0.00	**800.00**	400.00	0.00	0.00	**400.00**
24	8163	नगर विकास योजना		320.00	10.00	70.00	**400.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	7358	शहरी विरासत सरंक्षण एवं संवर्द्धन योजना		200.00	0.00	15.00	**215.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
26	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय		95.40	0.00	0.00	**95.40**	51.34	0.00	0.00	**51.34**
27	6047	प्रशिक्षण		25.00	0.00	0.00	**25.00**	10.00	0.00	0.00	**10.00**
28	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम		0.01	0.00	0.00	**0.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
29	7041	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट		0.01	0.00	0.00	**0.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
30	7172	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (अधोसरंचना का विकास)		200.00	12.00	85.00	**297.00**	200.00	12.00	85.00	**297.00**
31	179	सफाई कामगारें के लिये समूह बीमा योजना		0.00	0.00	63.35	**63.35**	0.00	0.00	63.35	**63.35**
32	1319	हुडको से लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान		14500.00	0.00	0.00	**14500.00**	10303.07	0.00	0.00	**10303.07**
33		पॉलिसी रिफार्म रिसोर्स		0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
34	8808	आई.टी. ई–गर्वनेन्स		301.66	0.00	0.00	**301.66**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
35	7707	मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना		1220.00	50.00	230.00	**1500.00**	1220.00	50.00	230.00	**1500.00**
36	7709	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना		1175.00	10.00	115.00	**1300.00**	1175.00	10.00	115.00	**1300.00**
37	7711	म.प्र.अर्बन डेव्हलपमंट प्रोजेक्ट (MPUDP)		500.01	0.00	0.00	**500.01**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
EAP Schemes											
38	7905/7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास **(एडीबी)**		400.01	0.00	0.00	**400.01**	123.04	0.00	0.00	**123.04**
39	7336	एम.पी.अर्बन सर्विसेस इन्प्रूवमेंट प्रोग्राम (MPUSIP)-EAP (ADB)		3903.18	0.00	6896.82	**10800.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**

40	1262	एम.पी.अर्बन सेनिटेशन एण्ड इन्वारोमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट (MPUSEP)- EAP (KFW)		550.00	0.00	0.00	**550.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
41	7239	एम.पी.अर्बन इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (MPUIIP)		11800.00	0.00	0.00	**11800.00**	11372.20	0.00	0.00	**11372.20**
42	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF)		535.00	0.00	65.00	**600.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
43	7704	डेटिकेटेट अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (DUTF)		8250.00	0.00	0.00	**8250.00**	3600.00	0.00	0.00	**3600.00**
			31-002	200.00	0.00	0.00	**200.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			31-004	50.00	0.00	0.00	**50.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
			योग	**8500.00**	**0.00**	**0.00**	**8500.00**	**3600.00**	**0.00**	**0.00**	**3600.00**
		Grand Total with New Scheme		**372983.16**	**4890.43**	**37403.92**	**415277.51**	**204325.66**	**1199.17**	**9869.74**	**215394.57**

परिशिष्ट–तीन (दो)

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजनेतर) (राशि लाख में)

मांग	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		प्रथम एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान सहित बजट प्रावधान	व्यय दिनांक 31.01.2016 तक
1	2	3	4	5	6	7
22	2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)		89.51	55.90
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.01	0.00
22	2217	5831	मध्यप्रदेश सफाई कामगार आयोग का गठन		41.50	6.70
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		1015.86	605.22
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.10	0.00
22	2217	7300	स्व.श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरस्कार योजना		0.10	0.00
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		7.00	7.00
22	2217	7713	सिंहस्थ–2016 के पूर्व विमर्श–संगोष्ठियों का आयोजन **(प्रथम अनुपूरक में प्राप्त)**		500.00	500.00
22	2217	7406	मध्यप्रदेश राज्य केश शिल्पी कल्याण मण्डल		16.12	0.00
22	2217	7407	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल		16.12	0.00
22	2217	7408	मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल		16.12	0.00
			योग मांग संख्या 22		**1702.44**	**1174.82**
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	नगर निगम	2680.80	2412.72
				नगर पालिका	265.12	238.60
				नगर परिषद्	53.94	48.55
				योग	**2999.86**	**2699.87**
75	2217	6244	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	नगर निगम	6166.68	6166.67
				नगर पालिका	3739.87	3739.86
				नगर परिषद्	2581.77	2581.76
				योग	**12488.32**	**12488.29**
75	2217	6551	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	नगर निगम	5312.87	5312.86
				नगर पालिका	3221.98	3221.97
				नगर परिषद्	2224.27	2224.26
				योग	**10759.12**	**10759.09**
75	2217	6552	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	नगर निगम	0.01	0.00
				नगर पालिका	0.01	0.00
				नगर परिषद्	167.72	167.71
				योग	**167.74**	**167.71**
75	2217	6226	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	नगर परिषद्	187.19	187.18
				योग	**187.19**	**187.18**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	नगर निगम	1000.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	नगर निगम	1000.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों /पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	नगर निगम	350.00	0.00
				नगर पालिका	275.00	0.00
				नगर परिषद्	150.00	0.00

				योग	**775.00**	**0.00**
75	2217	7333	निर्यातकर क्षतिपूर्ति	नगर निगम	2701.99	2701.99
			(वित्त वर्ष 13–14 से प्रारंभ नवीन)	नगर पालिका	8740.00	8740.00
				नगर परिषद्	600.27	600.27
					12042.26	**12042.26**
75	2217	7398	नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार	नगर निगम	110.00	0.00
				नगर पालिका	60.00	0.00
				नगर परिषद्	30.00	0.00
				योग	**200.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्यकरों में हिस्सा)	नगर निगम	4236.72	2681.61
				नगर पालिका	11297.92	7808.48
				नगर परिषद्	12711.80	8726.26
				योग	**28246.44**	**19216.35**
75	3604	8017	सडक मरम्मत	नगर निगम	8460.00	7503.15
				नगर पालिका	6060.00	4615.15
				नगर परिषद्	4075.00	3076.42
				योग	**18595.00**	**15194.72**
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर (पुनर्विनियोजन द्वारा कम की गई राशि)	नगर निगम	122109.05	91881.49
				नगर पालिका	70491.13	50484.80
				नगर परिषद्	48509.82	37572.77
				योग	**241110.00**	**179939.06**
75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	नगर निगम	37078.56	26859.47
				नगर पालिका	32958.72	19564.37
				नगर परिषद्	12359.52	10783.23
				योग	**82396.80**	**57207.07**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	नगर निगम	2340.36	2106.32
				नगर पालिका	3878.04	3490.24
				नगर परिषद्	2781.60	2503.44
				योग	**9000.00**	**8100.00**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		26300.00	21192.08
				योग	**26300.00**	**21192.08**
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		2500.00	0.00
				योग	**2500.00**	**0.00**
75		1239	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा **(प्रथम अनुपूरक में प्राप्त)**		24585.10	12265.80
					14930.82	7438.66
					10323.58	5135.04
					49839.50	**24839.50**
75	2217	3115	भू–अर्जन हेतु मुआवजा **(प्रथम अनुपूरक में प्राप्त)**		44.86	44.86
				योग	**44.86**	**44.86**
75	2217	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान **(प्रथम अनुपूरक में प्राप्त)**		40.00	0.00
				योग	**40.00**	**0.00**
			योग मांग संख्या 75	**योग**	**499692.11**	**364078.04**
			योग मांग संख्या 22 एवं 75	**महायोग**	**501394.55**	**365252.86**

परिशिष्ट–चार

अमृत मिशन के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

क्रं. सं.	प्रकार	उपलब्धियाँ	कार्यावयन की समय सीमा
1.	ई–शासन	डिजिटल शहरी स्थानीय निकास 1. शहरी स्थानीय निकाय वेबसाईट का निर्माण। 2. ई–समाचार पत्र का प्रकाशन डिजिटल इंडिया पहल 3. डिजिटल इंडिया को सहायता प्रदान करना (डक्टिंग पीपीपी मोड अथवा यूएलबी द्वारा स्वं किया जा सकता है)	 06 माह 06 माह 06 माह
		ई–मास के साथ कवरेज (सॉफ्टवेयर की शुरूआत करने की तारीख से) ● जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण ● जल एवं सीवरेज प्रभार ● शिकायत निवारण ● सम्पत्ति कर ● विज्ञापन कर ● लाइसेंस जारी करना ● भवन निर्माण के लिए अनुमति ● परिवर्तन ● वेतन ● पेंशन	24 माह
2.	म्यूनिसिपल संवर्ग की संविधान और व्यावसायिकता	1. म्युनिसिपल संवर्ग की स्थापना। 2. संवर्ग से जुड़ा प्रशिक्षण। 3. यूएलबी में प्रशिक्षुओं को लगाने और कार्यान्वयन के लिए नीति। 4. राज्य यूएलबी की आबादी, वेतन संबंधी आंतरिक संसाधनों और व्यय के आधार पर म्युनिसिपल पदाधिकारियों की संख्या को ठीक करने के लिए नीति तैयार करेगी।	24 माह 24 माह 12 माह 36 माह
3.	दोहरी प्रविष्टि लेखा में वृद्धि	1. पूर्णतः दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना और वित्तीय वर्ष 2012–13 से लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना। 2. आंतरिक लेखा परीक्षण की नियुक्ति। 3. वेबसाईट पर वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रकाशित करना।	12 माह 24 माह प्रतिवर्ष
4.	शहरी आयोजना और शहरी स्तरीय योजनायें	1. जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लॉन तैयार करना। 2. सेवा स्तर सुधार योजनायें (एलएलआईपी), राज्य वर्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) तैयार करना। 3. शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना। 4. 5 वर्षो में शहरों के हरित क्षेत्र को 15 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए कार्य योजना तैयार करना। 5. अमृत शहरों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक शिशु पार्क का विकास करना। 6. जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति आधार पर पार्कों, खेल मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए प्रणाली स्थापित करना। 7. सुस्थिर आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन में दिए गए मानदंडों का कार्यान्वयन करने के लिए एक राज्य स्तरीय नीति तैयार करना।	48 माह 06 माह 36 माह 06 माह प्रति वर्ष 12 माह 24 माह
5	निधियों और कार्यों का हस्तांतरण	1. 14 वें वित्त आयोग की निधियों और कार्यों का अंतरण सुनिश्चित करना। 2. राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नियुक्ति करना और निर्णय लेना। 3. समय–सीमा के अंतर्गत एसएफसी के सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। 4. सभी 18 कार्यों को यूएलबी को अंतरित करना।	06 माह 12 माह 18 माह 12 माह

6	भवन उप–नियमों की पुनरीक्षा	1. समय–समय पर भवन उप–नियमों का संशोधन।	12 माह
		2. 500 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र वाले सभी भवनों और सभी सार्वजनिक भवनों में सौर छत बनाने के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार करें।	12–24 माह
		3. 300 वर्ग मी. और उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों पर निर्मित सभी वाणिज्यिक, सार्वजनिक भवनों और नए भवनों से वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए एक नीति और कार्ययोजना तैयार करें।	12–24 माह
		4. निर्माण अनुमति के लिए एकल खिड़की मंजूरी सृजित करना।	12 माह
7.	राज्य स्तर पर मध्यस्थ संस्था की व्यवस्था करना	1. वित्तीय मध्यस्थ संस्था की स्थापना और उसका संचालन–पूल वित्त, बाह्य निधियाँ प्राप्त करना, म्यूनिसिपल बांड जारी करना।	12–18 माह
8(क)	म्यूनिसिपल कर और शुल्क में सुधार	1. कम से कम 90 प्रतिशत कवरेज। 2. कम से कम 90 प्रतिशत एकत्रीकरण। 3. समय–समय पर संपत्ति कर का संशोधन, प्रभार और अन्य शुल्क लगाने के लिए नीति करना। 4. वेबसाईट पर कर ब्यौरों की माँग की एकत्रीकरण पुस्तिका (डीसीबी) डालना, 5. गतिशील मूल्य निर्धारण मॉड्यूल के साथ विशेष क्षमता प्राप्त करने के लिए नीति बनाकर विज्ञापन राजस्व की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना।	12 माह
8(ख)	उपरोक्त प्रभार लगाने और एकत्रित करने में सुधार	1. व्यक्तिगत और संस्थागत आंकलनों के लिए उपभोक्ता प्रभार पर नीति को अपनाना जिसमें जल के उपयोग हेतु कमजोर वर्गों के हितों पर ध्यान देने के लिए शामिल किए गए सुरक्षा उपायों हेतु भिन्न दर लगाई जाती है। 2. जल की हानि को 20 प्रतिशत तक कम करने के लिए कार्य योजना बनाना और बेवसाईट पर प्रकाशित करना। 3. उपभोक्ता प्रभारों के लिए पृथक खाते। 4. कम से कम 90 प्रतिशत बिलिंग। 5. कम से कम 90 प्रतिशत एकत्रीकरण।	12 माह
9	क्रेडिट रेटिंग	यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग पूरा करना।	18 माह
10	ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा	1. ऊर्जा (स्ट्रीट लाईट) और जल लेखा परीक्षा (गैर राजस्व जल अथवा हानि लेखा परीक्षा सहित)	12 माह
		2. एसटीपी और डब्ल्यूटीपी को अधिक ऊर्जा सक्षम बनाना।	12 माह
		3. ऊर्जा सक्षम लाईटों का उपयोग करके स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा खपत के अनुकूल बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना।	12 माह
		4. हरित भवनों के लिए प्रोत्साहन देना (उदाहरणार्थ, भवन अनुमति विकास प्रभारों के संबंध में संपत्ति कर अथवा प्रभारों में छूट)	24 माह
11	स्वच्छ भारत मिशन	1. खले में शौच का उन्मूलन। 2. अपशिष्ट एकत्रीकरण (100%) 3. अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना (100%) 4. वैज्ञानिक निपटान (100%)	36 माह

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्दश्य शहरी शासन एवं सेवा में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्दश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है।चिन्हित हुए सुधारों में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रअल आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाना।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जो. आई.एस. एवं एम.आई.एस. को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय।

(ग) जी.आई.एस. सहित संपत्ति कर सुधार। भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को सात वर्षो की अवधि में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्दश्य के साथ कि संधारण–संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण सात वर्षो की अवधि के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्णी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं। ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण– संचालन लागत वसूली जुटा सकते है।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट,

(च) शिक्षा,स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन। राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार।

(घ) सात वषो की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्तकरण।

(ड) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना।

(छ) सात वर्षो की अवधि में ''शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने मे निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंधमें नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जासकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम
(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।
(ख) कृषि, गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रमवर्क का सरलीकरण।
(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय।
(घ) क्रास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना।
(ड) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।
(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन।
(छ) चक्रित जल क पुनः प्रयोग हेतु उपविधियां।
(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना।
(प) ढॉचागत सुधार
(पप) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणीः– जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्ही भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

––0––

परिशिष्ट–छः

जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

स. क.	उपमिशन	वर्ष	शहर / कियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.लाख में)
1	**शहरी अधोसंरचना एवं सु–शासन**	**2005–06**	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		"	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		**2006–07**	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		"	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फास्ट्रक्चर इन स्केप मार्ट	811.00
5		"	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फास्ट्रक्चर इन एम. पी. नगर	1894.00
6		"	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	27444.00
7		"	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		"	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		"	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		"	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फाम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		"	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9	3974.64
12		"	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–1	7801.00
13		"	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–2	7081.00
14		**2007–08**	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस–1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेल्वे कांसिग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		**2008–09**	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सिस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोट	1420.00
25		**2009–10**	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनक्लूडिंग ओमतीनाला	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कन्जरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00

27		**2012–13**		सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	3589.00
28		**2013–14**		सप्लीमेंट्री डीपीआर फार बीआरटीएस	8276.00
29				केबल स्टे ब्रिज एट कमला पार्क	2734.00
30				लेक फ्रंट डेव्लपमेंट	1647.00
31				आई टी एस कॉम्पोनेंट टू बीआरटाएस	5717.00
				योग (अ)	**268928.00**
32	**शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं**	**2005–06**	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
33			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
34			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
35		**2006–07**	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–1	3950.01
36			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस–2	4111.13
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
40			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस –1	1710.20
41			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस–2	1342.87
42			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
43			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
44			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
45			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फास्ट्रक्चर (लालकुआ)	2472.00
46			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फाक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाई)	2314.00
47			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फास्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
48			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1424.00
49		**2007–08**	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
50		**2008–09**	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –1	5568.00
51			भोपाल विकास	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ	4676.00

			प्राधिकरण	आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –2	
52			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	**65712.00**
				कुल योग (अ+ब)	**334638.00**

परिशिष्ट–सात

आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाए

क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	विदिशा	आवास निर्माण अधोसंरचना	217	184.98
2.	गंजबासौदा	आवास निर्माण अधोसंरचना	110	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	114	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	मूलभूत अधोसंरचना	–	44.87
6.	ग्वालियर	आवास निर्माण अधोसंरचना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	812	1073.96
11.	दमोह	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	229.83
12.	बालाघाट	आवास निर्माण अधोसंरचना	966	1297.95
13.	बैरसिया	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	174.80
14.	कुरवाई	आवास निर्माण अधोसंरचना	48	95.91
15.	कटनी	आवास निर्माण अधोसंरचना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	651	839.88
17.	मझौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	215.31
18.	बरेला	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	225.47
19.	पाटन	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	227.52
20.	शाहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	153.89
21.	देपालपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	399.81
22.	पानसेमल	आवास निर्माण अधोसंरचना	128	293.87
23.	खुजनेर	आवास निर्माण अधोसंरचना	100	241.25
24.	बेटमा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	313.94

25.	गौतमपुरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	395.70
26.	कटंगी	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	249.98
27.	पेटलावद	आवास निर्माण अधोसंरचना	240	342.33
28.	इटारसी	आवास निर्माण अधोसंरचना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	आवास निर्माण अधोसंरचना	202	330.59
30.	होशंगाबाद	आवास निर्माण अधोसंरचना	297	517.55
31.	ओरछा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	344.73
32.	बुरहानपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	833	1365.85
33.	जावरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	167	247.73
34.	सागर	आवास निर्माण अधोसंरचना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	742.00
36.	मोहगांव	आवास निर्माण अधोसंरचना	267	616.38
37.	सौंसर	आवास निर्माण अधोसंरचना	461	712.52
38.	हर्रई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.17
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगौन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49
43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
45.	महिदपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	441	838.40
46.	सिंगोली	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	368.79
47.	डिकेन	आवास निर्माण अधोसंरचना	124	381.84
48.	अमरवाडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	657.01
49.	जीरापुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	145	400.00
50.	चौरई	आवास निर्माण अधोसंरचना	266	573.47
51.	पांढुरना	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	300.04
52.	जीरन	आवास निर्माण अधोसंरचना	126	377.20
53.	रतनगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	135	417.78
54.	तेंदूखेडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	256	675.00
55.	मल्हारगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	144	440.00
56.	पिपल्यामंडी	आवास निर्माण अधोसंरचना	88	273.00
योग			**22998**	**37628.52**

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	4	5
1	नगरपालिका विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज	218.00
		सड़क	73.58
2	नगरपालिका इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सड़क	844.57
3	नगर पंचायत बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सड़क	504.20
		सीवरेज	195.05
4	नगर पंचायत रेहटी	जल प्रदाय योजना	276.48
		सड़क	211.60
		सीवरेज	143.48
5	नगरपालिका सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
6	नगरपालिका ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
7	नगरपालिका सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
8	नगरपालिका आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
		सड़क	541.28
9	नगर पंचायत नसरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
		सड़क	365.39
10	नगरपालिका होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
11	नगरपालिका हरदा	जल प्रदाय योजना	1735.00
12	नगरपालिका गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक	143.76
13	नगरपालिका दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना	62.35
		गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक	418.97
		जलप्रदाय फेस– 2	3715.95
14	नगरपालिका टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
15	नगरपालिका रहली	जल प्रदाय योजना	602.35
16	नगरपालिका छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
17	नगरपालिका पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
18	नगर निगम सागर	सीवरेज	7661.55
19	नगरपालिका जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
20	नगर निगम रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
21	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
		जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		सीवरेज	14062.53
		सड़क	1254.50
22	नगरपालिका शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
		सड़क	499.00
23	नगरपालिका मंदसौर	जलस्त्रोत उन्नयन	1552.45

		जलप्रदाय	5636.37
24	नगरपालिका आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
25	नगरपालिका शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
26	नगर निगम खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
27	नगरपालिका सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
28	नगरपालिका मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		सड़क एवं नाली	829.43
		नाला निर्माण	27.60
29	नगर निगम कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
		सड़क	4567.00
30	नगरपालिका डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
31	नगर निगम ग्वालियर	सीवरेज,	6650.00
32	नगरपालिका शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
33	नगर निगम रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
34	न.पा.पार्ढुना	जल प्रदाय योजना	4611.62
		सड़क फेस– 2	2063.75
		सड़क	2054.76
35	न.पा. छिन्दवाड़ा	जल प्रदाय योजना	5732.87
		सड़क	5352.70
		सड़क एवं नाली फेस– 2	2736.76
		आर.यू.बी.	1245.82
		तालाब संरक्षण	382.87
36	न.पा. डोंगर परासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
		सड़क	1098.03
		सड़क एवं नाली	1206.37
37	न.पा. सौसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
		सड़क	2332.73
38	नगर पंचायत पिपलानारायणवार	जल प्रदाय योजना	81.20
		जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		सड़क	408.09
39	न.पा. चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		सड़क	189.17
40	न.पा. पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
		सड़क	385.46
41	न.पा. बैतुल	जल प्रदाय योजना	3262.07
42	न.पा.मुलताई	जल प्रदाय योजना	1929.60
		सड़क	723.34
43	नगर परिषद् खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
		सड़क	457.60
44	न.पा.बीना	जल प्रदाय योजना	3875.50
45	न.पा.सीधी	जल प्रदाय योजना	2118.55
46	न.पं.खिरकिया	जल प्रदाय योजना	1225.70
47	न.पा.महिदपुर	जल प्रदाय योजना	1683.75
48	न.प.जुन्नारदेव	सड़क	345.96
		जलप्रदाय	2432.07
49	न.पा. अमरवाड़ा	जलप्रदाय	1609.30

		सड़क	424.16
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50	नगर निगम सतना	जलप्रदाय	8087.57
51	नगर पालिका सबलगढ़	सड़क	459.10
		ड्रेनेज	980.94
52	न.पा. करेली	सड़क	444.47
		जलप्रदाय	3550.77
53	न.पा. आमला	सड़क	477.66
54	न. पा. दमुआ	सड़क	652.52
		सड़क एवं नाली	611.30
		जलप्रदाय	1479.19
55	न.पा. मनावर	सड़क	475.15
		जलप्रदाय	1125.60
56	न.पा. वारासिवनी	जलप्रदाय	2232.00
		सड़क	810.96
57	न.पा. अनूपपुर	जलप्रदाय	1521.22
58	न.पा. बेगमगंज	जलप्रदाय	1392.22
59	नगर पंचायत चुईट	सड़क	232.10
60	नगर पंचायत हर्रई	सड़क	177.27
		जलप्रदाय	873.87
		सड़क एवं नाली	324.93
61	नगर पंचायत चाँदामेटा	सड़क	321.30
		जलप्रदाय	1432.20
62	नगर पंचायत चित्रकुट	जलप्रदाय	1319.68
63	नगर पंचायत बरकुही	जलप्रदाय	1211.82
		सड़क	476.42
64	नगर पंचायत शमशाहबाद	जलप्रदाय	882.47
65	नगर पंचायत बैकुंठपुर	जलप्रदाय	732.75
66	नगर पंचायत तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	जलप्रदाय	1028.64
67	नगर पंचायत शाहगंज	जलप्रदाय	436.45
		सड़क	477.96
68	नगर पंचायत शामगढ़	जलप्रदाय	2374.00
69	नगर पंचायत हिन्डोरिया	जलप्रदाय	1138.34
70	नगर पंचायत आठनेर	सड़क	217.90
		जलप्रदाय	1309.00
71	नगर पालिका गुना	जलप्रदाय	7140.42
72	नगर पालिका राजगढ़	जलप्रदाय	1907.76
73	नगर परिषद् राजपुर	सड़क	489.00
74	नगर परिषद् मण्डलेश्वर	जलप्रदाय	799.29
		सड़क	659.08
75	नगर पालिका सिवनी	जलप्रदाय	4735.80
76	नगर परिषद् जीरन	जलप्रदाय	549.92
77	नगर परिषद् मल्हारगढ़	जलप्रदाय	548.92
78	नगर परिषद् पिपल्यामण्डी	जलप्रदाय	968.72
		सड़क	487.50
79	नगर परिषद् रामपुरा	जलप्रदाय	1956.37

80	नगर परिषद् सुवासरा	जलप्रदाय	1764.30
81	नगर परिषद् भेड़ाघाट	सड़क	603.40
82	नगर परिषद् सिंगौली	सड़क	264.71
83	नगर परिषद् लोधीखेड़ा	सड़क	417.33
		जलप्रदाय	611.76
84	नगर परिषद् सोनकच्छ	सड़क	499.00
85	नगर परिषद् मोहगांव	सड़क	462.18
		जलप्रदाय	848.87
86	नगर परिषद् पिपलरवां	सड़क	364.70
		जलप्रदाय	964.22
87	नगर परिषद् न्यूटन चिखली	सड़क	604.25
		सड़क एवं नाली	163.30
		जलप्रदाय	1055.90
88	नगर परिषद् चंदेरी	सड़क	614.85
89	नगर परिषद् मुंगावली	जलप्रदाय	1070.40
		सड़क	550.00
90	नगर परिषद् कोलारस	सड़क	1234.03
91	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	सड़क	504.80
92	नगर पालिका पोरसा	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		जलप्रदाय	959.25
93	नगर निगम सिंगरौली	जलप्रदाय	7795.24
94	नगर पालिका कोलार	जलप्रदाय	5210.42
95	नगर पालिका बड़वाह	जलप्रदाय	1704.96
96	नगर पालिका मण्डला	सड़क एवं नाली	133.22
97	नगर पालिका चाचौड़ा–बीनागंज	सड़क एवं नाली	134.27
98	नगर परिषद् ईसागढ़	सड़क	629.40
99	नगर परिषद् चिचौली	सड़क	200.00
100	नगर पालिका देवरी	जलप्रदाय	2301.68
101	नगर पालिका बालाघाट	जलप्रदाय	4283.00
102	नगर पालिका कोतमा	जलप्रदाय	1799.58
103	नगर पालिका नीमच	जलस्त्रोत उन्नयन	1545.98
104	नगर परिषद् लांजी	सड़क	815.88
		जलप्रदाय	1825.00
105	नगर परिषद् लखनादौन	सड़क	519.37
106	नगर परिषद् बैहर	सड़क	405.61
107	नगर परिषद् सतवास	जलप्रदाय	1397.40
108	नगर परिषद् बाड़ी	जलप्रदाय	785.60
109	नगर परिषद् सिरमौर	जलप्रदाय	980.00
110	नगर परिषद् भैंसदेही	सड़क	483.00
111	नगर परिषद् पाटन	सड़क	329.60
112	नगर परिषद् डही	जलप्रदाय	931.80
113	नगर परिषद् बल्देवगढ़	जलप्रदाय	1264.80
114	नगर परिषद् शाहपुरा	जलप्रदाय	1368.66
कुल योग			**284936.37**

परिशिष्ट–नौ

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	नगर पालिका धार	93917	2174.54
2	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
3	नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
4	नगर परिषद् कुक्षी	28331	1848.08
5	नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
6	नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
7	नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
8	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
9	नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01
10	नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
11	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
12	नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
13	नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
14	नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
15	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
16	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
17	नगर परिषद् मूंदी	12889	578.92
18	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
19	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
20	नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
21	नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
22	नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
23	नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
24	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
25	नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
26	नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
27	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
28	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
29	नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
30	नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
31	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
32	नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64

33	नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
34	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
35	नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
36	नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
37	नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
38	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
39	नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
40	नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
41	नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
42	नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
43	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
44	नगर परिषद् टिमरनी	22359	1923.58
45	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
46	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
47	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
48	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
49	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
50	नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
51	नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
52	नगर निगम रीवा (फेस 1 एवं 2)	235654	4718.06
53	नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
54	नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
55	नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
56	नगर परिषद् त्योंथर	17039	1046.86
57	नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
58	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
59	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13638	575.17
60	नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
61	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
62	नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00
63	नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
64	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	595.00
65	नगर परिषद, बिजुरी	32682	1686.10
66	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
67	नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
68	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
69	नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45

70	नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
71	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
72	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
73	नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
74	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
75	नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
76	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
77	नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
78	नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
79	नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
80	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
81	नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
82	नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
83	नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
84	नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
85	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
86	नगर परिषद् ताल	14913	777.01
87	नगर परिषद् नामली	9774	595.41
88	नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
89	नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
90	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
91	नगर परिषद् भौरासा	12166	698.24
92	नगर परिषद् करनावद	11266	950.22
93	नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
94	नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
95	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
96	नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
97	नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
98	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
99	नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
100	नगर परिषद् मक्सी	20088	1540.39
101	नगर परिषद् अकौदिया	11652	1129.64
102	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
103	नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
104	नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86
105	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
106	नगर पालिका बड़नगर	36438	1737.15

107	नगर परिषद् तराना	24908	799.20
108	नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
109	नगर परिषद् बैहर (फेस–1 एवं 2)	16651	1126.55
110	नगर परिषद्, कटंगी	16143	1020.86
111	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
112	नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
113	नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
114	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
115	नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
116	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
117	नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
118	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
119	नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
120	नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
121	नगर निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
122	नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
123	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
124	नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
125	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
126	नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
127	नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
128	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
129	नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
130	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
131	नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज	21785	964.12
132	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
133	नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45
134	नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
135	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93
	कुल योग	**5280141**	**188978.16**

परिशिष्ट–दस

सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत विभागवार स्वीकृत कार्यों का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र.	विभाग का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	उपलब्ध राशि***	लेप्स/ वापस राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संसाधन विभाग (ओंकारेश्वर के कार्यों सहित)	32	206.14	110.18	139.00	80.00	31 कार्य उज्जैन नगर के, 01 कार्य ओंकारेश्वर एवं महेश्वर का
2	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	12.43	10.00	12.37		2.626 लेप्स
3	अ) लो.निर्माण विभाग (भवन/पथ) ब) धर्मस्व विभाग के कार्य	115	422.82	250.34	688.77	33.55	वर्ष 2014–16 में लेप्स राशि रू. 33.55 करोड़, 10 कार्य निरस्त व अन्य में समाहित, 06 कार्य नगर निगम को हस्तां.
4	लोक निर्माण विभाग (ई.एण्ड एम.)	23	25.00	11.72			
5	लोक निर्माण विभाग (सेतु)	14	235.35	170.22			
6	म.प्र.सड़क विकास निगम	2	9.82	5.25			
7	लोक स्वा. यांत्रिकी (ग्रामीण)	21	164.64	59.46	114.38		2.81 लेप्स
8	नगर निगम उज्जैन अ) सिंहस्थ–2016 संबंधित कार्य ब) लो.स्वा.यां. नगर निगम	67	450.20	125.21	247.50		03 कार्य निरस्त
9	गृह विभाग (पुलिस)	29	289.32	143.00	171.30	11.99	वर्ष 2013–14 में लेप्स
10	गृह विभाग (होमगार्ड)	6	18.79	4.49	8.24	6.66	वर्ष 2014–15 में लेप्स
11	ऊर्जा विभाग (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी)	47	110.56	92.70	94.67		
12	स्वास्थ्य विभाग (योजना राशि 93. 11 करोड़)	2	31.08	29.43	31.08		गृह निर्माण मण्डल एजेंसी 10.00 लेप्स
13	आयुष विभाग	1	2.30	0.00	2.30		
14	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	9	33.69	15.98	25.41		
15	उज्जैन विकास प्राधिकरण	6	35.96	9.91	26.00		01 कार्य अप्रारंभ
16	मेला कार्यालय	9	47.63	0.38	27.75		4.50 लेप्स
17	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	54.71	22.40	29.51		
18	नगर निगम इंदौर	3	109.00	33.25	108.59		
19	इन्दौर संभाग के अन्य कार्य	34	68.65	6.72	12.25		
20	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	10	53.80	3.35	34.61		31 नगरों के बस स्टेण्डों विकास
21	एप्को (संगोष्ठी आयोजन हेतु)	1	5.00	0.00	5.00		
22	म.प्र.पदूषण नियंत्रण बोर्ड	1	1.00	0.00	1.00		
23	कलेक्टर उज्जैन (भूअर्जन एवं प्रशिक्षण आदि कार्य हेतु)	2	30.00	0.00	24.50	19.00	वर्ष 2014–15 में लेप्स
24	जनसंपर्क विभाग	8	50.61	37.00	40.00		9.00 करोड पर्यटन को हस्ता.
25	जिला पंचायत	13	5.42	0.00	1.34		3.50 लेप्स
26	संस्कृति विभाग	9	48.25	12.32	32.26		
27	पुरातत्व विभाग	1	2.00	0.00	2.00		

28	स्कूल शिक्षा विभाग	2	9.71	0.00	4.14		
29	पशुपालन विभाग	5	5.07	0.00	0.00		
30	वन विभाग (कुल 13 कार्य)	2	4.00	0.00	0.00		
31	रेलवे विभाग	13	26.95	11.94	0.00		नगर निगम उज्जैन से 08.00 करोड़ आवंटित
	योग	**490**	**2569.91**	**1165.25**	**1883.96**	**151.20**	**2035.16**
32	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	432.00	432.00			नर्मदा क्षिप्रा लिंक परि. (एन. वी.डी.ए.)*
33	क्षिप्रा नदी पर इन्दौर जिले में विभिन्न 13 घाटों के स्वीकृत प्रस्ताव	13	3.36				एन.वी.डी.ए. बजट अंतर्गत*
34	म.प्र.सड़क विकास निगम (बी.ओ.टी)	2	165.85	131.00			*
35	वन विभाग	11	5.39	3.93			*
	महायोग	**517**	**3176.51**	**1732.18**			

***स्वीकृत राशि में से रू. 435.36 करोड़ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, रू.165.85 करोड़ म.प्र.स.वि. निगम एवं रू. 5.39 करोड वन विभाग के बजट से – कुल रू. 606.60 करोड़**

***तदानुसार व्यय रू. 432.00 करोड़, रू. 131.00 करोड़ तथा रू. 3.93 करोड़ कुल रू. 566.93 करोड़ तत्संबंधी विभागों द्वारा**

****आवंटित राशि' (i/c lapsed amount) ***आवंटित राशि (Without lapsed amount)**